राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का २३वां दिवस [संख्या १७

मंगलवार, १० मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह अथवा लघु उद्योग

४१५. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या उद्योग एवं व्यापार मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि राजस्थान के अधिकांश कस्बों में पहले कोई न कोई गृह अथवा लघु उद्योग चलते थे ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त उद्योगों की सरकार की ओर से कोई सूची प्रकाशित की गई थी ?

(३) यदि हां, तो क्या उक्त सूची के अनुसार पृथक पृथक स्थानों के उद्योग धन्धों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया है ?

(४) यदि हां, तो सम्पूर्ण सूची में से कितने स्थानों पर ?

(५) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(६) क्या सरकार राजस्थान का औद्योगिक सर्वेक्षण करा चुकी है ?

(७) यदि हां, तो क्या उसका कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है ?

(८) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब ऐसा करने का इरादा रखती है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) करीब करीब सब स्थानों पर।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) औद्योगिक सर्वेक्षण हो रहा है।

(७) सर्वे का कार्य अभी जारी है।

(८) कार्य पूरा होने पर प्रतिवेदन प्रसारित किया जावेगा।

Page No.2

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : लघु उद्योग पुनर्जीवित करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह पुनर्जीवित करने का प्रश्न तो जो उद्योग चलाते हैं उनके हाथ की बात है। इसके लिये जो आवश्यक सहयोग हो सकता है वह मिल सकता है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : सर्वे का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी निश्चय नहीं कहा जा सकता, लेकिन साल भर से ज़्यादा लग सकता है ।

महिला सदन जयपुर के व्यवस्थापक की योग्यता तथा अनुभव

४१६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) महिला सदन, जयपुर का व्यवस्थापक (इन्चार्ज) आज कल कौन है तथा इनकी क्या योग्यता व अनुभव हैं ?

(२) इसके पहले कौन कौन लोग कितने काल तक उक्त पद पर काम कर चुके हैं ? उनकी योग्यता तथा अनुभव सहित सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : महिला सदन, जयपुर के व्यवस्थापक (इन्चार्ज) इस समय श्री ग्रेगरी डिसिलवा हैं। ये बी. ए. एल. एल. बी. हैं और इन्सिटट्यूशनल मैनेज़मेन्ट की ट्रेनिंग लिये हुए हैं। वे ट्रेनिंग के पहिले महिला सदन के इन्वेस्टीगेटर भी रहे हैं।

(२) सूची सदन की मेज़ पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : क्या कारण है कि महिला सदन की व्यवस्थापिका के स्थान पर पुरूष रखा गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपयुक्त महिला उपलब्ध नहीं होने के कारण।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार ने किस तरह से महिला की खोज की और इस निश्चय पर पहुंची कि कोई महिला नहीं मिल रही है इसलिये उनको पुरुष रखना पड़ा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा है कि जो डाइरेक्टली इसकी इन्चार्ज हैं वे एक महिला हैं और वहीं रहती हैं। ये अलग भी रहते हैं और उनके ऊपर सुपरविजन वगैरह करते हैं। प्रोबेशन पर जो आते हैं उनका ध्यान भी रखते हैं लेकिन अन्दर का काम देखने वाली महिला है।

डॉ० चन्द्रकला : इस सूची में बताया गया है कि श्रीमती सुशीला अग्रवाल और सुश्री सरोजनी सक्सेना ने भी यह कार्य किया था। तो जब तक दूसरी महिला उपलब्ध नहीं होती तब तक इनमें से किसी को यह काम क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये कानूनी जानकारी चाहिये और ऐसी जानकारी रखने वाली कोई महिला नहीं मिली।

Page No.3

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : उस पुरूष की क्या उम्र है ?

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार जल्दी से जल्दी महिला सदन की व्यवस्थापिका के पद पर एक महिला को लेने की कोशिश करेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब महिला उपलब्ध होगी तब ज़रूर रखेंगे ।

गोगामेडी मन्दिर की सेवा पूजा

४१७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या मन्त्री, देवस्थान विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गोगामेडी के मन्दिर में जो चायल मुसलमान काम कर रहा है वह कब से है तथा उसकी नियुक्ति किसने किस आधार पर की ?

(२) क्या सरकार के पास इस मन्दिर के वैधानिक अधिकारी ने अपने पूजा के हक के लिये कोई प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) इस मन्दिर में चायल मुसलमान पीढ़ियों से सेवा-पूजा करते आ रहे हैं और उन ही के वंशज अब भी सेवा–पूजा कर रहे हैं।

(२) वर्तमान समय में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नही हुआ है । सन् ५१ में श्री रतनसिंह नामक चौहान राजपूत निवासी ददरेवा ने प्रार्थना–पत्र अवश्य दिया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा उसे अधिकारी नहीं माना गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : किस आधार पर नहीं माना गया, ऐसा क्या तथ्य है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि इस मन्दिर में चायल मुसलमान पीढ़ियों से सेवा पूजा करते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : पीढ़ियों से कितने साल से काम करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई पुश्तों से ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जानकारी कहां से हुई कि पुश्तों से ऐसा हो रहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जानकारी वहां से मिली, इसका रिकॉर्ड है, सरकारी दफ्तर से भी पता लगा कि वे लोग पीढ़ियों से सेवा पूजा करते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मन्दिर में मुसलमान सेवा पूजा करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ जगहें ऐसी हैं, यहीं नहीं और भी जगह हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कह रहे हैं और जगह पर भी कर रहे हैं, किस जगह पर मुसलमान पूजा कर रहे है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक जगह तो मैंने बताई है, दूसरा आमेर में भावालिया में कर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि इस मन्दिर की स्थापना किस समय हुई, आपको पीढ़ियों का ज्ञान है तो बताने की कृपा करें कि इसकी स्थापना

Page No.4

(श्री मुरलीधर व्यास)

किसने की, कब की और किस आधार पर की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका इतिहास मुझे मालूम नहीं है लेकिन पीढ़ियों की बात ठीक है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): सेवा पूजा का ढंग हिन्दुओं की तरह का है या मुसलमानों की तरह का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल हिन्दुओं की तरह का।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस बात की रिसर्च की गई है कि गोगामेडी की स्थापना किसने की ? जिसने इसकी रिसर्च की, खोज की और इसका इतिहास बनाया है वे इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि रतनसिंह इसकी स्थापना करने वाले थे और वे ही पूजा करते थे क्योंकि उन्होंने अपने पीछे नाबालिग बच्चा छोड़ा था, इसलिये उस समय चायल मुसलमान को वहां का काम देखने के लिये रखा गया था। क्योंकि रतनसिंह स्वयं भी चायल के रहने वाले थे। इस सम्बन्ध में रिसर्च हुई और इसका रिकॉर्ड है। यदि आपको पता नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि बीकानेर के बड़े बड़े लोगों ने इस बात का पता लगाया है कि इसके हकदार कौन हैं, कौन स्थापना करने वाला है। रिसर्च में यह प्रूव किया गया है कि इसके हकदार राजपूत चौहान हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिसर्च की मुझे जानकारी नहीं है। सूचना की दृष्टि से आप डिटेल्स देंगे तो जानकारी करेंगे कि रिसर्च का क्या नतीज़ा रहा है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऐसी जानकारी करेंगे तो दिल्ली दूर चली जायगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : दांता रामगढ़ से दूर नहीं जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : वस्तु स्थिति क्या है इसकी जानकारी बड़े बड़े लोगों ने की है। अक्षयसिंहजी जो रिसर्च के हैड हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जानकारी दें कि कौन सी किताब है उसका पता लगायेंगे। यदि एक्शन लेने लायक बात है तो अवश्य लिया जायगा। अब तक जिन्होंने दख्वास्त दी थी उनका अधिकार साबित नहीं हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : पीढ़ियों से रहने की बात कही, उस पीढ़ी का कोई आदमी नहीं रहता है। उसका सारा परिवार पाकिस्तान में रहता है केवल अकेला वह यहां पर रहता है।

श्री शिवचरणदास : क्या मुसलमान हिन्दू की तरह रह कर पूजा करता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास, नेक्स्ट क्वेश्चन।

गवर्नमेन्ट होस्टल के कर्मचारी

४१८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गवर्नमेन्ट होस्टल में कुल कितने कर्मचारी हैं और वे कब से काम कर रहे हैं।

Page No.5

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी अस्थाई हैं ? उन्हें अभी तक स्थाई क्यों नहीं किया गया ?

(३) कर्मचारियों को वर्दी में क्या क्या दिया जाता है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) गवर्नमेन्ट होस्टल में कुल १४ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके सेवा काल का विवरण परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(२) इन कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी अस्थाई नहीं है।

(३) केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निम्न प्रकार वर्दी दी जाती है :

चपरासी, फर्राश और चौकीदार :

१. कोट २ } १ साल में
२. पेन्ट २ }

३. साफे ३—दो साल में

४. गर्म कोट १—दो साल में

मेहतर

१. कोट २ } एक साल में
२. हाफ पेन्ट २ }

३. टोपी (सफेद खद्दर) २. एक साल में

४. गर्म जरसी १ दो साल में।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : इस लिस्ट में जो कर्मचारी दिये गये हैं वे सन् ५४ के और ४२ के हैं, मेरा पूछने का मतलब यह है कि क्या इस प्रकार के भी कर्मचारी हैं जो ३ साल से लगातार काम कर रहे हैं और अब तक अस्थायी हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मिल चुका है, कोई अस्थाई नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि कोई अस्थाई नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इन १४ के अलावा और कोई वहां पर काम नहीं करते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट होस्टल में काम करने वाले ये १४ कर्मचारी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : १४ से अधिक काम करने वाले नहीं हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, वहां पर और भी कर्मचारी काम करते हैं और उनको टेम्प्रेरी माना जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि ३ साल से अधिक काम करने वाला है और अस्थाई हो तो उसके लिये क्या करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कोई अस्थाई नहीं है, हो सकता है कि वहां पर केटरिंग करने वाले ने अपनी तरफ से रखा हो और उसको सरकार की तरफ से रखा हुआ समझते हों, तो बात दूसरी है।

Page No.6

श्री जनार्दनराय नागर : दस दस वर्ष से जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स अस्थाई हैं उनको स्थाई बनाने के लिये क्या कुछ सोचा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो गवर्नमेन्ट होस्टल का प्रश्न है।

श्री जनार्दनराय नागर : प्रश्न यह है कि सरकार यह बात सामने रखे कि सरकार के विभागों में कई अस्थाई कर्मचारी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया था कि यदि ऐसे कर्मचारी अस्थाई हैं तो यह विभागों पर निर्भर करेगा, किस विभाग में अस्थाई कर्मचारी हैं। यदि इसकी जानकारी देंगे तो पता लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कई विभाग भी अस्थायी हैं।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ४१९

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामेश्वर दयाल।

(हंसी)

श्री रामेश्वर दयाल : यह विभाग ही ऐसा मालूम होता है।

सन् १९५८–५९ में समाज कल्याण कार्यों पर खर्च

४२०. श्री **रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

समाज कल्याण विभाग के कार्यों पर सन् १९५८–५९ के वर्ष में कितना कितना रुपया खर्च किया गया ? इसकी एक सूची ज़िलों के अनुसार सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए अगली टर्न पर इसका जवाब दूंगा।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल

श्री शिवचरणदास (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की ओर से जितने भी प्रश्न किये जाते हैं उनका उत्तर नहीं मिलता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा तो नहीं है। आज ही मैंने जवाब दिया है।

श्री शिवचरणदास : दो प्रश्न पहले मैंने पूछे थे लेकिन उस वक्त भी यही कहा गया था कि सूचना नहीं मिली और आज भी यह सूचना मिल रही है।

प्रश्न संख्या ४२१

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री धर्मपाल पंवार।

Page No.7

भाखरा जोन में खिदमतगारों का खातेदारी हक

४२२. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर सु.) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या भाखरा ज़ोन में रहने वाले खिदमतगार जिनमें नाई, कोटवाल, रैगर वगैरह शामिल हैं को उनके कब्जे की भूमि का हक खातेदारी देने को सरकार तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी नहीं। ऐसे खिदमतगारों को मुआफी भूमि केवल उनके ग्राम सेवा करने के बदले में दी गई है। उन्हें उनके कब्ज़े की भूमि का खातेदारी हक उस समय तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उनकी सेवाओं की गांव को आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

ब्यावर कालेज के समाजशास्त्र के प्राध्यापक मिस्टर तोमर की शिकायत

४२३. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) (डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : Will the Education Minister be pleased to state:—

1. Is there any Professor of Sociology by the name of Mr. Tomar in the grade of Rs. 500/-800/-in the S. D. V. Government Degree College, Beawar ?

2. Is it correct that though in May, 1958 the Rajasthan Public Service Commission considered him unsuitable still the Government is continuing him against the post ?

3. Is it correct that last year he was appointed as an examiner for one paper in M. A. Sociology by Rajasthan University ? Is it correct that Mr. Tomar gave higher marks than warranted to certain students on account of some influence ?

4. Is it correct that the University got these papers re-examined on complaints and found the complaints to be correct and reported the matter to the State Government ? If so, what action the Government has taken in the matter ?

5. Is it correct that Shri Tomar in his personal capacity runs an institution called the Rajasthan Institute of Sociology, Beawar, which confers diploma in Sociology to post graduate students ? Is it correct that the Institute charges a fee of Rs. 300/ per term from each student ? If so, does the State Government recognise this diploma ? Who are the Directors and Deputy Directors, etc., of the Institute ?

6. Is it also correct that Shri Tomar is the Warden of the College Hostel and he runs a Balmandir in the Hostel premises and charges a fee of Rs. 6/-from each child ? If so, has he obtained Govt. sanction for runing the Balmandir ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): 1. Yes Please.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

2. Yes. The Public Service Commission could not recommend any qualified candidate though they advertised the post widely twice. The Commission advised the Govt. that the post may be filled up by personal contacts and negotaitions and the concurrence of the Commission obtained. The Covt. is now taking necessary action in the matter and have requested the Commission to extend the term of Shri Tomar till the present academic session so that studies of students do not suffer.

3. Yes. The University is said to have received complaints to the effect that Shri Tomar showed partiality to some students and the Registrar of the University informs that an enquiry was held in the matter which gave evidence of his partiality to some students and consequently the University debarred him from future examinership.

4. The Registrar, University informs that the University did not send up the report to the Government because some aspects of the enquiry were not yet completed and the Vice-Chancellor would take further action in this regard. The Govt. has reminded the University for the final report which is awaited.

5. (i) It is true that Shri Tomar is connected with the institution though the Govt. has not accorded any permission. The Director of Education was asked to enquire into the whole affair and his report is awaited.

(ii) Yes. The institute is said to be charging Rs. 100/-plus Rs. 25/- for field work per term from each student.

(iii) The State Govt. has not recognised this diploma nor it has forwarded any such application to the University of Rajasthan.

(iv) There is no Director. Shri Tomar styles himself as Honorary Director and sometimes as Honorary. General Secretary.

6. Shri Tomar was not given any permission to run Balmandir in the premises of the hostel. He has been asked to close it by the Director of Education. He was charging the tuition fee of Rs. 5/ p. m. besides refreshment charges of Rs. 3/-p. m. and admission fee of Re. 1/-. Shri Tomar has now been removed from wardenship of the Hostel and the Balmandir has also been shifted from the Hostel.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : डाइरेक्टर एज्युकेशन को इन्क्वायरी के लिए कब कहा गया और यह रिपोर्ट कब तक आजायगी और श्री तोमर के खिलाफ कब तक कार्यवाही पूरी हो जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को महीना भर पहले कहा गया था और अभी ८.१० दिन पहले ही वे जाकर इन्क्वायरी करके आये हैं ।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : What action the Goevrnment do propose to take against the Professor for running Balmandir without permission ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Action would be taken after getting a report from the Director.

श्री रामेश्वरदयाल : How long will it take, Sir ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I think, not more than one month.

डॉ० चन्द्रकला : अब तक जो घटनायें सामने आयी हैं तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि श्री तोमर ने अनियमितायें की हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, अब जो शिकायतें आयी हैं उन पर सरकार विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट आने पर ही पुख्ता कार्यवाही करेगी ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला

डिग्गी के श्री कल्याणजी के मंदिर की चांदी की बिचौती

४२४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) अगस्त १९५८ में डिग्गी के श्री कल्याणजी के मंदिर की कितनी चांदी किस भाव बेची गई ? उस समय चांदी का बाज़ार भाव क्या था ?

(२) चांदी के नीलाम का विज्ञापन अखबारों में कब प्रकाशित कराया गया और नीलाम की बोली कब शुरु हो गई और कब तक चलती रही ? बोली लगाने वाले कौन कौन लोग थे ? बोली कितने पर छोड़ दी गई ?

(३) क्या यह सच है कि मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों में से अधिकांश लोगों ने लिखित रूप में इस नीलाम का विरोध किया था ? फिर भी इतने सस्ते भाव में चांदी बेच देने का क्या कारण है ?

(४) इस प्रकार मंदिर को हजारों रुपये का जो घाटा हुआ उसकी ज़िम्मेदारी किस पर है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करेंगी ।

श्री देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब इसी अधिवेशन में मैं दे चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : वह शिवजी के मंदिर के बारे में था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसी मंदिर के बारे में जवाब दे चुका हूँ ।

डॉ० चन्द्रकला : फिर से यदि उत्तर दे दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is exactly the same question.

श्री अध्यक्ष : तो वही क्वेश्चन है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already given its reply.

डॉ० चन्द्रकला : पूरा आ चुका है उत्तर, तो फिर से इसको कह दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ चुका है इसलिए इसको पुनः नहीं लेंगे।

(विराम)

श्री तेजाराम गहलोत

छोटे जागीरदारों को मुआवजा

४२५. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि छोटे जागीरदारों को हैरान करने की नीयत से जागीर अकॉउन्टेन्ट्स व अन्य सम्बन्धित कर्मचारी जन-बूझ कर मुआवज़ा के फार्म गलत भरते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि छोटी आय की जागीर के मुआवज़े के फार्म सरकारी कर्मचारी ही सैटिलमेन्ट के रिकॉर्ड के आधार पर भरते हैं ?

(३) सोजत सब डिविज़न में अब तक कितने लोग जागीरदारों के मुआवज़े के फार्म सरकारी कर्मचारियों द्वारा भरे गये व उनमें से कितनों के विरुद्ध ऐतराज़ पेश किये गये ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं। यह प्रबन्ध जागीरदारों की सुविधा के लिए सरकार ने किया है।

(२) जी हां। किसी भी जागीरदार को दावा भर कर पेश करने की कोई मनाई नहीं है।

(३) सोजत सब डिवज़न में ५००) से नीचे की आय की कुल जागीरें २६०८ हैं उनके सब के फार्म सरकार की तरफ से भरे गये। जिनमें कुल १२६ ऐतराज़ पेश हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभूलाल पुरोहित।

लालसोट व चाकसू तहसीलों में ब्लॉक्स की स्थापना

४२६ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

लालसोट व चाकसू तहसीलों में ब्लॉक कब तक खोले जावेंगे ?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सन् १९६३ तक समस्त राज्य में विकास खण्ड खोलने की योजना है। जब भी ज़िला जयपुर में और विकास खण्ड खोलने का निर्णय लिया जायगा, ज़िला विकास समिति की सिफारिश मांगी जायगी कि किस तहसील में पहले विकास खण्ड खोला जाये। विकास खण्ड खोलने के आधार सदन को पहले ही बता दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

शरणार्थियों को पुर्नविस्थापित हेतु दी गई रकम का हिसाब

४२७. **पी. के. चौधरी** (फुलेरा)(डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : Will Minister incharge of Relief and Rehabilitation be pleased to state :-

1- What is the total amount of

Page No.11

(डॉ० बहादुरसिंह)

money received by the Government so far from the Central Govt. for the relief and rehabilitation of refugees in the State ?

2. Is it correct that some of the officers of the Govt. to whom amounts were advanced to be spent on refugee rehabilitation and maintenance of refugee camps did not yet render accounts for the amounts advanced to them ? If so, the names of such officers together with the amounts for which they didnot submit the accounts may be given.

3. Is it correct that the Central Government has refused to reimburse nearly Rs. 50/- lakhs spent on refugee rehabilitation as the State Government could not furnish any accounts as to how the amount has been spent ? If so, will the Govt. recover these amounts from the officers responsible who did not maintain any accounts as to how the amounts have been spent ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर आया नहीं है इसलिए अगली टर्न पर जवाब दूँगा।

प्रश्न संख्या ४२८

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत।

जागीरदारों के मुआवजे में लागों का सम्मिलित किया जाना

४२६ श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) जागीरदारों को मुआवज़ा देते समय ज़मीनों के लगान के अलावा कौन कौनसी लागें मुआवजों में सम्मिलित करने का सरकार ने निर्णय लिया है।

(२) पाली ज़िले की सिरीयारी जागीर का मुआवजा तय करते समय ज़मीन के वास्तविक लगान के अलावा कौन कौनसी लागें मुआवजों में सम्मिलित की हैं ?

(३) ऐसे और कौन कौन से जागीरदार हैं, जिन्होंने भी मुआवजे में ज़मीन के वास्तविक लगान के अलावा दूसरी लागें मुआवजों में सम्मिलित की है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : कोई भी लाग ज़मीन के लगान के अलावा मान्य नहीं हैं।

(२) सिरीयारी का मुआवजे का दावा अभी तक विचाराधीन है। निर्णय नहीं लिया गया है।

(३) पाली ज़िले के लगभग सभी जागीरदारों ने अपने दावे में जो लाग वे साधारण जनता से लेते थे सम्मिलित की है। परन्तु वक सत्यापन के सरकार के आदेशानुसार सभी लागें काट ली जाती है और मुआवज़ा दिलाने के लिए शरीक नहीं की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

जिला जालोर के हैड मास्टरों को अलॉउन्स का भुगतान

४३० **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि ज़िला जालोर में कुछ हेड मास्टरों को सन् १९५० से १९५४ तक हैड मास्टर अलाउन्स देने के आदेश ज़ारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उनका भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इन बिलों का भुगतान जल्दी ही कर दिया जावेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह भुगतान अब तक न होने के क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें प्रोसिजरल टाइम ज्यादा लग गया। वह समय पर नहीं हो पाया, अब जल्दी ही करा दिया जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या प्रोसिजरल टाइम इतना लगता है कि पांच साल तक चला करे और उसका फैसला न हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी विगत मेरे पास नहीं है। इसके लिए कौन रेस्पोन्सिबल है और क्यों यह डिले हुई है इसकी जानकारी आने पर दे सकता हूं। लेकिन जो देरी हुई है, उसे मैं स्वयम् उचित नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

विस्थापितों के हेतु उद्योग धन्धे

४३१ **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें :

(क) सन् १९५८–५९ में विस्थापितों की बस्तियों में उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार से कितना रुपया मिला और उसको कहां कहां खर्च किया गया ?

(ख) क्या यह सच है कि कलेक्टर कोटा ने वल्लभ नगर कॉलोनी में उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में कोई योजना भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या किया ?

(ग) विस्थापितों में बेकारी को दूर करने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) ७७,७०३ रु० सहायता और १,४२,३४९ रु० ऋण के रूप में। यह धनराशि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अलवर में नवम्बर सन् १९५८ से चालू किये गये ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर्स पर खर्च की जा रही है। पूरी रकम अभी खर्च नहीं हो पायी है।

(ख) जी हां। वह सरकार के विचाराधीन है।

(ग) विस्थापितों में फैली बेकारी को दूर करने के लिए सरकार ने उपरोक्त चार केन्द्र खोल दिये हैं। यदि ये केन्द्र सफलतापूर्वक चल निकले तो और अधिक ऐसे केन्द्र चलाने पर विचार किया जायगा। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां, शरणार्थी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कॉलोनी के प्रशासनिक मंडलों एवं अन्य व्यक्तियों को भी लघु उद्योग धन्धों के लिये अलग से ऋण देने की नीति अपनाई हुई है जिसके अन्तर्गत विस्थापितों से प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र, संचालक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा टैक्निकल एवं आर्थिक दृष्टिकोण से जांच करवाये जा रहे हैं। योजनाओं के पूर्ण रूपेण तैयार होने पर भारत सरकार को धन राशि की स्वीकृति के लिए लिखा जायगा।

श्री रामेश्वरदयाल : अध्यक्ष महोदय, जो भी धनराशि भारत सरकार से मिलती है, उसको सरकार एक निश्चित योजना द्वारा एक खास नीति के साथ खर्च करती है तो जो रुपया भारत सरकार से मिला वह दूसरी जगह खर्च क्यों किया गया और बल्लभनगर कोटा में जो १० हज़ार की कॉलोनी है और भारत सरकार ने बनाई है, उस पर खर्च नहीं किया, इसके पीछे सरकार की क्या नीति है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे अर्ज किया कि चार जगह, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अलवर में ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन के सेंटर खोले हैं, वहां के लिये मंजूरी थी, इसलिये यह पैसा वहां दिया गया। बल्लभनगर, कोटा के लिये अलग से भारत सरकार को लिखा गया है कि अलग से स्वीकृति दी जाय।

श्री रामेश्वरदयाल : बल्लभनगर, कोटा के लिये पहले से ही डिमान्ड थी कि यहां बेकारी बढ़ रही है, उद्योग धंधों के प्रोत्साहन के लिये खर्चा किया जाना चाहिये, वह क्यों नहीं किया गया, यह मेरा प्रश्न है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि सरकार के विचाराधीन है। बल्लभनगर, कोटा कॉलोनी के लिये, कलेक्टर कोटा ने प्रस्ताव भेजा था कि संचालक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर बल्लभनगर, कोटा कॉलोनी में खोलने का प्रयत्न करें। यह सरकार के विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जो चार सेंटर चल रहे हैं, उनके द्वारा अब तक की गई प्रगति के आधार पर सरकार ने क्या नीति बनाई है कि और दूसरी जगह ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर जल्दी से खोले जायं या कब खोले जायं?

श्री दामोदरलाल व्यास : सफलता की उम्मीद बनी है, इस लिये उम्मीद है कि सफल होंगे।

श्री रामेश्वरदयाल : कलेक्टर कोटा ने जो योजना भेजी है उसको कब तक कार्यान्वित किया जायगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : टैक्निकली इसे एग्ज़ामिन कर रहे हैं, इसे यदि इन्डस्ट्रीज एन्ड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ठीक समझा तो अगले साल तक शुरू की जायगी।

श्री रामेश्वरदयाल : कलेक्टर कोटा ने जो योजना भेजी है वह दूसरी योजना से बिलकुल भिन्न है?

श्री दामोदरलाल व्यास : १६५४ के करीब भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी और वाणिज्य विभाग इसको एग्ज़ामिन कर रहा है।

श्री रामेश्वरदयाल : इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार से जो रुपया आयेगा वह बल्लभनगर, कोटा कॉलोनी पर खर्च नहीं किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार से जो रुपया आया, वह ४ ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोले हैं उन पर खर्च कर दिया। बल्लभनगर के लिये भारत सरकार को लिखा है और इन्डस्ट्रीज़ एन्ड कॉमर्स डिपार्टमेंट को भी लिखा है।

श्री रामेश्वरदयाल : भारत सरकार से जो रुपया आया उसमें क्या स्पेसिफाई था कि इन चारों जगहों के लिये यह रुपया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

प्रश्न संख्या ४३२

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४३२ का उत्तर दिलवा दीजिये।

कस्बा करकेड़ी के मिडिल स्कूल की इमारत व फर्नीचर

४३२. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) (डॉ०बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कस्बा करकेड़ी तहसील रूपनगढ़, ज़िला अजमेर की मिडिल स्कूल की इमारत मरम्मत कराने योग्य है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

(ख) क्या इस स्कूल में बच्चों के बैठने के लिये टाट, पट्टियां, बेंचेज़ व अध्यापकों के लिये कुर्सियां इत्यादि नहीं हैं ? यदि हां, तो यह कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां। इस कार्य के लिये १२८०)रु० की स्वीकृति दे दी गई है और पी. डब्ल्यु. डी. द्वारा मरम्मत का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) जी हां। परन्तु कुछ कम पड़ते हैं जो जल्दी ही पूरे कर दिये जायेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या अगले सेशन तक सामान मिल जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी नहीं कह सकता।

प्रश्न संख्या ४३३

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री अनोपसिंह।

बालोतरा के स्कूल के लिये बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था

४३४. श्री अनोपसिंह (बालोतरा) क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ज़िला बाड़मेर में बालोतरा के स्कूल के लिये बोर्डिंग हाउस की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां के बोर्डिंग हाउस का मकान बहुत टूटा फूटा व

Page No.15

(श्री अनोपसिंह)

खतरनाक हालत में है, जहां पर्याप्त रहने की भी जगह नहीं है ?

(३) क्या शिक्षा विभाग ने नये बोर्डिंग हाउस की जरूरत को महसूस किया है ? अगर हां, तो क्या नये बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था अगले बजट में की जावेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां, एक छात्रावास सहायता प्राप्त संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, ज़िले को ६० प्रतिशत सहायता मिलती है।

समुचित व्यवस्था न होने की ज़िम्मेदार यह संस्था है।

(२) जी हां। यह किराये का मकान है जिसका प्रबन्ध राजस्थान धर्मपुरा देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है जिसने कुछ वर्ष पहले इस मकान की मरम्मत भी कराई थी परन्तु गत कुछ वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है।

(३) जी नहीं। क्योंकि यहां सहायता प्राप्त छात्रावास पहले से हो चल रहा है। अतः इसके प्रबन्धकर्त्ता यदि अच्छे व पर्याप्त भवन में इसे चलाने में समुचित व्यवस्था करने का प्रयत्न करें तो उसके लिये जो अतिरिक्त खर्च होगा, उस पर सरकार अपने हिस्से की सहायता बढ़े हुए खर्च पर देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री अनोपसिंह : क्या सरकार अपने खर्च पर इसको बनवाना उचित नहीं समझती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतने साधन नहीं हैं, वरना चाहते तो हम भी हैं कि बहुत सारे होस्टल्स बनाये, पर आर्थिक साधन नहीं हैं।

श्री अनोपसिंह : वहां लड़कों की असुविधा और संख्या को देखते हुए क्या सरकार उसको अपने हाथ में लेने का विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक अर्थ का सवाल है वहां के नागरिकों से और सब से आशा की जाती है कि वे सहयोग दे कर इस कार्य को पूरा करें।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : जहां जनता भवन बनाने में समर्थ नहीं है वहां सरकार भवन बनाने का प्रयत्न नहीं करती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये भी कोशिश करती है पर बजट माननीय सदस्यों के सामने ही होता है, साधन नहीं हैं।

डॉ० चन्द्रकला : बाड़मेर की स्थिति विशेष है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्या जानती हैं उनसे कुछ ज्यादा ही जानकारी मुझे वहां के बारे में होगी।

(हंसी)

श्री अनोपसिंह : बोर्डिंग की बिल्डिंग सरकार अपने हाथों से पी. डब्ल्यु. डी. की मार्फत बना दे तो क्या दिक्कत होगी ? फिर चला लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बिल्डिंग बनाना ही तो सबसे बड़ी समस्या है।

Page No.16

प्रश्न संख्या ४३५

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

ज़िला जालोर में पटवारियों का टी. ए.

४३६ **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िला जालोर में पटवारियों को एक माह में कितनी दफे तहसील हैड क्वार्टर पर बुलाया जाता है और क्या उनका टी. ए. उनको दिया जाता है ?

(२) कितने पटवारियों का टी. ए. १ जनवरी सन् १६५८ से बकाया है ? उनको पेमेंट न करने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) एक माह में एक बार । जी हां, उन्हें टी. ए. दिया जाता है ।

(२) ६७ पटवारियों का टी. ए. बकाया हैं । इसके कारण ये हैं :

१. बजट में बचत नहीं होना ।

२. अकॉउन्टेन्ट जनरल के एतराज ।

३. गलत बिलों की दुरुस्ती ।

श्री लक्ष्मीचन्द : बजट में बचत क्यों नहीं रही ? खर्चा पहले ही ज़्यादा क्यों कर दिया गया ?

श्रीदामोदरलाल व्यास : प्रोविज़न से ज्यादा खर्चा हो गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

हिन्दी स्टेनोग्राफरों की ट्रेनिंग

४३७. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु०) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५६ में कितने व्यक्तियों ने हिन्दी के स्टेनोग्राफर की परीक्षा दी थी तथा उनमें से कितने उत्तीर्ण हुए ?

(ख) क्या उत्तीर्ण होने वालों को स्टेनोग्राफरों की जगह दे दी गई हैं ?

(ग) इस कार्य पर सरकार का कितना खर्च हुआ ?

(घ) क्या सन् १६५७ में भी स्टेनोग्राफरों की ट्रेनिंग क्लास खोली गई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी परीक्षा हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या सन् १६५८ में भी स्टेनोग्राफरों की ट्रेनिंग क्लास खोली गई थी ? यदि हां, तो उनकी परीक्षा कब हुई ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) २४२ प्रशिक्षणार्थियों ने परीक्षा दी थी और १५३ उत्तीर्ण हुए।

(ख) शासन की नीति के अनुसार अंग्रेजी के शीघ्र लेखकः एवं मुद्रलेखकों को हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन में प्रशिक्षित किया जाना था, अतः उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को शीघ्रलेखकों की जगह दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) १३६३५ रु० २५ न० पै० वेतन इत्यादि पर तथा १,०१,१६० रु० ६४ न० पै० मुद्रण यंत्रों के क्रय पर ।

Page No.17

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(घ) जी हां। परीक्षा के लिये जन सेवा आयोग से अनुरोध कर दिया गया था किन्तु आयोग अभी तक परीक्षा का आयोजन कर नहीं सका है ।

(ङ) जी हां । परीक्षा अभी तक नहीं हुई। इस सम्बन्ध में आयोग से अनुरोध किया जा चुका है।

श्री भैंवरलाल 'कालाबादल': क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि ५७ में जो परीक्षा होने वाली थी वह अभी तक नहीं हुई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन व्यवस्था करता है।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : ५८ में जो स्टेनोग्राफरों ने ट्रेनिंग पाई उनकी अभी तक परीक्षा नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : परीक्षा जो नहीं हुई वह ५८ में होनी चाहिये थी। ५७ में तो हो गई है । ५८ के अगस्त में होनी थी, वह नहीं हो पाई। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि हमें विलम्ब लगेगा अब उन्होंने दोनों परीक्षाओं को जून महीने में लेने का हमें सूचित किया है।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : इतने दिनों परीक्षा नहीं ली तो वे अपने सारे काम को भूल गये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भूलने का प्रश्न नहीं आता क्यों कि टाइप राइटर पर काम करने की उनको सुविधा है ।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा): क्या गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये यह ट्रेनिंग क्लास खोली गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

सिरोही और जालोर ज़िलों में सेल्स टैक्स से आमदनी

४३८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सिरोही व जालोर ज़िलों में सन् १६५५ से आज तक सेल्स टैक्स से सरकार की प्रति वर्ष कितनी २ आमदनी हुई ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम ।

बीकानेर रेवेन्यू विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों का अभाव

४३६. **श्री रूपाराम पंवार** (नोखा सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर ज़िले के रेवेन्यू विभाग में चतुर्थ श्रेणी में कितने स्थान शिड्यूल कास्ट के लिये रिज़र्व हैं और कितने कर्मचारी रिज़र्व स्थानों पर शिड्यूल्ड कास्ट के हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि तहसील कोलायत में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ?

(श्री रूपाराम पंवार)

(ग) क्या यह भी सही है कि तहसील कोलायत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काफी अर्से से बिना सवारी ही, सवारी अलाउन्स पा रहे हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सब जगह की तरह बीकानेर में भी १२॥ प्रतिशत ही ऐसे स्थान हैं, क्लेक्टोरेट व उसके मातहत पब्लिक ऑफिसेज़ में २३ कुल स्थान हैं जिनमें से ५ परिगणित जाति के लोग हैं।

(ख) जी हां। क्योंकि यह स्थान भरे हुए हैं।

(ग) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : स्थान भरे हुए हैं तो इसके बाद में भी रिक्त स्थान हुए कि नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : रिक्त स्थानों के लिये ऑर्डर्स ज़ारी हो चुके हैं कि जितनी नई भरती होगी वह शिड्यूल्ड कास्ट की भर्ती की जायगी। यहां तक कि टेम्प्रेरी को हटा कर के उनके स्थान पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को रखा जाय इस तरह के आदेश दिये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : १२॥ पर्सेंट आप बताते हैं, इससे ज्यादा किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १२॥ प्रतिशत तो गारन्टेड है, पर जो कमी पहले से है उसकी पूर्ति के लिये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हो गये हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स का ही नया रिक्रूटमेंट किया जाय।

एक माननीय सदस्य : ऑर्डर्स कब हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १० महीने हो गये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.) : १० महीने में कितने रखे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक अलग प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछा गया है, उसके उत्तर में बता दिया जायगा। वैसे अलग से पूछे तो ज़िलेवार बता सकता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह मैंने जनरल क्वेश्चन रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री रामचन्द्र (डग) : किसी सरकारी अफसर ने यदि किसी शिड्यूल्ड कास्ट के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को निकाल कर उसकी जगह सवर्ण कर्मचारी को रख लिया है तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? मैं आपके सामने भवानी मंडी हाई स्कूल में वहां के हैडमास्टर ने एक हरिजन को निकालकर उसकी जगह सवर्ण कर्मचारी को रखा। क्या आप उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी तो आप सूचना दे रहे हैं, उसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री रामचन्द्र : मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि जिस नीति की घोषणा आप करते हैं उस नीति के खिलाफ, मैं, यह शिकायत रख रहा हूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस शिकायत को आप अलग से लिखकर दीजिये तो

Page No.19

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैं जानकारी करके आपको बता सकता हूँ।

श्री रामचन्द्र : भवानीमंडी हाई स्कूल में भवाना नाम का एक हरिजन था उसको निकाल कर स्वर्ग को रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटा नगर के मिडिल स्कूलों में सिलाई की शिक्षा

४४०. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा नगर के कितने मिडिल स्कूलों में सिलाई की शिक्षा दी जाती है ?

(२) जिन स्कूलों में यह शिक्षा दी जाती है उस स्कूल में इस विषय के कितने शिक्षार्थी हैं, तथा कितनी मशीनें है ?

(३) क्या यह सही है कि इन मशीनों से अध्यापक वर्ग के पारिवारिक कपड़े सीने का काम लिया जाता है ?

मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया :

(१) पांच में।

(२) इस विषय में कुल ३१२ छात्र हैं तथा ८ मशीनें हैं।

(३) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या ३१२ विद्यार्थियों के लिये ये मशीनें काफी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे काम चल सकता है, ज़्यादा मशीनें हों तो ज्यादा सुविधा हो सकती है।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या सरकार ज़्यादा मशीनें बढ़ाने की बात सोच रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया बढ़ाना आसान नहीं, हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं किन्तु तत्काल जहां तक बढ़ाने का सवाल है यह संभव नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : मशीन से जो सिलाई की आमदनी होती है उस आमदनी को कुछ अर्से के लिये मशीनों की खरीद में लगा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बूसी व खोड पंचायत क्षेत्र को तहसील देसूरी से हटाकर पाली में मिलाना

४४१. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि बूसी व खोड पंचायत क्षेत्र की जनता लम्बे समय से इन गावों को तहसील देसूरी से हटाकर तहसील पाली में मिलाने की मांग कर रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि ज़िलाधीश व संबन्धित सभी अधिकारियों ने सरकार के समक्ष जनता की इस मांग को स्वीकार करने की सिफारिश की है ?

(ग) इस पर निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) पाली में कुछ गांवों को एक तहसील से दूसरी तहसील में मिलाने के सिलसिले में सिफारिशें की गई हैं।

(३) इस विषय में राजस्व मंडल द्वारा जांच की जा रही है। अभी समय निर्धारित करना मुश्किल है।

प्रश्न संख्या ४४२

श्री अध्यक्ष : श्री रामनरायण वर्मा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

तहसील बाड़मेर में विकास खंड

४४३. **श्री वली मोहम्मद** (बाड़मेर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) ज़िला बाड़मेर में इस वर्ष कहां कहां ब्लॉक, विकास खंड, खोले जा रहे हैं ?

(ख) क्या बाड़मेर तहसील का नाम उस सूची में है।

(ग) यदि हॉ, तो विकास खंड कब खुलेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया): (क) अभी तक इस संबन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सन् १९६३ तक समस्त राज्य में विकास खंड खोलने की योजना है। जब भी बाड़मेर जिले में विकास खंड खोलने का निर्णय किया जायगा, ज़िला विकास समिति की सिफारिश मंगाई जायगी और उसके बाद विचार करके सरकार उस पर निर्णय करेगी।

जिला चूरू के भू स्वामियों के दावे

४४४. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या जागीर पुनर्ग्रहण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या चूरू ज़िले के ६०० से अधिक भू स्वामियों को २३ अक्टूबर १९५८ को उनके दावों में ऐतराज पेश करने को बुलाया गया ?

(ख) यदि हां, तो इतने दावे सुनने को कितना स्टाफ तैनात था।

(ग) क्या यह सही है कि डिप्टी कलेक्टर जागीर उस दिन ३ बजे दफ्तर आये ?

(घ) क्या यह भी सही है कि २०० जागीरदारों ने कोई प्रार्थना पत्र दिया था ?

(ङ) यदि हां, तो वह क्या था और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(च) क्या यह सही है कि जागीरदारों के ऐतराज सुने बिना ही डिप्टी कलेक्टर जागीर ने फैसले कर दिये ?

राजस्व मन्त्री (श्रीदामोदरलाल व्यास): (क) ६०५ प्रोविज़नल अवार्ड जारी किये गये थे, जिनमें एतराज प्रस्तुत करने की तारीख २३–१०–५८ थी।

(ख) सुनवाई लगातार दिन प्रतिदिन चली। फाईनल अवार्ड तैयार करने को लगभग ४० आदमियों का स्टाफ लगाया गया था।

(ग) डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय का

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कलेक्टर ने मुआयना किया था अतः उस दिन डिप्टी कलेक्टर तहसील में १ बजे पहुँचे ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रार्थना-पत्र में यह लिखा हुआ था कि प्रार्थियों से प्रशासनिक खर्चा न काटा जावे व २५ गुणा मुआवज़ा दिया जाय, एक मुश्त चुकारा किया जावे व रकम तहसील में ही दी जावे। उन लोगों को कलेक्टर चूरू ने यह समझाया कि यह उनके अधिकार से बाहर है और इस बारे में गवर्नमेन्ट ही कोई निर्णय कर सकती है ।

(च) जी नहीं ।

श्री अनोपसिंह : जब कि ६०५ प्रोविज़नल अवार्ड जारी किये, ६०५ आदमी बुलाये गये तो क्या एक दिन में ६०० आदमियों के दावे निपटाये जा सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि एतराज मुकर्रर करने की तारीख मुकर्रर कर दी थी । प्रोविज़नल जो अवार्ड थे उनको फाइनल करने का ही सवाल था । सुनवाई लगातार दिन प्रति दिन चली और फाइनल अवार्ड तैयार करने को लगभग ४० आदमियों का स्टाफ लगाया गया था । डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय का कलेक्टर ने मुआयना किया था इसलिये उस दिन डिप्टी कलेक्टर तहसील में १ बजे पहुँचे ।

महाराजा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

४४५. **श्रीरामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार महाराजा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास की कमी महसूस करती है ?

(ख) यदि हां तो क्या आमेर के भवनों में छात्रावास का प्रबन्ध सरकार करने को तैयार है ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां ।

(२) आमेर के भवन कॉलेज से दूर होने के कारण यह संभव नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : बहुत से विद्यार्थियों को दूर जाकर मकान में रहना पड़ता है इस चीज़ को देखते हुए यातायात का प्रबन्ध करके सरकार उन भवनों का उपयोग क्यों नहीं करती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह इसलिये संभव नहीं कि फिर यातायात का प्रबन्ध करने का सवाल आयगा ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : छात्रावास की कमी जब सरकार महसूस करती है तो उसके लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : १०० छात्रों के लिये एक छात्रावास बनाया जा रहा है ।

अमरनिवास, कोटा में पटवार ट्रेनिंग स्कूल

४४६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(१) क्या अमरनिवास, कोटा में सन् ५८ में कोई पटवार ट्रेनिंग स्कूल चला था यदि हां, तो उसमें कितने विद्यार्थियों ने पटवार ट्रेनिंग प्राप्त की ।

(२) क्या इस ट्रेनिंग के समय शिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो इन शिक्षार्थियों को कितनी रकम दी गई ? कृपया इसकी एक तालिका शिक्षार्थियों के नाम सहित तथा प्रति मास शिक्षण काल में कितनी कितनी रकम दीगई सदन की मेज पर रखने का कष्ट करे ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां चला था । १६० विद्यार्थियों ने ।

(२) केवल ६२ सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर मान कर उनका वेतनादि दिया गया है । शेष नये शिक्षार्थियों को कुछ सहायता देने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या जिस समय उन लोगों को प्रवेश दिया गया उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें आर्थिक सहायता दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो फिर विचाराधीन क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गवर्नमेन्ट को ३० जुलाई १६५८ को लिखा है कि बतौर सबस्टेन्स के अलॉउन्स के रूप में २५ रुपया माहवार दिया जाय यह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो पटवारी सरकारी नौकरी में थे और जो ट्रेनिंग के लिये गये उनको तनख्वाह नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो पटवारी सरकारी नौकरी पर थे और जिनको ट्रेनिंग के लिये भेजा गया, उनको ड्यूटी पर माना गया है । ट्रेनिंग पीरियड की तनख्वाह मिली या नहीं इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसीलिये तो मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि इन शिक्षार्थियों को कितनी रकम दी गई, कृपया इसकी एक तालिका शिक्षार्थियों के नाम सहित तथा प्रतिमास शिक्षण काल में कितनी कितनी रकम दी गई सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । न तो वह लिस्ट सदन की मेज़ पर रखी गई और न वह मुझे ही दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो गवर्नमेंट सर्विस में थे उनको ड्यूटी पर माना गया वैसे हालत में उनको तो तनख्वाह मिली ही है और दूसरे शिक्षार्थियों का प्रश्न विचाराधीन है, इसलिये उनकी तालिका रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : सरकारी नौकरों को बराबर प्रतिमास तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिये तो मैंने सूची मांगी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह हो सकता है कि उनको हर मास तनख्वाह न मिली हो, लेकिन किसी भी सरकारी नौकर को नहीं मिली, यह नहीं कहा जा सकता । अगर आप फिर भी तालिका चाहते हैं तो मैं आपको अलग से दे दूँगा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने अपने प्रश्न में साफ लिखा है कि एक तालिका शिक्षार्थियों के नाम सहित तथा प्रतिमास शिक्षण-काल में कितनी कितनी रकम दी गई, सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : शिक्षणार्थी भी दो तरह के थे एक तो सरकारी पटवारी और दूसरे अन्य शिक्षणार्थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा यह कहना है कि जो सरकारी पटवारी थे उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिली उनका पीरियड खत्म हो गया उसके बाद तक नहीं मिली इस लिये लिस्ट मैंने मांगी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे पटवारी जिनको सरकारी डयूटी में शामिल किया गया है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उनको तनख्वाह मिलने में देरी हो सकती है लेकिन लिस्ट न देने का कारण यह था कि सरकारी कर्मचारियों को तो तनख्वाह मिली है और जो दूसरे शिक्षणार्थी थे उनको किसी प्रकार भी तनख्वाह देने का सवाल नहीं था। फिर भी अगर आप उन सरकारी पटवारियों की लिस्ट चाहते हैं तो मैं अलग से देने के लिये तैयार हूं।

श्री अनोपसिंह : क्या वे पटवारी जिन्होंने शिक्षण पाया है उनको इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था क्या कि उन्हें नौकरी में ले लिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। ट्रेनिंग प्राप्त करने पर अगर सरकार के पास जगह होती है तो ट्रेनिंग शुदा पटवारियों को प्रिफरेन्स दिया जाता है।

श्री अनोपसिंह : क्या नौकरी देने की बात सच है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आज कल सब जगह ट्रेन्ड पटवारी रखे जाते हैं और ट्रेन्ड शुदा को प्राथमिकता देते हैं।

बीकानेर डिविज़न में टीन का वितरण

४४७. कुमारी शन्नो देवी (सुजानगढ़) : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि बीकानेर डिविज़न के गंगानगर ज़िले को ६० प्रतिशत, बीकानेर जिले को २० प्रतिशत और चूरू ज़िले को २० प्रतिशत नालीदार टीनों का कोटा दिया जाता है।

(२) यदि हां, तो यह बंटवारा किस आधार पर किया जाता है ?

(३) चूरू ज़िले में तहसील वाइज़ १६-५८-५६ में टीनों का कितना कितना कोटा दिया गया है ? सूची सदन की मेज़ पर रक्खें।

(४) क्या यह वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ?

उपमंत्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक रखता है वहां से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी अतः इस प्रश्न को आयन्दा समय के लिये रख दिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) यह तो उद्योग विभाग वितरण करता है इसका कृषि से किस प्रकार संबन्ध है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सप्लाई डिपार्टमेंन्ट से जो कुछ कोटा मिलता है उसका कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही उसको वितरण करता है और इसलिये सप्लाइज़ डिपार्टमेंट के ज़रिये जो कोटा आता है उसका अकॉउन्ट उन्हीं के पास रहता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो ६० प्रतिशत, २० प्रतिशत कोटा दिया गया वह कितना पर्सेन्टेज है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं आयी थी इसलिये कन्सोलिडेट करके नहीं बताया जा सकता । आयन्दा मालूम करके नेक्स्ट टर्न पर इसका उत्तर दिया जायगा ।

कुमारी शन्नोदेवी : यह कब तक दे दिया जायगा ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नेक्स्ट टर्न पर ।

कोटा नगर का औद्योगिक विकास

४४८. **श्री रामेश्वर दयाल** (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या सरकार कोटा नगर के औद्योगिक विकास के प्रति जागरूक है ?

(२) क्या निकट भविष्य में सरकार वहां पोलि टेक्निकल कॉलेज प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा एवं मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

श्री रामेश्वरदयाल : कब तक पोलि टेक्निक स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी इसके बारें में कोई निश्चय नहीं किया है ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ये किस आधार पर खोले जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में फैले हुए हों और जिन जगहों पर औद्योगिक संस्थाएं हों जिनके आधार पर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिल सके और उनको सुगमता से एम्लॉयमेन्ट मिल सकें ।

डॉ० बहादुरसिंह : स्थान का चुनाव आप किस आधार पर करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अभी अर्ज किया न । जैसे जोधपुर में है, अजमेर में है, उदयपुर में है, अलवर में खोल रहे हैं, दूसरा कोटा में खोलने का है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : स्थान का निश्चय नहीं है या समय का निश्चय नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खोलने के बारें में तो कह चुका हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : खोलने से पहले ही आधार निश्चय किया गया था कि किस आधार पर खोले जावेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां की और आसपास की आवश्यकता को देखते हुए, सब जगह बिखरे हों इसको देखते हुए, औद्योगिक स्थान को देखते हुए और जहां सुगमता से एम्प्लॉयमेन्ट मिल सके, इन सब बातों को देखते हुए खोलते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसी क्या आवश्कता आप महसूस करते हैं कि यह आवश्यक है, इसलिए इस स्थान को पहले प्राथमिकता दी जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब तक तो यह रहा है कि डिविज़नल हैडक्वार्टर हो, इन्डस्ट्रीज़ चलती हों, एम्प्लॉयमेन्ट मिल सकता हो, तो इन सब बातों को देख कर निर्णय करते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : डिविज़न हैडक्वार्टर तो कोटा, उदयपुर, बीकानेर भी हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके साथ ही जहां इन्डस्ट्रियल प्लान खुलने की गुंजाइश हो, ट्रेनिंग सुगमता से ले सकें, वहां पर आसानी से एम्प्लॉयमेंट मिल सके इसकी सम्भावना ज़्यादा से ज़्यादा हो ता इन सब बातों का मैंने जिक्र किया है ।

श्री रामेश्वरदयाल : आम तौर पर ये जो आधार बताये आपने और जिन आधारों पर आपने अब तक खोले हैं उनके मुकाबले में कोटा अधिक उपयुक्त स्थान था, वहां सभी सम्भावनाएं अधिक हैं, औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं ज्यादा हैं, यहां इसका ज्यादा उपयोग हो सकता है, एम्प्लॉयमेन्ट अधिक से अधिक मिल सकता है, तो वहां पर अब तक क्यों नहीं खोला गया । इस दृष्टि से सबसे पहले उसको प्राथमिकता देनी थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी लेनी हो तो अलग से प्रश्न करें, पूरी जानकारी दे सकता हूं । वरना तो कोटा के बारे में कह दिया है कि वहां भी खोला जावेगा । इस पर भी माननीय सदस्य अगर ज़ोर देते हैं और इसका आशय यह है कि जल्दी हो तो यह उनका गलत सवाल है । मैं निवेदन कर दूं कि जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दे दिया गया, इसके बाद प्रश्न भी देखा जावे तो कोई बहुत रिलेवेन्ट नहीं था ।

श्री मुरलीधर व्यास : वैसे वह तो माना भी था । पर सवाल यह है कि दूसरे स्थान पर खोल दिया गया और अब कोटा में खोला जा रहा है तो पहले कोटा को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी गई । जब कि कोटा में जो आपने आधार बताये वे सब से अधिक हैं । क्या दूसरे स्थान उससे ज्यादा योग्य थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

सराडा व सलूम्बर तहसील में स्थित भाट फार्म

४४६. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) उदयपुर ज़िले की सराडा व सलूम्बर तहसीलों में स्थित "भाट फार्म" भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भूपालसागर को किन किन शर्तों पर दिया गया था? शर्तों की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें?

(ख) क्या मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भूपालसागर ने उक्त शर्तों की पाबन्दी की है?

(ग) उक्त फार्म का रक़बा क्या है?

(च) गत तीन वर्षों में उक्त फार्म के कुल कितने रक़बेमें प्रति वर्ष खेती हुई?

(ङ) यदि उक्त फार्म का काफी हिस्सा पड़त रहा है तो लैण्ड यूटीलाइज़ेशन एक्ट के अन्तर्गत सरकार ने पड़त भूमि में काश्त क्यों नहीं करवाई?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): इस प्रश्न का जवाब आज नहीं आ सकता, अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु.) : जब मेवाड़ शुगर मिल्स के खिलाफ प्रश्न पूछा जाता है सदन में तो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कहते हैं अभी जवाब नहीं दिया जा सकता। जब कि इस मिल वाले के पास बीस हज़ार बीघा ज़मीन है और शिड्यूल कास्ट के लोगों पर दस दस मुकद्दमे लगा रक्खे हैं।....

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : यह गलत बात है। कितनी ज़मीन है, क्या नहीं है, क्या है इस पेर जिस वक्त डिमान्ड ग्रान्ट हो और आप चाहें तो उस वक्त कट मोशन के ज़रिये कह सकते हैं। यह प्रश्न के समय लेक्चर करें जब कि प्रश्न का उत्तर उनके सामने नहीं है तो यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उचित नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जो दुखी हृदय है, इसी समय अपनी बातें रख सकता है। उसे मौका इसी समय मिलता है कुछ कहने का।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ४५०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५१

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५२

श्री रामनारायण वर्मा

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह ४५२ सार्वजनिक महत्व का है। उत्तर मिल जाना चाहिये।

कोटा ज़िले में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिट्केस की रकम की वसूली

४५०. श्री रामनारायण वर्मा (श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा पूछा गया) : (क) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कोटा जिले में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स की रकम तहसीलदारों द्वारा अनिवार्य रूप से दबाव देकर लगान के पूर्व वसूल की जा रही है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि कोटा की समस्त कचहरियों में भी विजयी पार्टी से यह रकम वसूल की जाती है।

उपमन्त्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) (क) कोटा ज़िले में किसी व्यक्ति की ओर से अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि तहसीलदारों द्वारा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की रकम अनिवार्य रूप से दबाव देकर लगान से पूर्व वसूल की जा रही हो।

(ग) यह सही नहीं है कि कोटा की समस्त कचहरियों में विजयी पार्टी से यह रकम वसूल की जाती है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट लेने के बाबत कर्मचारियों द्वारा जनता को सुझाव अवश्य पेश किया जाता है लेकिन इसके लेने के लिये किसी व्यक्ति को मज़बूर नहीं किया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : ऐसे कई उदाहरण रख सकता हूं और आप चाहें तो बता सकता हूं। जिस समय इस प्रकार से तहसीलदारों ने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के लिये रूपये मांगे हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It might have been a very peaceful persuation. There was no compulsion.

सन् १६५७-५८ से मन्त्रियों द्वारा प्राप्त भत्ता .

४५३. श्री दयाकृष्ण विजय : (छबड़ा) क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य के मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों ने अप्रेल सन् १६५७ से अप्रेल सन् ५८ तक अलग अलग मास में कितना कितना भत्ता प्राप्त किया है ?

(२) कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसकी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो पाई हैं। सूचना प्राप्त करने में समय भी काफी लगेगा। फिर विशेष प्रयोजन भी इसका नहीं होगा। यह तो बजट में ही रक्खा है। इससे बाहर तो करते नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : हम तो यह मालूम करना चाहते हैं कि राजस्थान का कौन ज्यादा दौरा करते हैं और कौन जनता से सम्पर्क रखते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो माननीय सदस्य को मालूम है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ४५४

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२१

श्री अध्यक्ष :श्री गिरधारीलाल ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, ४२१ का उत्तर दिलवाइये ।

बीकानेर इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के कार्यालय में अनुशासनहीनता एवं पक्षपात के दृश्य

४२१. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) (डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि तारीख २६-११-५८ को बीकानेर के इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स उनके कार्यालय में ही शिक्षा विभाग के किसी क्लर्क द्वारा बेतों से पीटे गये ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां । सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीकानेर, के क्लर्क ने कुछ घरेलू परिस्थितियों व असन्तुलित दिमाग के कारण पीछे जाकर अवांछनीय व्यवहार किया था ।

(२) जी नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला : तो उसको क्या दण्ड दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसने क्षमा याचना की और अफसोस ज़ाहिर किया, इसलिये उसके खिलाफ दूसरी कार्यवाही की गई ।

डॉ० चन्द्रकला : उसको इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने भी क्षमा कर दिया या विभाग ने ही ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने और बाद में विभाग ने भी कर दिया ।

(हंसी)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह उचित है कि इस तरह माफ कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि यह गलत मर्यादा है, गलत परम्परा डालनी है और कौन से कारण से उसने ऐसा किया यह नहीं कहा गया । क्या दिमाग में खराबी थी या घरेलू मामला था, क्या था ?

श्री अध्यक्ष : दोनों ही कारण बताये न ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दोनों ही कारण हैं और कभी क्षमा भी कर दें तो क्या अनुचित हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या उसका किसी डॉक्टर ने मुआयना किया था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इस प्रकार क्षमा करने के बाद राजस्थान सर्विस रूल्स के मातहत शिकायत की गई थी, तो क्या इसको

(श्री भैरोंसिंह)

रूल्स के अन्तर्गत कन्डोन कर दिया है। केवल क्षमा करने के कारण राजस्थान सर्विस रूल्स में प्रावधान नहीं होते हुए भी कागज़ात किस तरह से फाइल किये गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सजा देने से पहले ही क्षमा मांग ली थी।

डॉ० चन्द्रकला : दिमाग खराब था तो क्लर्क की जगह यह काम कैसे कर रहा था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा न कि असन्तुलित दिमाग के कारण से यह हुआ।

डॉ० चन्द्रकला : ४१० का उत्तर दिला दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या ४३५।

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न संख्या ४३५।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह पूछलें श्री डागा की ओर से।

चित्तौड़ में गाडोलिया लुहारों को बसाने की व्यवस्था

४३५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) (श्री भैरोंसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) चित्तौड़ में गाडोलिया लुहारों को बसाने के लिये आज तक कुल कितना खर्चा कौन कौन सी साल में किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज़ पर रखी जावे।

(ख) आज तक कुल कितने गाडोलिया लुहारों के घर चित्तौड़ में बसाये गये तथा वे अपना गुजर किस प्रकार करते हैं ?

(ग) उनके बच्चों के लिये विशेष रूप से शिक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया ? उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिये सरकार अब क्या कर रही है ?

मन्त्री समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) चित्तौड़ में आज तक कुल ३४ गाडोलिया लुहारों को मकान बनाने के लिये रकम स्वीकृत की गई। १६ परिवारों को राजस्व विभाग द्वारा कृषि के लिये १२० बीघा भूमि दी गई है जिसमें वे कृषि कर रहे हैं। शेष परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिये पुश्तैनी धन्धा कर रहे हैं।

(ग) गाडोलिया लुहारों के बच्चों की शिक्षा के लिये एक छात्रावास चलाया जा रहा है जिसमें उनके बच्चों की निशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था है। यह छात्रावास 'गाडोलिया लुहार सेवा संघ' चित्तौड़ द्वारा चलाया जा रहा है और सरकार द्वारा इस संस्था को २५) रुपया प्रति छात्र प्रति माह की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से एक उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र गाडोलिया लुहारों के बच्चों को लुहारगिरी आदि में प्रशिक्षण देने के लिये चलाया जा रहा है। शैक्षणिक विकास के साथ साथ

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

टैक्निकल शिक्षा का भी समावेश करने की ओर पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिन गाडोलिये लुहारों को मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता दी थी, उनमें से कितने मकान पूरे हो गए और कितने गाडोलिया लुहार उन मकानों में रहते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इन में से १८ मकान पूरे हो गये हैं और ६ मकान अभी बन रहे हैं

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह जो मकान बनाये गये वह किले पर बनाये गये हैं या नीचे बनाये गये हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नीचे बनाये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : ३२ मकानों में से १८ मकान तो पूरे बन गये और ६ मकान अभी बन रहे हैं तो फिर बाकी ५ मकानों का क्या हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह बनने की तैयारी में हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह मकान बनाने के लिए जब सहायता दी गई थी, तो उस समय कौन सी तारीख निश्चित की गई थी कि कब से काम शुरू करेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तारीख की जानकारी नहीं है

श्री भैरोंसिंह : जो १८ मकान बन कर तैयार हो गये तो क्या यह सही है कि उनमें गाडोलिये लुहार नहीं रह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मकान तो बन गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी भी नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : छात्रावास में कितने विद्यार्थी रहते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सन् १९५८-५९ में ३२ छात्र हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह गाडोलिये लुहारों को जो खेती करने के लिए ज़मीन दी गई थी वह उनमें खेती नहीं करते और ज़मीन यों ही पड़ी हुई है, क्या यह सही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं, वह खेती कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा उनकी शिक्षा के लिए जो संस्थायें चालू हैं उनमें गाडोलिये लुहारों का केवल एक विद्यार्थी है और बाकी अन्य अन्य जाति के विद्यार्थी हैं ?

उप मंत्री वित्त विभाग : (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : इस सम्बन्ध में गाडोलिये लुहारों को प्रशिक्षण देने का सवाल था लेकिन कुछ स्टाइपेन्ड की कमी की वजह से वे नहीं आये हैं। अब इनक्वायरी-ऑर्गेनाइज़ेशन करके इस सेन्टर को ठीक तरह से चलाने का प्रावधान कर रहे हैं; जिनमें वेजेज़ दी जायें

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

ताकि वह जो कुछ कीमत है उनको कम से कम उतना पैसा मिल जाये, और उनकी ट्रेनिंग भी ठीक तरह से चल सके।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने जिनको खेती करने के लिये खेत दिये हैं, वह लगान के ऊपर दिये गये हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किसानों को ज़मीन जिस ढंग से दी जाती है उसी तरह से दी गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : जमीन-लगान से दी गई है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, हां, लगान पर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब तहसील में डिमाण्ड पे स्लिप इश्यू हुई तो उन्होंने यह शिकायत की कि हमने काश्त नहीं की है इसलिए लगान नहीं देंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित है।

दिनांक ४ मार्च १६५६ का स्थगित प्रश्न

जसवन्तपुरा तहसील के काश्तकारों की रबी प्रोक्योरमेंट १६४७ की बकाया रकम

३१२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िला जालोर की जसवन्त पुरा तहसील के किन किन काश्तकारों के सन् १६४७ के रबी प्रोक्योरमेंट के रुपये अभी तक बकाया हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उन काश्तकारों को पेमेंट नहीं करने के क्या कारण हैं और सरकार उनका पेमेंट कब तक कराने का विचार रखती है।

उपमन्त्री वित विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (२) ऐसा कोई क्लेम पेन्डिंग होना नहीं पाया जाता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२.५ म० प०

आय व्ययक की प्रस्तुति से पूर्व, आय-व्ययक के आंकड़ों के पूर्व प्रकाशन सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना तारीख ५ मार्च, १६५६ को दी है जैसा कि सदन में दिनांक ६ मार्च, १६५६ को बताया गया है कि इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि वित्त विभाग एवं सांख्यिक विभाग (डाइरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स) ने राजस्थान बजट स्टडी, १६५६–६० नामक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसके पृष्ठ सं० १ पर के बजट पर एक दृष्टिशीर्षक के अन्तर्गत बजट के आंकड़े एवं पुस्तिका के अन्दर भी बजट सम्बन्धी ग्राफ दिये हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बजट जब तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक उसे गोपनीय रखा जाता है और सदन को बजट सम्बन्धी प्रस्ताव जानने का सर्व प्रथम अधिकार है। इस मामले में उक्त पुस्तिका में बजट के आंकड़े प्रकाशित कर उपरोक्त दो विभागों द्वारा विशेषाधिकार का उलंघन किया गया है अतः इस पर सदन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

इस पुस्तिका को देखने से यह तो स्पष्ट है कि इसमें बजट संबंधी आंकड़े दिये गये हैं यह भी निर्विवाद है कि इसका वितरण माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्यों को बजट के साथ ही किया गया है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वित्त विभाग के अलावा राज्य के अन्य विभाग को इन आंकड़ों की जानकारी होना विशेषाधिकार की गणना में आता है अथवा नहीं।

मैं इस विषय में माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु यह बतलाना चाहूँगा कि आय व्ययक सम्बन्धी आंकड़े सर्व प्रथम राज्य के भिन्न भिन्न विभागों द्वारा तैयार किये जाकर वित्त विभाग को भेजे जाते हैं और लगभग इन्हीं आंकड़ों को बजट में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बजट सर्वदा राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय में छपता है और इसलिए वहां काम करने वालों को भी इसके आंकड़ों का ज्ञान होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में राज्य के विभागों से इसे पूरी तौर पर पृथक रखा जाना सम्भव प्रतीत नही होता।

उपरोक्त पुस्तिका को, बजट प्रस्तुत होने तक गोपनीय रखा जाना प्रकट होता है। इस पुस्तिका को प्रकाशित कर आय व्ययक पत्रों के साथ ही वितरित करने का ध्येय सदस्यों को बजट पर होने वाले सामान्य वादविवाद एवं अनुदानों की मांगों पर की जाने वाली बहस के पूर्व तत्सम्बन्धी अधिक जानकारी देना ज्ञात होता है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त पुस्तिका के प्रकाशन से सदन के विशेषाधिकार का हनन होना नहीं पाया जाता। अतः मैं इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहूंगा यदि आपकी आज्ञा हो तो। इसमें प्रश्न ऐसा है और जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने फरमाया कि डिपार्टमेन्ट से बजट बनकर फाइनेन्स डिपार्टमेंन्ट में जाता है और इस कारण डिपार्टमेंन्टल हेड्स से ये बातें छिपी हुई नहीं रहतीं कि बजट क्या है। लेकिन प्रश्न इतना सा ही नहीं है,प्रश्न तो यह है कि कन्सोलिडेटेड फण्ड हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि आपकी आज्ञा हो जाने के बाद क्लेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं रहती है। यह तो एक बहस सी हो रही है। मेरे विचार में आपके आदेश के पश्चात् तो यह प्रश्न समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : प्रिविलेज़ मोशन तो समाप्त हो गया...

श्री अध्यक्ष : जिस विभाग द्वारा वह पुस्तिका प्रकाशित की गई है वह भी सरकार का ही एक हिस्सा है। जैसे गवर्नमेंट के दूसरे विभाग हैं वैसे ही वह भी है, इसलिए यह कहना ठीक प्रतीत नहीं होता कि अमुक विभाग के पास पुस्तिका क्यों गई। इसके अन्द हेर फेर नहीं किया जा सकता। जैसे वित्त विभाग के पास गया वैसे ही दूसरों के पास भी जा सकता था इसलिये जो पुस्तिका छपी है वह सरकार द्वारा ही प्रकाशित कराई गई है इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मैं कहना चाहता हूँ, वह पुस्तिका केन्द्रीय मुद्रणालय

(श्री भैरोंसिंह)

में नहीं छपाई गई। इसी बात की तो जांच होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन गवर्नमेंट के पास से कहीं बाहर नहीं गई है। सरकार की ही मशीन है और उसी विभाग की मशीनरी है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न जांच का है कि पुस्तिका के ऊपर गवर्नमेंट प्रेस की कोई मोहर नहीं है। अब किस जगह वह छपी है, यह मामला जांच तलब है और जब वह दूसरी जगह छप सकती है तो फिर छपने के साथ साथ लीक आउट भी हो सकती है, तो यह जांच होनी चाहिये कि जब वह गवर्नमेंट प्रेस में नहीं छपी और दूसरी जगह छपी है तो वह कौनसी जगह से छपी है और लीक आउट कैसे हुई ?

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्पष्ट कर दूं कि title paper is printed by the Government Press.

श्री भैरोंसिंह : एक विशेष मशीनरी है जिसने छापा और टाइटल पेज़ दूसरे पेज़ में छपा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जब आपने आदेश दे दिया उसके बाद में मैं, समझता हूं कि प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। मैं समझता हूं कि बज़ट में लीकेज़ की जो बात आती है वह बजट के टैक्सेशन प्रपोज़ल्स पर होती है आम तौर से। वरना आजकल तो प्लान का बज़ट जो सारा का सारा है वह ढ़ाई तीन महीने पहले एप्रूव हो जाता हैं, इसको सब जानते हैं और हमें क्या क्या रिसोर्सेज़ रेज़ करने हैं वह सब को तीन-तीन महीने पहिले मालूम होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बजट के और दूसरे मैटर को देख कर मालूम हो सकता है कि क्या क्या टैक्स आने वाले हैं। मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि उसका टाइटल कवर गवर्नमेंट प्रेस में छपा है दूसरा नहीं।

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी गई है, आगे कोई बहस नहीं होगी।

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८····

श्री शिवचरणदास (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : वह देर से आया था इसलिए विचार नहीं किया जा सका।

श्री शिवचरणदास : मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : निवेदन की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तर बाद में दिया जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों के लिए १९५९-६० के व । में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १९९६५५०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

Page No.34

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

[**श्री जगदीशप्रसाद प्रस्ताव करेंगे :** "मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८—सिंचाई आदि में १) रु० की कटौती की जावे (लघु सिंचाई योजना पर विचार करने हेतु)"

श्री सोहनलाल भटनागर प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचाई आदि में १) रु० की कटौती की जावे (लघु सिंचाई योजना पर विचार करने हेतु)"

"Demand No XXXII Maior Head 68 Construction of Irrigation, Navigation etc. be reduced by Re 1/-(to discuss the failure of the Govt. in the construction of Bandora, Malpura, Manpur and Phila tanks in Udaipur Distt)"

'Demand No. XXXII Major head 68 Construction of irrigation Navigation etc. be reduced by Re. 1/-(to discuss the Jaisamand canal in Udaipur Distt.)"

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी : "मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचाई आदि में १) रु० की कटौती की जावे (लघु सिंचाई योजना पर विचार करने हेतु)"

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचाई आदि में १) रु० की कटौती की जावे (लघु सिंचाई योजना पर विचार करने के लिये)"

श्री अनोपसिंह प्रस्ताव करेंगे: "That the demand No. XXXII Major head 68 Construction of Irrigation, Navigation etc. be reduced by Rs. 100/-(to discuss the failure of the Govt. in providing any minor irrigation scheme in the block area of Siwana, Distt Barmer)"

श्री नाथूराम प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन, नौ चालन तटबन्धन में १) रु० की कटौती की जावे (बांसवाड़ा जिले की, तहसील बागीडोरा एवं तहसील गढ़ी में लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य नहीं होने पर विचार करने हेतु)"

श्री लक्ष्मण हीरात प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन आदि में १) रु० की कटौती की जावे (उदयपुर ज़िले के कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया खैरवाड़ा, सराड़ा तहसीलों में लघु सिंचाई योजनाओं पर विचार करने हेतु)"

"मांग सं० ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन में १) रु० की कटौती की जावे (उदयपुर ज़िले के पहाड़ी क्षेत्र में छोटे २ तालाब बनवाने हेतु)"

श्री विद्यासागर प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन में १) रु० की कटौती की जावे (फलासिया, खैरवाड़ा लघु सिंचाई योजनाओं पर बहस करने के लिए)"

श्री शिवचरणदास प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन नौचालन, तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण में (जिला भीलवाड़े की सिंचाई योजनाओं पर वाद विवाद करने हेतु)"

श्री रामचन्द्र प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचाई में १) रु० की कटौती की जावे (झालावाड़ ज़िले में सिंचन का अभाव तथा ढिलाई पर बहस करने के लिए)"

श्री तेजराम गलोत प्रस्ताव करेंगे : "Demand No. XXXII Major head 68 Construction of irrigation, Navigation etc. be reduced by Re. 1/-(to discuss the distribution of water from Jaswant Sagar and Bangaga in Bilara Tehsil)"

"Demand No. XXXII Major head 68 Construction of irrigation, Navigation, Embankment etc. be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of Govt. to under take minor irrigation projects in Pali Distt.)"

श्रीमती सुमित्रा प्रस्ताव करेंगी कि : 'मांग सं० ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन में १) रु० की कटौती की जावे (झुंझनू ज़िले में लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य नहीं होने पर विचार करने हेतु)'

डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे कि : 'मांग सं० ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण पर १) रु० की कटौती की जावे (उर्मिला सागर से निकलने वाली नहरों में वृद्धि करने पर वाद विवाद करने हेतु)'

'मांग सं० ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण में १) रु० की कटौती की जावे (योजनाओं का समय पर पूरा न होने के कारणों पर वाद विवाद करने हेतु)'

मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण में १) रु० की कटौती की जावे (रात को खारं बंध निर्माण पर वाद विवाद करने हेतु)'

श्री रामेश्वरदयाल प्रस्ताव करेंगे कि: 'मांग सं० ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण में १००) रु० की कटौती की जावे (कोटा जिला तहसील किशनगंज में गढ़ा में स्थित उम्मेदसागर तालाब की दीवार व नहर बनाने पर विचार करने के लिये)'

श्री लक्ष्मीचन्द प्रस्ताव करेंगे कि : 'मांग सं० ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन में १) रु० की कटौती की जावे (सांचोर तहसील में भाव के पास बांध लगाकर नहर से पानी सप्लाई करने की योजना चालू करने पर विचार करने के लिये)'

'मांग सं० ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन में १) रु० की कटौती की जावे (सांचोर तहसील में नयड एरिया में बांध बनाने पर विचार करने के लिये)'

श्री श्रीभानसिंह प्रस्ताव करेंगे : 'Demand No. XXXII Major Head 68 Construction of Irrigation, Navigation be reduced by Re. 1/-(to discuss the measures for preventing the floods in Bharatpur Distt.

श्री धन्नालाल हरित प्रस्ताव करेंगे कि : 'मांग सं० ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन में १) रु० की कटौती की जावे (चम्बल बांध से सिंचाई हेतु नहरों के निर्माण कार्य में मिट्टी खुदाई का कार्य मजदूरों

(श्री धन्नालाल हरित)

द्वारा न करवाया जाकर बड़ी बड़ी मशीनों को उक्त कार्य में लगाने पर बहस करने के लिये)'

'मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन में एक रुपये की कटौती की जावे (कोटा जिले में छोटे पैमाने की सिंचाई के निर्माण कार्यों पर की जाने वाली ढिलाई पर बहस करने के लिये)'

श्री भोगजी भाई प्रस्ताव करेंगे कि : 'मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, तटबन्धन में से १००) रुपये की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिले में पहाड़ी भूमि पर किसानों को लघु सिंचाई सम्बन्धी सुविधा देने पर विचार करने हेतु)'

श्री भंवरलाल शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि : 'मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, जल निकास निर्माण में एक रुपये की कटौती की जावे (सिंचाई की नहरों के लिए जिन किसानों की जमीन प्राप्त की गई है उन्हें मुआवज़ा नहीं मिलने, नाप पूरा नहीं होने आदि के बारे में बहस करने के लिये)'

श्री मुरलीधर व्यास प्रस्ताव करेंगे कि : 'मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन आदि में १) रु० की कटौती की जावे (गुडा बांध के निर्माण में उपेक्षा के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)'

श्री सम्पतराज जैन प्रस्ताव करेंगे कि : 'मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन और तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जावे (झालावाड़ जिले की मध्यम सिंचाई योजनाओं पर बहस करने के लिये)'

'मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन और तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण में १) रु० की कटौती की जावे (छोटे सिंचन निर्माण कार्य में असफल रहने पर बहस करने के लिये)']

कटौती प्रस्ताव, श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८, सिंचाई विभाग पर लघु सिंचाई योजनाओं पर विचार करने के लिए मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है।

आज जिस प्रकार की योजनाओं के अन्दर हम कृषि को जितना महत्व देते हैं उसके आधार पर कृषि किस प्रकार से सफल हो, उसके लिए जो सिंचाई की योजनाएं हैं, राज्य में आज कई प्रकार से चल रही हैं। कुछ योजनाएं बड़ी हैं, कुछ मीडियम श्रेणी की हैं और कुछ छोटी श्रेणी की योजनाएं हैं। अब हमको देखना है कि हमारे प्रान्त में किस प्रकार की योजनाओं से अधिक लाभ हो सकता है। आज हमारे बजट के अन्दर सिंचाई योजनाओं पर जितना रुपया व्यय हो रहा है, जितना रुपया खर्च कर रहे हैं, हमारे प्लान के आधार पर जितना रुपया खर्च हो रहा है, वह अधिकांश आज बड़ी सिंचाई योजनाओं पर हो रहा है और उसका जो आउटपुट हो रहा है, उसका जो रिटर्न मिलना चाहिए, कृषि के अन्दर जितना विकास होना चाहिए, वह विकास हो सकेगा या नहीं, या जितना होना चाहिए उतना हो

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सकेगा या नहीं, यह अवश्य विचारणीय प्रश्न है । आज वैसे हमारे प्रान्त के अन्दर राजस्थान नहर जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जिनसे इस प्रकार की आशा की जा सकती है कि बीकानेर ज़िले में और जैसलमेर ज़िले में जो कि बहुत बड़ा रेतीला भाग है, कुछ आने वाले वर्षों के अन्दर, वह बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो जायगा इसके साथ ही कोटा के अन्दर चम्बल पर बांध बनाया जा रहा है । उससे कोटा ज़िला और उसके आस पास के इलाकों के अन्दर जिधर चम्बल की नहर जायगी, पानी मिलेगा । उस क्षेत्र को उससे बहुत बड़ा लाभ होगा । इन दो बड़ी बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त भी कुछ छोटी छोटी योजनाएं हैं, छोटी छोटी नदियों पर बांध बनाये जा रहे हैं जिससे बहुत बड़े क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार की अपेक्षा की जाती है कि उनके अन्दर सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दोनों बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त, गंगा केनाल जो पहले से चली आ रही है गंगानगर ज़िले के अन्दर, यदि उसको छोड़ दें और जो बांध स्वयं सरकार बांध रही है या पहले से बने हुए बांध हैं उनको छोड़ दें तो भी राजस्थान का बहुत बड़ा भाग यानी तीन चौथाई भाग ऐसा मिल जायगा जो कि इन सिंचाई योजनाओं से कवर नहीं होगा । वह बहुत बड़ा भाग है जहां पर इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं होता है, तो उन स्थानों के लिए जहां इन बड़ी बड़ी योजनाओं का कोई उपयोग नहीं है, क्या व्यवस्था है ? उन स्थानों की व्यवस्था करने के लिए कई स्थानों पर जहां कि भाखरा और चम्बल से बिजली जायगी, तो ट्यूब वेल्स की योजना बनाना चाहिए । सब जगह ट्यूब वेल्स का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन और भी कई छोटी छोटी योजनाएं हो सकती हैं जिनके आधार पर हम इन क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं । इसके बारे में सबसे पहले आवश्यक योजना है जिसको कि स्वयं काश्तकार लोग मिलकर कर सकते हैं, वह है कुंए की योजना । कुओं की योजना के संबंध में हमारी सरकार की जो नीति है वह एक प्रकार से दोहरी नीति है, और उस नीति से मेरी समझ में नहीं आया है कि वास्तव में उनके पास कोई योजना भी है या नहीं । इस नीति में सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग भी है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, कुओं के निर्माण के लिए सरकार ऋण देती है । बड़ी योजनाएं जो सरकार बना रही है उनसे बाद में सिंचाई पर लगान वसूल करती है । कुओं के बनाने के लिए वह ऋण देती है, और ऋण देने के लिए उसने दो साधन अपना रखे हैं । कुओं के लिए ऋण दिया जाता है, तहसील के द्वारा, तहसील में तकावी कमेटी होती है वहां की सारी मांगों के आधार पर तकावी कमेटी रुपया अलॉट करती है । दूसरी तरफ कुंए बनाने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऋण देता है । और दोनों डिपार्टमेन्टस के अन्दर, आपस के अन्दर कोई सहयोग नहीं है । किस कुंए के लिए तहसील की तकावी कमेटी ऋण देगी और किस स्थान पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देगा, आज इस प्रकार की कोई योजना नहीं है । दोनों डिपार्टमेंट में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है । या तो यह हो कि अगर वास्तव में हम सारी सिंचाई की योजनाओं का विकास करना चाहते हैं, और एग्रीकल्चर का विकास करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सिंचाई डिपार्टमेंट से संबंधित सारे महकमें

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एक ही मिनिस्टर के हाथ में देना चाहिए। वही मिनिस्टर एग्रीक्लचर का भी इन्चार्ज हो और वही मिनिस्टर सिंचाई की योजनाओं का इन्चार्ज हो। एक मिनिस्टर के अन्तर्गत दोनों ही विभाग हों और उनका एक ही सेक्रेटरी होना चाहिए। वर्ना जो तकावी दी जाय, या ऋण दिया जाय, वह एक ही डिपार्टमेंट के मार्फत होना चाहिए, और एक कन्सोलिडेटेड फन्ड तहसील या जिले के अन्दर, ऋण देने के लिए संस्था के पास में रहेगा। आज इस प्रकार से होता है कि एक कुंए पर ऋण लिया जाता है तहसील से और उसी कुंए के लिए एग्रीक्लचर डिपार्टमेंट से भी ले लिया जाता है। ब्लॉक डवेलपमेंट के अन्दर जो योजनाएं बनती हैं वहां से भी ऋण मिलता है तो वहां से भी ले लिया जाता है। इस तरह से उसी कुंए पर तीन चार जगहों से ऋण ले लिया जाता है। आज सरकार के पास कोई योजना नहीं है इसको बन्द करने के लिए। इसको चैक करने की कोई तैयारी नहीं है। इन सारी चीज़ों को रोकना होगा।

फिर सवाल यह है कि किस ज़िले में किस प्रकार के कुंए खोदने से, किस प्रकार से विकास हो सकता है इस प्रकार की योजना कोई नहीं है। कई ज़िलों में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, और कई ज़िलों में बिल्कुल ही नहीं हैं। हमारे सीकर और झुन्झुनू ज़िले के लिए एक कमेटी बनी थी यह देखने के लिए कि दोनों ज़िलों में इर्रिगेशन की क्या पोटेन्शियेलिटीज़ हैं। उसका कितना विकास हो सकता है, उसके लिए कमेटी बनी। उसके बाद में लगभग साल भर होने आया है लेकिन उस कमेटी में सिफारिशों पर अब तक कोई काम शुरु करने के लिए ध्यान नहीं दिया गया है।

हम जितना प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग करने का आधार होना चाहिए। अभी दो दिन से बहस चल रही थी सहकारिता और खाद्यान्न के व्यापार के बारे में, तो उन सारी योजनाओं का जो आधार होना चाहिए वह कृषि है। जब अधिक अन्न उपजेगा तो सहकारिता का जो लक्ष्य, हमारी सरकार ने सामने रखा है, वह भी पूरा होगा। जब अधिक अन्न उपजेगा तो खाद्यान्न के व्यापार की आवश्यकता नही पड़ेगी। अन्न खूब होता है लेकिन व्यापारी लोग गड़बड़ करते हैं इसलिए सरकार ने अपने हाथ में लिया है। यह योजना भी तभी सफल हो सकती है जब कि पैदावार अधिक हो, और पैदावार तभी अधिक हो सकता है जब कि सिंचाई के साधन ठीक ढंग से बनायें। अगर हेपहैज़र्ड वे में हमारी योजनाएं चलीं तो जो आज एक बहुत बड़ा प्रोब्लम पश्चिमी पाकिस्तान में आ रहा है, हमारे पूर्वी पंजाब में आ रहा है, नहर का जाल वहां जिस ढंग से बिछाया जा रहा है उसके कारण से सबस्वाइल वाटर की सतह ऊंची बढ़ती जा रही है। वहां के जितने भी इन्जीनियर्स हैं उनके लिए यह प्रोब्लम है। पिछले दिनों में अनाप शनाप ढंग से नहरों का जाल बिछाया गया, योजनाबद्ध काम नहीं हुआ। सबस्वाइल वाटर के कारण लाहौर नगर और दिल्ली नगर के लिए ऐसा कहा था कि कुछ वर्षों के बाद में यदि सबस्वाइल वाटर की ठीक ढंग से योजना नहीं बनाई गई, तो बड़ी बड़ी नहरों के अन्दर कीचड़ हो जायगा। आखिर यह एक प्रोब्लम है।

राजस्थान केनाल जो है वह करोड़ों

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रुपये की योजना है। चम्बल करोड़ों रुपये की योजना है। उन योजनाओं को सरकार ने हाथ में लिया है। ठीक है ले लिया है, लेकिन इन योजनाओं से ही केवल हमारे प्रान्त का कल्याण होने वाला नहीं है। केवल जो मेजा बान्ध या अड़वड़ का बान्ध है या जितने भी उदयपुर डिविज़न में बान्ध बने हैं उन बान्धों के कारण हमारे प्रान्त का कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे प्रान्त का अधिकांश भाग ऐसा हैं जहां अधिकाधिक मात्रा में कुंए खोदकर, ट्यूब वैल खोदकर, अधिकाधिक मात्रा में कुओं के द्वारा, रैहट के द्वारा, या कुंओं के अन्दर इन्जिन बैठाकर सिंचाई कर सकते हैं। इन योजनाओं पर हमारी सरकार अधिकाधिक ध्यान दें। वह तभी ध्यान दे सकती है जब कि लघु सिंचाई की योजनाओं का अपने प्रान्त में कैसे विकास हो, हमारी सरकार और और बातों के लिए बड़े २ बोर्ड बैठा देती है, उसी प्रकार से उनके लिए बोर्ड बैठाये। लघु सिंचाई योजनाओं का विकास किस ढंग से हो सकता है इसके लिए एक बोर्ड बैठाये स्पेशली। वह बोर्ड यह तय करें। जहां बड़ी सिंचाई योजनायें चल सकती हैं वहां चलने दें। बाकी प्रान्त में किस प्रकार से डवेलपमेंट हो सकता है, किस ज़िले में कितनी आवश्यकता है, वह बोर्ड निर्णय करे किस स्थान पर कितने कुंओं की आवश्यकता है वह निर्णय दे। कौन डिपार्टमेंट कितना ऋण दे, यह बात वह स्वयं तय करे। पहले वह यह तय करे कि किस ज़िले के अन्दर कितना विकास हो सकता है, उसके बाद में विकास के लिए ऋण दे। जो तकावी कमेटी ऋण देती है उसका क्या होता है कि वह पुराने कुंओं की मरम्मत के लिए ऋण जाता है। आप आंकड़े मंगाकर देखें तो ७५ प्रतिशत जो लोन दिया जाता है वह पुराने कुंओं की मरम्मत के लिए जायगा। नये कुंए कम बनते हैं। नये, कुंए कम बने तो इसका अर्थ यह है कि नये सिंचाई के साधन कम बन रहे हैं। पुराने कुंओं की मरम्मत भी जरूरी है, लेकिन नये साधन तैयार नहीं किये तो इसका अर्थ यह है कि हमारी उपज बढ़नी चाहिए। आज टार्गेट फिक्स करने में, आंकड़े तैयार करने में हमारा डिपार्टमेंट होशियार है। हमारा डिपार्टमेंट यह बताये कि कितने पुराने कुओं की मरम्मत के लिए कितना रुपया दिया, नये कुओं के लिए कितना रुपया दिया गया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो पता लगे कि वास्तव में योजनाओं की दृष्टि से कम काम हुआ है। यह तभी हो सकता है, जब आप एक बोर्ड बनायें, बोर्ड सारी योजनाओं को चैक आउट करे, कृषि और सिंचाई एक डिपार्टमेंट के नीचे हो, ये दोनों डिपार्टमेंट्स एक मिनिस्टर को दे दिये जांय और योजनाओं को कमेटी तय करे। यह नहीं कि ब्लॉक्स से अलग रुपया ले जाय, तहसील कमेटी से अलग रुपया ले जाय। एक स्थान से रुपया दिया गया तो पता होगा कि किस आदमी को रुपया दिया गया है, उसका प्रोपर ढंग से उपयोग हुआ है या नहीं। अन्यथा जो ऋण दिये जा रहे हैं, उनका उपयोग होने की बजाय दुरुपयोग होता है, वह ऋण दूसरे काम में लगा दिया जाता है। अभी जो रबी अभियान चला, उसके आधार पर तकावियां दी गईं लेकिन तकावी उस समय दी गई, जब रबी का काम चालू हो गया था। उसके बाद काश्तकारों को बीज

Page No.40

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दिये गये। अगर तकावी बाद दी जाती है तो यह कह सकते हैं कि इस वर्ष नहीं, तो यह अगले वर्ष में काम में आ जायगी। रबी अभियान चालू होने के बाद कुएं के लिए रकम दी जाती है तो मतलब यह है कि सरकार के पास अच्छा प्लानिंग नहीं है। यह ठीक है कि इस साल काम में नहीं आई तो अगले साल काम में आ जायेगी लेकिन वर्तमान में किस प्रकार विकास हो, इसके लिए योजना नहीं है। अगर कोई योजना होती तो तकावी पहले देते। आने वाले रबी अभियान के लिए तहसील कमेटी, ब्लॉक्स कमेटी तय करें किस किस स्थान पर कितने कितने कुएं हों, कहां विकास करना है, कहां मरम्मत करनी है, इसके बाद धनराशि तय करें तो उसका उपयोग होगा। अगर ऐसा न होगा तो न तो काश्तकार उपयोग कर सकते हैं और सारे के सारे पैसे का दुरुपयोग होगा। इन सारी बातों को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में कोई योजनाबद्ध काम नहीं किया गया तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। अगर आपको कृषि का विकास करना है, तो छोटी योजनाओं के आधार पर ही प्रान्त में कृषि का विकास हो सकता है। अगर मंत्री महोदय इन बातों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध काम करें, तो योजना सफल हो सकेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं, एक ४१ है, दूसरा ४८ है और तीसरा ६२ है। इन तीनों को मैं एक साथ लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इस दृष्टिकोण से पंच वर्षीय योजना का निर्माण किया गया है, उसमें भी कृषि का जो महत्व है, उसको ध्यान में रखा गया है। उसके बाद दूसरी पंच वर्षीय योजना बनी, उसमें भी कृषि व सिंचाई के बारे में ध्यान रखा गया है और इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो कुल १०६ करोड़ की योजना है, उसमें २८,१३,००० रुपया सिंचाई के लिए रखा है, जो करीब ३० प्रतिशत के आता है। इसमें से २७६·३० रुपया माइनर इर्रिगेशन के लिए रखा गया है। अब इस खर्च के आंकड़े, जो इन गत तीन वर्षों में हुआ है, मैं देखता हूँ कि १९५६–५७ में २९·१० लाख, १९५७–५८ में २९·३ लाख और १९५८–५९ में ५० लाख खर्च हुए। इस प्रकार १०८·१३ लाख हुए, यानि करीब ३९ पर्सेन्ट के खर्च हुआ है जब कि इन तीन वर्षों में ६० पर्सेन्ट के करीब होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अन्दर अलग अलग तरह की भूमि है और तरह तरह के रेगिस्तान हैं, दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्र है। इस तरह से अलग अलग भूमि के लिए अलग अलग सिंचाई साधनों की आवश्यकता को दृष्टि में लेते हुए, मेरे ख्याल से, राजस्थान केनाल, चम्बल आदि बड़ी योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पंच वर्षीय योजना बनाई गई, उस समय हमारे देश के जो समझदार लोग हैं, जो कृषि में खास ध्यान रखते हैं, उन्होंने तवज्जह दिलाई कि जो बड़ी योजनायें हैं, वे आगे जाकर पांच, दस वर्ष के अन्दर लाभ देने वाली है, इसलिए हमारी जो खाद्य समस्या की स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए लघु सिंचाई योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इस दृष्टि को लेते हुए प्रदेशों ने सेकिंड फाइव इयर प्लान में, माइनर इर्रिगेशन के लिए अलग रकम रखी। मद्रास और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

मध्य भारत ने काफी रकम स्वीकार की। भारत सरकार कह रही है कि वह इस रकम को और बढ़ाने को तैयार है, शर्त यह है कि यह रकम खर्च की जाय। अब सवाल यह पैदा होता है कि लघु सिंचाई के कुछ मौके हैं, जिनमें से खास तौर से उदयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, इनमें लघु सिंचाई के काम हो सकते हैं। कई मौके ऐसे होते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लघु सिंचाई की योजनाओं की ओर जितना सरकार को ध्यान देना चाहिए, वह नहीं दिया। यही कारण है कि हमें अधिक रकम नहीं मिली और जो कुछ रकम मिली हुई है, उसे पूरी तरह से प्लान के माफिक खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सरकार ने गत वर्ष ध्यान दिया और चीफ इन्जीनियर मुकर्रर किया। कुछ तब्दिलियां की, उसका नतीजा हम देखते हैं, वह बिल्कुल विपरीत निकला क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती के प्रस्ताव दिये हैं, वे चार तालाबों के सम्बन्ध में हैं। उनके निर्माण के लिए, सर्वे के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तीन चार वर्ष से इनके बारे में सिंचाई विभाग द्वारा जांच चल रही है, पिछले साल सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन दी, लेकिन एक वर्ष गुजर गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन देने के बाद भी उसमें काफी दिक्कतें पड़ती हैं। उसमें ऑब्जेक्शन किये जाते हैं। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ऑब्जेक्शन देता है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी देता है और फिर सेक्रेटरी देता है और उसके बाद फाइनेन्स डिपार्टमेंट देता है। इस प्रकार चार पांच ऑब्जेक्शन होते हैं एक दफा एक ने दे दिया, दूसरी दफा दूसरे ने दे दिया, और तीसरी दफा तीसरे ने दे दिया। सरकार ने भी माना है। सेकिंड फाइव इअर प्लान में सरकार ने माना है :

Procedural bottleneeks affected the progress of works on irregated projects during the year under review.

तो सरकार भी इस ओर जागरूक है कि प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं। मैं समझता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए और ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में कई ऐसी जगह हैं जहां तालाबों का निर्माण हो सकता है, कई जगह पुराने तालाब पड़े हुए हैं जिनका जीर्णोद्धार हो सकता है, लेकिन जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसको शीघ्र ही किया जाय। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन होने के बाद में जो कार्य देर से प्रारम्भ होता है, उसको जल्दी से प्रारम्भ करने की कोशिश की जाय।

तीसरा मेरा कट मोशन है वह जयसमन्द केनाल को लेकर है। राजस्थान के निर्माण के बाद, मैं मानता हूं जयसमन्द को काफी एन्करेजमेंट मिला है, उसकी पोटेन्शियलिटी को डवेलप किया गया है, उससे २५ हजार बीघा ज़मीन सिंचित होने लगी है। जब भूमि सिंचित होने लगी हैं तो एक नई समस्या उत्पन्न होने लगी है। गत वर्ष ५००, ६०० एकड़ भूमि को पानी नहीं मिला और काफी, फसल सूख गई, इसके साथ ही जो किसानों ने परिश्रम किया, खाद डाली, वह उनके सिर पर पड़ी। उसके बाद उन्हें डिमान्ड नोटिस दे दिये गये, मैं एग्जीक्युटिव इन्जीनियर को लेकर उस क्षेत्र में गया, सारी चीज़ें उनको

(श्री सोहनलाल भटनागर)

बताई। उसके बाद माननीय उप मंत्री जी वहां आये, उन्हें सारी स्थिति बताई। उसके बाद कहीं मसला हल हुआ। लेकिन अभी भी रेमीशन के बारे में कुछ नहीं हुआ है। इसके बावजूद वहां किसानों और उनके बीच झगड़े चल रहे हैं। किसी ने शिकायत कर दी कि एम. एल. ए. और इर्रिगेशन विभाग के कर्मचारी मिल कर सरकार को नुकसान दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ है, उसको देखते हुए रेमीशन दिया जाय। मैं नहीं कहता कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो दर्ज है, उसके अलावा दिया जाय। जो एक्चुअल लोस हुआ है, वह दिया जाय। मैं मानता हूं कि गत वर्ष की स्थिति को देखते हुए, सरकार ने वहां पर खर्च किया है, लेकिन फिर भी दिक्कत रही है। एक तरफ तो नहरों की कमी है और दूसरी तरफ नहरें पक्की नहीं हैं, जिसकी वजह से वे टूट जाती है और पानी ८,१० दिन के लिए रोक दिया जाता है। किसानों की भूमि बरबाद होती है, इसके साथ ही पानी नहीं मिलता है तो किसानों को दिक्कत होती है। इस ओर मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जयसमन्द केनाल, राजस्थान के माइनर इर्रिगेशन्स में सबसे बड़ी है, उसको ठीक करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह (मसूदा)।

(अनुपस्थित)

डॉ. चन्द्रकला।

डॉ॰ चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८, सिंचन नौका चालन आदि के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है वह लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में विचार करने हेतु है। हम देखते हैं कि यह बहुत बड़ी राशि लगभग २० करोड़ रुपये की इस मद में निर्धारित की गई है और उसका एक बहुत बड़ा भाग हमारे प्रान्त की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना राजस्थान केनाल के लिए रखी गई है। राजस्थान केनाल की चर्चा करते हुए मैं उस बड़ी योजना के महत्व को अस्वीकार नहीं करना चाहती, उसका भी महत्व है, और उसकी भी उपयोगिता है लेकिन वह योजना दूरगामी फल देने वाली है। आज उस पर खर्च अधिक होता है और उसका जो परिणाम सामने आयेगा, वह कुछ दिनों के बाद चल कर हमारे सामने आने वाला है लेकिन जो छोटी सिंचाई योजनायें हैं, वे हमारे इस प्रान्त की पहले से चली आती हुई प्रचलित योजनायें हैं और वे हमारे यहां के एकदम अनुकूल हैं। यदि हम उनकी ओर ध्यान देंगे, तो उनको थोड़ा विकसित कर सकें, उन योजनाओं को आगे बढ़ा सकें तो उसमें बहुत थोड़ा खर्च होता है, बहुत थोड़ा परिश्रम है, लेकिन बहुत अधिक परिणाम हम ले सकते हैं। यह हम सब जानते हैं कि हमारे यहां कुँए हैं, बावड़ियां है, छोटे छोटे तालाब हैं, इनसे सिंचाई होती है। कुओं के लिए अपर्याप्त तकावी कृषि विभाग से मिला करती है, उसकी बात मैं यहां नहीं करूंगी लेकिन छोटे छोटे तालाब और बरसात के दिनों में बहने वाले नालों को यदि कई जगहों पर थोड़ा सा व्यय करके, थोड़ा परिश्रम करके बांध करके, उन्हें बांध या तालाब बना दिया जाय तो निश्चित ही वे बहुत उपयोगी सिद्ध

(डॉ० चन्द्रकला)

हो सकते हैं। यह माना कि उनमें सिंचाई नहीं हो सकती लेकिन उनकी तरी से हमको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। उसकी तरी से आस पास की फसल अच्छी हो सकती है, आस पास के कूँओं में पानी आ सकता है, उसके द्वारा अच्छी फसल हो सकती है। हम सब जानते हैं कि बरसात के बाद ही जो फसल रबी की होती है, उसको पीवल की जरूरत होती है। यदि हम बरसात के पानी को, जो नष्ट चला जाता है, किसी तरह से रोक लें तो वह सूखते सूखते भी अपना बहुत सारा काम कर दिया करेगा। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं और बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूं कि अभी इस बजट में जो लघु सिंचाई योजनाओं के नाम पर जो धन राशि रखी गई है, वह बहुत थोड़ी है और थोड़ी होते हुए भी इसका उपयोग बहुत ठीक तौर से नहीं हो पाता है। जहां तक मुझे मालूम है, यह राशि-कलेक्टर को या ज़िला विकास समिति के अध्यक्ष को दे दी जाती है। वह विकास समिति की राय से कुछ तालाबों की मरम्मत, कुछ तालाबों की टूट फूट से बचाने के लिए खर्च किया करते हैं। अच्छा यह हो कि सरकार की ओर से पूरे प्रान्त का इस दृष्टि से सर्वे हो कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए कहां कहां क्या क्या काम किया जा सकता है और वह बहुत विस्तार के साथ हर जगह पर हो, कि कहां तो हमको इस तरह पानी उपलब्ध है, जिसको रोक कर हम पानी रोक लें, कहां पर किस तरह का काम किया जा सकता है। बहुत जगह ऐसी हैं जहां पूंजी थोड़ी लगानी पड़ती है, वहां गांव वालों के सहयोग से, श्रमदान से बहुत सारी मदद मिल सकती है, क्योंकि गांव वालों को फायदा होने वाला है, इसलिए इस काम के लिए वे तत्परता से तैयार हो सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि वह एक बार छोटी सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में एक बहुत विस्तृत, प्रान्त व्यापी योजना बनाये और उसे कार्यान्वित करें। उससे बहुत जल्दी अपनी समस्या हल हो सकती है। हमारी सारी सिंचाई योजनाओं के पीछे अधिक अन्न उत्पादन का लक्ष्य है और आज कल सारे देश को खाद्य समस्या ने चिन्तित कर रखा है और सारे प्रयत्न उस दिशा में हो रहे हैं। इसलिए आज की इस स्थिति में छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर ध्यान देना विशेष अनिवार्य है लेकिन बड़ी योजनाओं की ओर हम ध्यान दे रहे हैं, वे भी बहुत अच्छी हैं लेकिन आज की समस्या में उतनी मददगार नहीं हो सकती हैं जितनी छोटी सिंचाई योजनाएं हो सकती हैं। तो मैं सरकार से एक बार फिर निवेदन करना चाहती हूं कि छोटी योजनाओं की ओर अब तक रही हुई उपेक्षावृत्ति को छोड़ दे और तत्परता के साथ इनको विकसित करने की ओर ध्यान दे और लघु सिंचाई योजनाओं का विकास करके देश का विकास करने में सफल हो।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या ३२ लघु सिंचाई पर विचार करने के लिए अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यह तो एक सर्वसम्मत सिद्धान्त निश्चित हो चुका है कि

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हमारे देश में सबसे ज्यादा और सबसे अधिक आवश्यकता अन्न की है और अन्न उत्पादन का जो सबसे बड़ा साधन है, वह है सिंचाई। सिंचाई के दो प्रकार हैं, एक सिंचाई वह, जो बड़े साधनों से सम्पन्न की जाय, दूसरी सिंचाई वह, जो छोटे साधनों से की जाय। बड़े साधनों के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि वे तो अच्छी गति से चल भी रहे हैं लेकिन मुझे जो कुछ कहना है, वह छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में है। छोटी सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में मेरा निश्चित मत है कि उनकी ओर सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं दे रही है। कम से कम जिन जगहों पर पहले छोटी योजनायें चलती थीं, सिंचाई की, उनकी ओर अब उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना कि उस समय दिया जाता था। कई छोटी छोटी रियासतें पुराने समय में थीं, जहां पर किसी प्रकार का पानी उपलब्ध नहीं था, वहां की स्थिति को देखें तो वहां के उस वक्त के शासकों ने अपने उस इलाके में अच्छी खेती उत्पन्न करने के लिए, किसानों की बढ़ोत्तरी करने के लिए इस प्रकार की बहुत छोटी छोटी योजनायें चलाई थी। मैं भरतपुर की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मुझे बतलाया गया कि भरतपुर में जो पुराने बांध हैं, उनकी संख्या २२४ है। अब राजस्थान बनने के बाद पांच नये बांध बने हैं। वहां २२४ बांध, जो कि १००, १५० वर्ष पहले से चले आ रहे हैं। उनकी ऐसी हालत बन गई है कि उनको कोई नहीं कह सकता। मेरा अनुभव है कि उनमें से चौथाई बांध ऐसे नहीं हैं, जिनको आज बांध कह सकते हों, इस हालत में वे हैं। वे सब टूट फूट गये हैं और उसका हर साल परिणाम देखते हैं कि भरतपुर में इतने बड़ी बाढ़ आती है। क्योंकि उन बांधों की मरम्मत नहीं होती है। आज वहां पर ठीक तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती है, वह इसलिए नहीं हो पाती है कि जो पुराने बांध थे, उनकी देख भाल ठीक तरह से नहीं हो रही है। अगर उन बांधों की ठीक तरह से देख भाल की जाती और उनसे निकलने वाली नहरें अब भी चलती होती, तो मेरा विश्वास है कि भरतपुर की स्थिति जो अब से १००, १२५ वर्ष पहले थी, वैसी ही होती। यह सवाल उठ सकता है कि १००, १२५ वर्ष पुरानी बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विशप हीवर के जो अनुभव हैं, उनकी पांच चार लाइनें पढ़ कर सुनना चाहता हूँ। पुरानी सिंचाई योजनायें भरतपुर में थीं, उस वक्त वे किस स्थिति में थीं और आज उनकी क्या हालत हो गई है, यह इससे मालूम होगा। वे बतलाते हैं...

यह १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में एक विशप जो वहां से हो कर निकला है, उसने यह रिपोर्ट दी है। उस समय जब कि राजा-महाराजाओं का युग था, उन्होंने किसानों की भलाई के लिये अपने राज्य की बहबूदी के लिये और अपने यहां के लोगों को अधिक से अधिक काम देने लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये थे।

श्री अनोपसिंह : माननीय अध्यक्ष कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : लेकिन अब जहां हम एक ओर बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, इस सम्बन्ध में काफी प्रचार और पब्लिसिटी होती है पर वास्तविक स्थिति को देखते हैं और खास तौर से स्थानीय स्थिति को देखते हैं तो बात विपरीत मिलती है। यद्यपि मैं भरतपुर में जा कर राजस्थान सरकार की प्रशंसा कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि राजस्थान केनाल निकल रही है जो सारे राजस्थान के एक भाग की भूमि को उर्वरा कर देगी, पर वे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पुराने बन्ध सब टूट फूट गये हैं, हमारी पुरानी नहरें रेते से पट गई हैं, हमारे यहां पर तो हमारे पुराने बांधों और नहरों की भी दुरुस्ती नहीं होती है तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मेरा मत है कि नये नये काम किये जायं तो बहुत अच्छा है, किसी भी स्थान पर राजस्थान की बहबूदी हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग पहले अपने यहां पर बांधों और नहरों का जाल सा बिछा देखते रहे हैं वे अपने इस जनतन्त्र के युग में देखते हैं, कि हमारे जो पुराने साधन हैं वे भी नष्ट भ्रष्ट होते जा रहे हैं, तो उनको इस बात में थोड़ा दुख होता है। मैं चाहता हूं कि जहां हमारी सरकार नये बांधों पर काम करवाती है, चम्बल योजना, भाखरा योजना और राजस्थान नहर निकालती है, यह बड़ी खुशी की बात है, पर साथ ही यह कहना चाहती हूँ कि भरतपुर जिले के जो पुराने २२४ बांध हैं, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जांच करें, कि उन पुराने बन्ध की क्या हालत है। इस समय शुगर मिल्स, आज हम उदयपुर में शुगर मिल की बात करते हैं, पर भरतपुर में शुगर मिल होती रही हैं, रूई काटन का काम वहां होता रहा है, वह सब आज वहां नहीं है, इसका कारण यह है, कि वहां पर जो पुराने सिंचाई के साधन, बांध और नहरें थीं वे आज नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं। नहरों में मिट्टी भर गई है, नहरें सिल्टेड हो गई हैं, इसी कारण वहां बाढ़ आती है, आज गम्भीर नदी इसी कारण अपना रास्ता छोड़ चुकी है, पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हम तो सोचते हैं, कि हमें भारत जो सरकार सहायता देती है, वह भाखरा और चम्बल के लिये देती है, उन्हीं को ध्यान में लाने के लिये इन पर पैसा खर्च किया जाय और काम कराया जाय। जनता के हित के लिये छोटी छोटी योजनाओं की तरफ हमारा ध्यान कम रहता है। मन्त्री महोदय, इस ओर ध्यान दें, और छोटी छोटी सिंचाई को विकसित करने का प्रयत्न करें।

इसके साथ ही मुझे यह निवेदन करना है, कि हमारी लघु सिंचाई योजनाएं बनती हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरे सम्बन्धित विभाग हैं उनसे परामर्श नहीं लिया जाता है, उनके साथ विचार विनिमय नहीं किया जाता है। जयपुर से भरतपुर की ओर और दौसा से गंगापुर की ओर जा कर देखें, वहां पर जो छोटी छोटी योजनाएं बनी हैं, बांध बने हैं, नहरें निकली हैं, वह इस तरह बनाई हैं कि सड़कें टूट गई हैं, इस बात की ओर ध्यान नही रखा गया है। सड़कों के ऊपर से पानी बहता रहता है। भरतपुर के रास्ते में काला लोह के पास जयपुर से ४० मील पर हर साल बरसात में सड़क टूट जाती है। हम दौसा से लालसोट गंगापुर की तरफ जाते हैं तो वहां चार, पांच जगह ऐसी मिलती हैं कि बंध के पानी से दो दो तीन तीन मील तक सड़कें पानी में डूबी रहती हैं। तो यह भी समन्वय होना चाहिये, विभागों में उसकी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कमी है । छोटी योजनाएं बनाते हैं, तो हमें देखना होगा कि उनका असर क्या पड़ता है, जो सड़कें पुरानी बनी हुई हैं उन पर इसका क्या असर पड़ता है । तो मैं समझता हूं कि हमारी सिंचाई योजनाओं में सिंचाई योजना के अधिकारी हैं वे पहले अच्छी तरह देख लें कि इन योजनाओं से जनहित के तथा और दूसरे कार्यों पर तो कहीं बुरा असर नहीं पड़ता है ।

छोटे छोटे मामलों में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी सरकार का लक्ष्य रहा है कि जनता से यदि परामर्श लेना आवश्यक हो तो जनता से लें । छोटी सिंचाई योजना केवल नहरों ही नहरों की नहीं है । मैंने दो तीन बार प्रश्न पूछा है, उनके उत्तर में बताया गया कि भरतपुर ऐसा इलाका है जहां नहर पहुँचाई नहीं जा सकती, वहां सिंचाई के लिये छोटी नहरें नहीं निकल सकतीं, तो कोई न कोई योजना वहां के लिये अवश्य ही निर्धारित करनी चाहिये । सिंचाई विभाग कहे कि हम वहां कोई नहर नहीं पहुंचा सकते तो वहां मैं कहता हुँ कि ट्यूब वैल बनाये जा सकते हैं । सिंचाई के लिये प्राकृतिक साधन हो सकते हैं वे वहां नहीं है, और दूसरे साधन बांध और नहरों से उपलब्ध कराये जा सकते हैं, वे भी वहां नहीं हो सकते हैं तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि और दूसरे कौनसे साधन हो सकते हैं जिनसे कि उन क्षेत्रों को सिंचत किया जा सकता है । वहां पर चार-चार, पांच-पांच सौ वर्ष पुराने कुएं हैं, जो बहुत दूर दूर तक भूमि की सिंचाई कर सकते हैं, पर उन कुओं पर इस प्रकार की सिंचाई के लिये एंजिन लगाने की आवश्यकता है । यदि उन कुंओं पर एंजिन लगा दिये जायं तो दूर दूर तक की भूमि उनसे सिंचित की जा सकती है । तो यह सिंचाई विभाग का काम है, कृषि विभाग और सिंचाई विभाग मिल कर योजना बनायें । मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि कृषि विभाग इसके लिये देखे कि कहां कहां पर योजनाएं, जो सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आती हैं, वे नहीं पहुंच सकती तो इसके लिये सुझाव दे और अपनी अलग योजना दें कि कहां कहां कुएं खुदवाने, बन्ध बंधवाने की आवश्यकता है और कहां कहां ट्यूब वैल बनाने की आवश्यकता है । यदि दोनों विभाग समन्वय से मिल कर काम करें तो छोटी सिंचाई योजनाओं की पूर्ति हो सकती है । मैं इस कटौती प्रस्ताव को पेश करते हुए इन तीन बातों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

पुराने टूटे फूटे बांध हैं और नहरें हैं उनकी मरम्मत कराई जाये, उनकी नहरें मिट्टी से भर गई हैं उनको ठीक कराया जाय । नहरें और बांध बनाते वख्त इस बात का ध्यान रखा जाय की इनका जो पुरानी सड़कें हैं, उन पर क्या असर पड़ता है । जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां कुंओं और ट्युब वैल का प्रबन्ध किया जाय ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री अनोपसिंह (बलोतरा): माननीय अध्यक्ष, हमारे सामने जब कभी भी प्लान की योजना की बात आती है तो कई ऐसी चीजें आती है जो सिर्फ कागज़ों तक ही रह जाती हैं और इसके कई उदाहरण पेश किये जा

(श्री अनोपसिंह)

सकते हैं। फिर यह बात तो तय है कि हमारी सरकार छोटी लघु सिंचाई योजनाओं को सिरियसली आज तक सोच ही नहीं पाई है। मोटे कायदे से हमारे प्लानिंग में जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है वह यह है कि हमने गलत चीज़ों के ऊपर गलत एम्फेसिस किया। जिन चीज़ों पर एम्फेसिस नहीं होना चाहिये वहां है और जहां होना चाहिये, वहां नहीं है।

हमने अब तक प्राथमिकता या प्रायोरिटीज़ को फिक्स अप करने में देरी की है या जो अदूरदर्शिता दिखाई, मेरे ख्याल से उसके होते हुए हमारे प्लान का सक्सेसफुल होना मुश्किल ही मालूम पड़ता है और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि लघु सिंचाई योजना उनमें से एक एग्ज़ाम्पल, जिन्हें प्रायोरिटी दी जानी चाहिये थी, उनको हम भूल गये हैं। हम चाहते हैं कि कृषि का उत्थान हो, हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े, नाज की कमी घट जाय या हो ही नहीं, लेकिन जब हम देखते हैं कि लघु सिंचाई योजना पर हमारी सरकार की उदासीनता है और उसको देखते हुए हमें ऐसा मालूम होता है किसी भी दिन हम उतना अनाज पैदा नहीं कर सकेंगे जो कि हमारे लिए पर्याप्त हो और इम्पोर्ट्स को रोक सके इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए यह अर्ज करूंगा कि जब हम यह चाहते हैं कि हमारे देश की उन्नति गांवों से शुरू हो, गांव की उन्नति वाकई तब ही हो सकती है कि जब लघु सिंचाई योजनाओं को सिर्फ कागज़ों में ही रखा न देखकर उनको एक्चुअली एग्ज़ीक्युट करवा कर देखें। जैसा वित्त मंत्री महोदय के भाषण में यह स्पष्ट है कि चावण नामक कुंआ जैसलमेर में है वह ५० हजार गैलन पानी प्रति आवर देता है, मैं समझता हूं कि वह पानी इतना देता है कि सारे हिन्दुस्तान का और कोई ट्युब वैल न देता हो और कहीं ऐसा कुंआ न हो। चावण नाम का गांव है, वहां ट्युब वैल चालू किया है, उसकी कैपेसिटी पचास हज़ार गैलन पानी प्रति आवर है। इस तरह के एक कुंये पर रुपया खर्च हुआ और सफलता मिली है तो गवर्नमेन्ट को फिर किसकी इन्तजार है? एक ऐसा एरिया जहां गवर्नमेन्ट को मालूम हो गया कि ट्युब वैल के ज़रिये से इतना पानी निकल सकता है तो फिर किसकी इन्तज़ार हैं, किसके लिए ठहरे हुए हैं? या तो हम अपनी बात के पक्के नहीं हैं, उसको सिरीयसली नहीं लेते और लेते हैं तो सोच कर भी उसको कार्यान्वित नहीं करना चाहते हैं। वह चावण का कुंआ दो साल तक पड़ा रहा और उसके बाद उसकी किसी तरह से साल सम्हाल नहीं हुई और यह भी तय नहीं कर पाये कि इसको कौन राजस्थान गवर्नमेन्ट चलावेगी या सेंट्रल गवर्नमेन्ट, चलावेगी। अब सुना है कि वह जो ट्युब वैल खुदी है उसको राजस्थान गवर्नमेन्ट अपने हाथों में लेकर वहां पर सिंचाई की योजना बनायेगी। सरकार दो साल बाद यह तय कर पायी है। इसी तरह से दो साल, तीन साल निकल गये, यहां की हालत और आर्थिक स्थिति, खेती की क्या परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए आप प्रायोरिटी फिक्स अप नहीं कर सके कि हमको वहां पर क्या करना है? यह बड़े दुख की बात है कि जहां पानी मिलता है वहां तो उसको काम में नहीं लाते और जहां पानी है ही नहीं वहां तो क्या कहा जा सकता है। यह हमारी गलती है, जहां चीज़ मिलती हैं उसका उपयोग करने में तो बैठे रहते हैं या उंगते रहते हैं। मैं तो यह कहूंगा चाहे आप कुछ समझें, भी हमारे

(श्री अनोपसिंह)

इस विभाग के इन्जीनियर्स हैं वे सोते रहते है। चांवण में पचास हजार गैलन पर आवर पानी की जहां कैपेसिटी है उस ट्यूब वैल के लिए दो साल तक तय नहीं कर पाये और सोते रहे।

जिस तरफ मैंने कट मोशन रखा है, सिवाणा, बाड़मेर में चार साल से लोग चिल्ला रहे हैं। लघु सिंचाई योजना के लिये बार बार वहां के कलेक्टर ने, बी. डी. ओ ने, डवेलपमेन्ट कमेटी ने, प्रस्ताव रखे, सुझाव रखे, बार बार ब्लॉक डवेपलमेन्ट कमेटी में सुझाव दिये गये हैं कि यह करके बताया जाय तो समझा जायगा कि कोई ठोस काम ज़िले में हुआ है। यह कोई ठोस काम नहीं हुआ कि बी. डी. ओ. का क्वार्टर बना दिया या और कुछ। लघु सिंचाई योजना को एग्ज़ीक्युट करके बताते, उससे उत्पादन में भी सहयोग हो सकता था। बी. डी. ओ. का बंगला, देश में प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायक नहीं हो सकता, मैं मानता हूं कि उनको फेसिलिटीज़ देनी चाहिये। लेकिन जिन कामों को करना चाहिये था उनकी प्रायोरिटीज़ हम फिक्स नहीं कर पाये। रोंग बेसिस पर चलते रहे जिससे कि जो रिज़ल्टस हमें मिलने चाहिये थे वे नहीं मिले, और इतनी धन राशि खत्महोने के बाद भी नहीं मिले। सिवाणा में मैं अर्ज करूं कि तीन चार प्रपोजल्स थे। जैसे सेला बांध बन सकता है, बामसीन एम्बेकमेन्ट बना कर सिंचाई हो सकती है, गुडाना बांध बन सकता है, लेकिन इन्जीनियर ने सर्वे करके कह दिया कि इससे कोई फायदा नही होगा। फलां फलां में यह नहीं होगा। हर बात को टाला जाता हैं। केवल सुस्ती है और वे उन प्रपोजल्स को देख ही नहीं पाते। क्या कारण हैं आखिर? केवल एक सुस्ती ही नज़र आती है। घोड़ा कागज़ों का तो दौड़ता रहता है लेकिन होता हुआ ता कुछ नहीं, केवल कागज़ी ही कार्य वाही होती रहती है। लोग प्रपोज़ल्स देते हैं, उनको एग्ज़ामिन करने के लिए आपके इन्जीनियर्स तैयार नहीं, इन्जीनियर्स आते हैं सरसरी तौर पर देख कर चले जाते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं कि यह नहीं हो सकता। इसका कारण तो यही है कि इन्जीनियर्स सीरियसली उन बातों के अन्दर घुसना नहीं चाहते। यदि आपके मन में यह बात नहीं है तो फिर करके बताओ। आपने सर्वे कराया होगा लेकिन उसको भी सीरियसली नहीं लिया, इन्जीनियर्स ऊपर के ऊपर देख कर चले जाते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं। अभी दस दिन पहले ही एक इन्जीनियर महोदय जो यंगेस्टर थे, आये थे, वे चाहते थे कि कुछ कर सकूं, अब उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है मुझे मालूम नहीं है। सिवाणा ब्लॉक्स के नोर्मलाइज़ होने का वक्त आगया है। काम खत्म होने आया, तो सर्वे हो रहा है और रिपोर्ट्स उनकी मांगी जा रही है जिनके चार साल पहले प्रोपोज़ल्स दिये थे, क्लेक्टर ने लिखा था, बी. डी. ओ ने लिखा था। हम उस एरिया में काम करें, प्रपोज़ल्स दें, और कोई कदम आप नहीं उठाते हैं, तो फिर क्या है। हमें समझ में नहीं आया कि आप हमको वहां तो रखते हैं कमेटियों में और चाहते हैं कि सर्वे कराके प्रपोजल्स दें, देते हैं लेकिन टैक्निकली एग्जामिन करने का काम जो कि वह ठीक है या गलत है, आपके डिपार्टमेन्ट का है लेकिन आपके डिपार्टमेन्ट की इतनी सुस्ती कि जो काम तीन साल पहले खत्म हो जाना चाहिये, आज उसका सर्वे हो

(श्री अनोपसिंह)

रहा है। हमारे कागज़ बनते हैं और प्रपोज़ल्स उन्हीं कागजों के ढेर में दबे चले जाते हैं, मौके पर आकर नोट करके चले जाते हैं, और फिर न मालूम क्या अफीम खा कर पड़े रहते हैं कि कोई कदम नहीं उठाते।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करूं कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंन्ट के साथ रखा गया है। हो सकता है आप का हर जगह राजनैतिक दृष्टिकोण हो, हर जगह अपनी पार्टी और पोलिटिक्स के साथ आपको काम करना पड़ता है तो डींग हांकना बन्द करें कि आप पूरे देश की और राजस्थान के हित की बातें करना चाहते हैं।

१ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यदि हित करना चाहते हैं तो फिर ऐसे एरियाज़ को सामने रखना पड़ेगा, जहां पानी की कमी है और बांध बन जाता है तो क्या फायदा हो सकता है, वह मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई होने से खेती होगी। पानी रुक जाने से इरोज़न हो जाता है। आसपास के कूओं में पानी स्तर ऊपर आ जाता है, ये सारी चीजें ऐसी है जिनके कारण सिंचाई की योजना से काफी फायदा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, ये चीज़ें जो हमारे सामने आयी हैं उनके अनुसार मेरा तो यह मत बनता जा रहा है कि आपके डिपार्टमेन्ट के इन्जीनियर हैं वे ठीक प्रकार से सर्वे करके रिपोर्ट नहीं देते। मैं इस बारे में डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटियों में कह चुका हूं लेकिन आज दिन तक इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मुझे यह कहा जा सकता कि आप टैक्निकल बातों में क्या समझते हैं। लेकिन आपके सामने जो प्रपोज़ल हम रखते हैं वे ठीक हैं या नहीं यह तो आप बतला दीजिये। मैं लगातार तीन चार साल से यह देखता आ रहा हूँ कि आपके डिपार्टमेन्ट वाले इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ऐसी हालत में जो आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं वह कैसे बढ़ेगा। अगर आप राजनैतिक कारणों के आधार को मान कर के चलते हैं तो वैसा कह दीजिये फिर हम आपको आगे प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप हर स्थान को समान रूप से फायदा देना चाहते हैं, प्रत्येक को अपना ड्यू शेयर देना चाहते है तो आपको अपने राजनैतिक कारण और अपनी पार्टी बाज़ी के आधार को छोड़ना पड़ेगा, पार्टी कन्सीडरेशन आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, तीन चार जगहों के प्रपोज़ल्स थे इसके बारे में बी० डी० ओ० ने और कलेक्टर ने कई बार लिखा भी है। अब ब्लॉक का जो काम है वह नोर्मेन्लाइज हो जायगा, वहां अब आगे क्या प्रगति होने वाली है, यह तो भगवान ही जाने। बी० डी० ओ क्वार्टर बन चुके और भी छोटी मोटी चीज़ें बन चुकीं, इसके सिवाय कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से यह आशा करता हूं कि इन सब बातों पर ध्यान रख कर वाकई इस ओर कदम बढ़ायेंगे, ताकि इस डिपार्टमेन्ट में जो सुस्ती व्याप्त है उसमें जरा चुस्ती आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री नाथूराम ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है, बांसवाड़ा जिलों की तहसील बागीड़ोरा एवं तहसील गढ़ी में लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य नहीं होने पर विचार करने हेतु ।

उपाध्यक्ष महोदय, बासवाड़ा ज़िला वैसे ही पिछड़ा हुआ है और आदिवासी क्षेत्र है उस ज़िले में अधिकतर आदिवासी लोग और अन्य पिछड़े हुए वर्ग के लोग रहते हैं । तहसील गढ़ी और बागीडोरा, ये पिछड़े हुए ऐसे क्षेत्र है कि जहां किसी प्रकार की तरक्की नहीं होती । इस विभाग की तरफ से आज तक कोई काम नहीं हुआ है । तहसील बागीडोरा और गढ़ी में छोटे बड़े नाले और तालाब है लेकिन इन छोटे छोटे नालों और तालाबों पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ । अगर छोटे छोटे नालों को बान्ध दिया जाय तो वहां कृषि उत्पादन में काफी फायदा हो सकता है । अगर इस जिले के अन्दर देखा जाय तो कई छोटे छोटे नाले और नदियां हैं कि जिनके बान्धने से काफी फायदा हो सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, गत दो वर्षों से मैं बांसवाडा ज़िले के लिये बागीडोरा तहसील में वड़ियावाला नाला और तहसील गढ़ी में अढाई बधवाने के वास्ते सवाल पूछता आ रहा हूं और सदन में भी मैं प्रार्थना कर चुका हूं कि शीघ्र कार्य आरम्भ कराया जावे । लेकिन आज तक इन तालाबों और इन नालों के लिये कोई सर्वे तक नहीं हुई, और काम भी आरम्भ नहीं हुआ । वड़ियावाला का नाला ऐसा है कि उसके चारों तरफ आदि वासी लोग रहते हैं और उसके आस पास भी जंगल ही है वहां न कोई तालाब ही है न कुँआ ही है, इस नाले को बन्धवाने से आस पास के तमाम गांवों को कृषि में फायदा हो सकता है । इस बारे में आदि वासी जनता ने और मैंने भी दो साल से प्रार्थना कर रखी है लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई । गढ़ी तहसील में टूटा हुआ अढ़ाई तालाब है उसके लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया और सदन में भी प्रार्थना की गई, लेकिन आज तक उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस तालाब से करीब सौ गांवों को फायदा हो सकता है । एक तंत्री शासन के समय वहां यह तालाब बंधा हुआ था, उससे कि आस पास के गांवों में बिना सिंचाई के भी रबी फसल हो रही थी आस पास और किसी प्रकार का सिंचाई साधन न होते हुए भी इस वक्त भी वहां दोनों फसलें होती थीं । जब तालाब टूट गया तो सारी तहसील के गांवों में जितने भी कुंए थे उन सब का पानी नीचे गिर गया । इसके कारण कृषिकों को काफी नुकसान हुआ अगर इस तालाब को फिर बन्धवा दिया जाय तो इस तमाम क्षेत्र में पानी का स्तर ऊपर आ सकता है और जो हज़ारों रुपयों की तकावी हर वर्ष कृषकों को दी जाती है उस खर्चे में बचत हो सकती है । वहां की जनता दस वर्ष से इस तालाब के बंधवाने की मांग कर रही है लेकिन इस विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । अभी अभी कुछ अर्से पहले इस तालाब को बन्धवाने के लिये कुछ सर्वेअर्स पहुँचे थे उनकी रिपोर्ट के अनुसार वहां एक दो ग्रामों के पास होता हुआ एक नाला अन्दर गिरता है अगर उस नाले को बन्धवा दिया जाय तो उस तालाब के अन्दर जो डूब में ज़मीन आती है उसमें चालीस पचास लोगों की झोंपड़ियों को नुकसान पहुंचता है

(श्री नाथूराम)

और जहां १०० गांवों के निवासियों को फायदा पहुँच सकता है वहां तीस—चालीस पचास झोंपड़ियों के नुकसान का ख्याल करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। इसलिये सर्वेयर्स ने उन लोगों से मिल करके, उन लोगों को उल्टी बातें ऐसी बतलाते हैं कि अगर यह तालाब बन्धवाया जायगा तो तुम्हारी झोंपड़ियों को नुकसान होगा। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करा देना चाहता हूँ कि जिन चालीस झोंपड़ियों को नुकसान होता है, वहां सैकड़ों और हज़ारों काश्तकारों को फायदा भी होता है, उस काम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे यहां तक विश्वास है कि जो सर्वेयर्स पहुंचे थे उनके कारण वे बहाना कर स्वीकृति नहीं देंगे, लेकिन मैं आपसे फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस तालाब की सर्वे यदि बाकी हो तो शीघ्र करवा कर, स्वीकृति प्रदान की जाय तो हज़ारों काश्तकारों का फायदा होगा।

इसके अलावा विशेष तौर से मेरी प्रार्थना यह है कि इन दोनों तहसीलों के अन्दर छोटे छोटे नाले और नदियां ऐसी हैं जो आम रास्ते पर पड़ते हैं जिससे बरसात के दिनों में आम लोगों को काफी असुविधा होती है। कई काश्तकारों का अपने खेतों में आना जाना भी बन्द रहता है। गाड़ियां भी इधर से उधर आ जा नहीं सकती और इसके अलावा इस तहसील के अन्दर न कोई बड़ी सिंचाई योजना है और न छोटी योजना ही है। कुछ नाले और नदियां बीच रास्ते में पड़ती है अगर उनको बन्धवा दिया जाय तो आम जनता जो गांवों में रहती है उनको फायदा होगा और कृषि उत्पादन में भी विशेष फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर देना चाहता हूँ कि तहसील गढ़ी और बागीडोरा तहसील के अन्दर जो छोटे छोटे नाले और नदियां हैं उनका शीघ्र से शीघ्र सर्वे करा कर बान्ध बंधवा दिये जायं तो कृषि उत्पादन में विशेष फायदा हो सकता है।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। इनमें से मैं क्रमशः एक एक को लेता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस मद में हमारी सरकार ने करीब १२॥ करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की है। बड़ी खुशी है कि इस तरह बड़ी योजनाओं पर पैसा खर्च किया जा रहा है। हमारे यहां भी यदि इस प्रकार की योजना होती तो मुझे और भी खुशी होती। लेकिन खैर। ऐसी कोई बात नहीं उससे राजस्थान में कहीं भी बड़ी योजना हैं तो हमें भी फायदा ही है। राजस्थान नहर, भाखरा नांगल और चंबल आदि बड़ी २ योजनाओं से किसान को और देश को फायदा होता ही है। लेकिन हमारे यहां राजस्थान में दो तीन तरह के किसान हैं। एक तो वे हैं, जिनके पास में दो या तीन बीघा जमीन है। एक वह है, जो राजस्थान केनाल एरिया में हैं। उनके पास करीब सौ, सवा सौ, डेढ़ सौ बीघा भूमि है। इस तरह अलग अलग तरह के किसान हैं। ऐसी स्थिति में जहां छोटे किसानों को भी फायदा हो सके इसकी भी कोशिश सरकार को करनी चाहिये।

इस मामले में मैं सदन का ध्यान उस एरिया की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसके लिये मेरा यह कटौती का प्रस्ताव है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अमरपुरा नाम का बान्ध बन्धा है । उस में करीब ६ लाख रुपया खर्च हुआ है । आज उस नहर का पानी किसान को समय पर नहीं मिलता । इससे काश्तकार को नुकसान रहता है । गत वर्ष तो इससे किसान का काफी नुकसान हुआ । ऐसा लगता है कि सरकार इन छोटे छोटे बान्धों की तरफ, इनकी व्यवस्था की तरफ बराबर ध्यान नहीं देती है । उस नहर को बने तीन चार साल हो गये, उसके मजदूरों को मज़दूरी अभी तक नहीं दी गई है । मैंने एक बार प्रश्न भी यहां रक्खा था और माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि दे दिया जावेगा । पर बड़े अफ़सोस की बात है कि आज उन एक हज़ार के करीब आदिवासियों को उनकी मज़दूरी का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है । अब तो कम से कम उनको पैसा दिला दिया जाना चाहिये । बांध भी बन गया है और पानी भी पहुंचने लग गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह ठेकेदार का बाकी है या गवर्नमेंट का ?

श्री लक्ष्मण हीरात : गवर्नमेंट का ही है । गवर्नमेंट का बाकी है । ठेकेदार का बाकी है, पर गवर्नमेंट को चाहिये कि उनके बिल का पेमेन्ट बाद में करें पहले उन लोगों को पैसा दिलाना चाहिये ।

इस तरफ हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये । इसी तरह के उदाहरण और हैं घोड़ी बांध के ।

वहां सर्वे हुआ । तीन चार साल हो गये । कोशिश करके हम उदयपुर से इंजीनियर ले गये पर आज तक उधर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । पर्सेन्ट की बात कहते हैं । पर ऐसे इलाके में जो पहाड़ी है, जहां आदिवासी रहते हैं, उनके पास और कोई साधन नहीं पर्सेन्ट नहीं भी निकले और उनको फायदा पहुंचता हो, तो सरकार को इस में भी प्रसन्नता होनी चाहिये । इस पर्सेन्ट की नीति को पकड़ कर नहीं बैठ जाना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां जवास का बांध और है । अमर—पुरा बांध से खेरवाड़ा से करीब दस मील दूर पड़ता है । इसके बन्धने से नीचे बसने वाले आदिवासी लोगों को काफी फायदा हो सकता है । इसका पानी बच जावेगा तो अमरपुरा में भी जावेगा । इससे केराडा तहसील के कुछ गांव मैराई, रटोडा आदि को ज्यादा फायदा हो सकता है । तो इस दृष्टि से हमारी सरकार को इन छोटी छोटी योजनाओं पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिये जितना कि बड़ी योजनाओं पर दिया जाता है ।

मैं एक आध उदाहरण और देना चाहता हूँ । एक लंगोटिया करके नाका है । इससे आधे कैराडा को फायदा होगा । उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते होंगे कि यह बिलकुल पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियों की तलहटी में लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल उठाते हैं, वहां सिंचाई का कुछ साधन नहीं है । इससे काफी फायदा हो सकता है । इसी तरह

(श्री लक्ष्मण हीरात)

गोगुन्दा खेरवाड़ा और कोटड़ा में कई ऐसे छोटे छोटे नाके हैं उनको भी अगर बन्धवाया जावे तो काफी किसानों को फायदा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने नाम क्या बताया ?

श्री लक्ष्मण हीरात : लंगोटिया है। इसी तरह एक उदाहरण और दे दूं। नदी का नाका है। उसकी सर्वे हो गई है। पर उस पर भी सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिये।

अब मैं, दूसरे कटौती के प्रस्ताव को लेना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूँ जहां हर साल एक न एक मुसीबत आती है जो अकाल कहलाता है। इससे हम इतने तंग आ गये हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अकाल उधर एक तो इस वजह से पड़ता है कि कभी तो अनावृष्टि रहती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूरे आदिवासी इलाके में ज़मीन बहुत कम है। फसल कम पैदा होती है और वह भी जब अनावृष्टि या अतिवृष्टि से नष्ट हो जाती है तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। एक खेत में अगर फसल बर्बाद हो गई तो किसान की जिन्दगी ही बर्बाद हो जाती है। इसलिये उधर के आदिवासी पहाड़ी इलाके में इन छोटे छोटे बांधों की बहुत जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं मेरी कोटड़ा कॉन्स्टिट्यूएन्सी में, वहां के लोग, एक नहर, नाले में से बना कर ले जाते हैं और उससे सिंचाई करते हैं। पर उसमें बड़ी दिक्कत पड़ती है, हर बार उसे ठीक करना पड़ता है। इसलिये तीन चार हज़ार रुपया लगा कर अगर सरकार उसे ठीक तरह से बन्धवा दे तो काफी मदद इससे किसानों को होगी अन्न की समस्या सुलझने में भी सहायता मिलेगी। इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो यह इलाका पिछड़ा हुआ रह जावेगा, दूसरा हिस्सा आगे बढ़ जावेगा। इस प्रकार से तो यह गाड़ी का सन्तुलन बिगड़ जावेगा। गाड़ी के दोनों पहिये बराबर रखना जरूरी है। एक छोटा रख दिया जाय और दूसरे को बड़ा बना दिया जाय तो दिक्कत ही होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को पेश करता हूँ।

श्री विद्यासागर (फलासिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है, मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन में १) रु० की कटौती की जावे (फलासिया, खेरवाड़ा लघु सिंचाई योजनाओं पर बहस करने के लिए)"।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर ज़िला अधिकांश पहाड़ी है और इस कारण यहां पर बड़ी बड़ी सिंचाई योजनायें बहुत कम सफल होती हैं और ऐसी बहुत ही कम मांग है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आदिवासी एरिया के अन्दर लघु सिंचाई योजना ही सफल हो सकती है। खेरवाड़ा, फलासिया ऐसी जगह हैं जहां पर छोटे छोटे नदी और नाले सैकड़ों बहते हैं, अगर उनको बंधवाया जाये और उनका सर्वे कराया जाये

(श्री विद्यासागर)

तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर फलासिया तहसील की जाडोल नदी का सर्वे हुआ था, उसको दो साल गुज़र गये हैं और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। फलासिया तहसील में एस० डी० ओ० हैड क्वार्टर है लेकिन गर्मियों के दिनों में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां पर मवेशियों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है और लोगों को स्नान करने के लिये भी पानी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी करवाया जाये। इससे सिंचाई की, पीने के पानी की और स्नान करने की जो दिक्कत है वह दूर हो जायेगी। इसी तरह से गौरवाड़ में हथेला तालाब है, उसको बनाया गया है, लेकिन वह ऊंचा बहुत कम रखा गया है, और उसमें अभी भी ऐसी हालत है कि अगर इस साल उसको नहीं सुधारा गया तो तरेड़ भी पड़ गई है वह गिर भी सकता है और जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है उससे बहुत कम होती है और पानी उछाल कर के दे रहे हैं। अगर उसको ऊंचा कराया जाये तो हज़ारों बीघा ज़मीन उससे पानी पी सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा की सिंचाई योजना पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हमारे नागरिकों की निर्धनता को दूर करने के लिए तरह तरह की योजनायें बनाती है उसमें से एक मुख्य योजना अधिक अन्न उपजाओ की है, और इस नारे को सरकार हमेशा बुलन्द करती है। उपाध्यक्ष महोदय, अन्न के उत्पादन में हमारे लिए सबसे आवश्यक सिंचाई योजनायें हैं, लेकिन हमें इस समय देखना होगा कि क्या इन सिंचाई योजनाओं में हमारी सरकार कामयाब हुई है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज यह तीसरा वर्ष चालू हो रहा है मैंने कई बार इस सदन में माननीय मंत्रीजी को संकेत किया लेकिन बड़ा खेद है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। एक तरफ सरकार यह कहती है कि हम देश में समानता लाना चाहते हैं दूसरी तरफ जो योजनायें हमारी सरकार बनाती है उसमें बहुत बड़ा भेदभाव सरकार की तरफ से बरता जाता है। इस मेरे क्षेत्र की, मांडल, रायपुर और सराड़ा, यह तीन तहसीलें हैं और इस भीलवाड़ा ज़िले में यह तीन तहसीलें ऐसी हैं, कि जो बिल्कुल ही सूखी हैं तथा इन तहसीलों की ज़मीन ऊंचे व ऐसे लेवल पर आ गई हैं कि जहां पर पानी का बहुत अभाव है। जिससे हर साल वहां के नागरिकों को सिंचाई के लिए पानी मिलना तो दूर रहा पीने के लिए भी पानी का अभाव रहता है। मेवाड़ सरकार के समय में इस रायपुर में बड़ा बांध बांधने की एक योजना थी और उस योजना को लेकर हमारी सरकार ने भी वहां कई बार पैमाइश करवाई और वहां के नागरिकों को आश्वासन दिया कि जो योजनायें पहले से चालू हैं उनको बहुत जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अब तक इन दस-ग्यारह सालों में सरकार योजना को पूरा नहीं करा सकी है। बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त जब हम अपनी छोटी योजनाओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो उस तरफ भी हमारी सरकार

(श्री शिवचरणदास)

बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर तहसील जो कि एक बहुत बड़ी तहसील है वहां अक्सर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का दौरा हुआ करता है, और उनके सामने भी वहां की जनता ने कई बार इसके लिए उनसे निवेदन किया, और उनको आश्वासन मिलते हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का दौर हुआ तो वहां की जनता ने चाहा था कि आप कम से कम हमारी इस तहसील के एरिया में निरीक्षण करें और आप ऐसे मौके पर आये हैं कि जहां आप अच्छी तरह से इसकी जांच कर सकते हैं कि वास्तव में हमारे यहां पानी का कितना कष्ट है लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन से ही लोगों को संतुष्ट किया। संतुष्ट तो नहीं वह चाहते थे कि कम से कम जहां सिंचाई के अतिरिक्त पीने के पानी के लिए भी दिक्कत है और उसके लिए कितना कष्ट होता है उसको वह देख लें और इसका वह अनुभव कर लें, लेकिन उनका प्रोग्राम दो दिन ठहरने का था, बजाय उसके घन्टे डेढ़ घन्टे ठहर कर इसको आपत्ति रूप में समझकर वहां पर उन्होंने अधिक समय नहीं दिया। कहने का मतलब, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि मुझे पता नहीं कि सरकार इस तरह का भेदभाव क्यों बरतती है। एक तरफ तो सरकार समानता का दावा रखती है और कहती है कि हम नागरिकों को समान अवसर देते हैं, उनकी समान प्रगति करना चाहते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रजातंत्र के बाद और प्रजातंत्र के लक्ष्य में सबसे मूलभूत बात हमारी रोटी और कपड़े का प्रश्न था। आज एक तरफ हमारे नागरिक जिनको आज पेट भर रोटी नहीं मिलती है, और वह इसलिए नहीं मिलती है कि हम उनकी रोटी के जो साधन होने चाहिए, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में जब पहली बार इस सदन का ध्यान मैंने आकर्षित किया तो डवेलपमेन्ट कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग रखी, और मुख्य इन्जीनियर के समक्ष मुझे भी बुलाया गया। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि आपकी इस लघु सिंचाई योजना को बहुत जल्दी ही कार्यान्वित कर रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय उसको भी एक साल होने आया। हां, विकास खण्ड भी खुले हुए हैं, और कृषि विभाग की तरफ से भी कई तरह की योजनायें बनी हुई हैं, तरक्की के लिए भी हमें आश्वासन दे रखा है, लेकिन इन सब का कार्य रूप जब हम देखते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, उन गरीबों के इस अभाव को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं लिये जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता उपाध्यक्ष महोदय, कि आखिर यह सरकार की नीति क्या है ? जहां एक तरफ यह कहना चाहती है कि हम गरीबों का उत्थान करते हैं दूसरी तरफ एक पार्टीविशेष के संकेत पर हमारे विकास के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है या फिर सरकार इसके योग्य नहीं है कि वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसका कम से कम स्पष्ट रूप से उत्तर दें कि जहां विकास खण्ड खुले हुए हैं वहां भी, अब तक मांडल तहसील में ऐसी कोई भी लघु सिंचाई योजना को आप पारित नहीं कर सके हैं और वहां के नागरिकों की समस्या को हल नहीं कर सके हैं। आखिर इसका कारण क्या है ?

Page No.56

(श्री शिवचरणदास)

जहां विकास खण्ड खोलने की सब से प्रथम आवश्यकता है वहां, रायपुर तहसील में जहां कि कई बार सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, लेकिन आज दिन तक विकास खण्ड नहीं खुला है और न तकावी सुचारु रूप से तकसीम की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तीनों तहसीलें इस तरह से हैं कि यद्यपि भीलवाड़ा तहसील में तीन नदियों ने, खारी कोठारी और मानसी ने सिंचा दिया है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह नदियां उन तहसीलों से चालू होकर इन्होंने आगे की तहसीलों में, इस भीलवाड़ा प्रान्त में आगे की तरफ जरूर सेजा दिया है, लेकिन वहां जिस जगह से वे प्रारम्भ होती हैं उन्होंने कोई सेजा नहीं दिया है। यद्यपि इस बीच में मेजा बान्ध, खारी बान्ध और अड़वड़ बान्ध बान्धा है इन्होंने, लेकिन मुझे दुःख है कि जहां पहले से ही काफी पानी है जहां कोई आवश्यकता नहीं थी वहां पर बान्ध बान्धे जाते हैं, उस जगह सरकार ने बान्ध बान्धे है, लेकिन अभावग्रस्त इलाके में जिन तहसीलों का मैं सदन के सामने ज़िक्र कर रहा हूँ वहां अभी तक पानी की योजना का और अभाव की पूर्ति का सरकार ने ध्यान नहीं दिया, यद्यपि कई बार सरकार को ध्यान दिलाया गया है। लेकिन मुझे पता नहीं सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है ? उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण है और वह कारण स्पष्ट है। यह राजनैतिक स्टन्ट है और आम तरीके से प्रचार किया जाता है कि विरोधी पक्ष को वोट दिये हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं उठा सकते हो, डूब गये हो और ज़माने से पीछे रह गये हो। अगर कांग्रेस को वोट देते ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): भीलवाड़े में बहुत पैसा खर्च हुआ है।

श्री शिवचरणदास : भीलवाड़े में हुआ है, लेकिन मैं स्पेशयली तीन तहसीलों का ज़िक्र कर रहा हूं।...

श्री रामकिशोर व्यास: मेजा बान्ध कौन सी तहसील में है।

श्री शिवचरणदास : वह भीलवाड़े के नज़दीक आ गया है। मेजा बान्ध तहसील मांडल में है, लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कह चुका हूं कि खारी और अड़वड़ बान्ध ऐसी जगह बान्धे गये हैं जहां कांग्रेसी नेताओं का जमघट है। उस जगह बान्ध है जहां पूंजीपतियों का अखाड़ा है। उस जगह पर पूंजीपतियो और नेताओं को ४,५ बार स्नान करने का अवसर मिलता है, लेकिन उन गरीबों के पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उस जगह पर ध्यान नहीं दिया गया है और यह बड़े दुःख की बात है कि यहां पर सुझाव रखते है तो उसको हंसी में टालते हैं। आपको टालना भी चाहिए। क्योंकि आप तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते है ....

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जानकारी चाही थी।

श्री शिवचरणदास : आप बैठ जाइये। इस तरह से कुछ नहीं होगा। यह बड़े दुःख की बात है कि सिंचाई विभाग आपके हाथ में है। अगर आप वहां का दौरा करते और उस प्रान्त के लोगों की दिक्कत को अनुभव करते, उन लोगों का दुःख देखते तो मालूम हो सकता था। वह करते तो हम विश्वास करते इस बात का कि आप वहां कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो बिजली के पंखे

(श्री शिवचरणदास)

मिलते हैं, सोफा सेट बैठने को मिलती है। गाड़ी का आनन्द मिलता है ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर आर्डर कट मोशन सिंचाई से संबंधित है।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। राज्यपाल महोदय के भाषण के वक्त मुझे कुछ नहीं कहने दिया ...

श्री उपाध्यक्ष :ऑर्डर ! ऑर्डर !! लेकिन माननीय सदस्य...

श्री शिवचरणदास : वित्त मन्त्री महोदय के भाषण के वक्त में बोलने नहीं दिया और आज भी हमारी जुबान पर लगाम लगाना चाहते है ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज़ !! मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय सदस्य बोलते बोलते अपने विषय से बहुत दूर चले जा रहे है और साथ ही माननीय सदस्य, जहां तक इस आसन का संबंध है, आसन को सुनना भी पसन्द नहीं करते है। आप आरम्भ रखें, लेकिन मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से कि वे विषयान्तर नहीं हों।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं आपके द्वारा फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम जो यहा सदन में बैठे हुए हैं, एक कट सत्य कहते हुए दुःख होता लेकिन आज उनकी क्या हालत है ? उन्हें पीने को पानी नहीं मिलता है। जब हम सिंचाई की योजनाओं की बात करते हैं, इसलिए बार बार सदन के सामने निवेदन करना पड़ता है। मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातें इस विषय से संबंध रखने वाली है कि हमारे माननीय मंत्रीजी ने इस बात की तरफ, आज तीन साल जा रहे है ध्यान नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि उन्हें इस बात का अनुभव नहीं है कि वहां पर पानी की तकलीफ कैसी होती है। जिनको, जो चार मर्तबा स्नान करने वाले उनको अनुभव हो ही नहीं सकता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस बात का मौका दें और दौरे में मुझे साथ में रखें और गांव की हालत देखें, मैं समझता हूं, क्षमा करेगा सदन मुझे, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आप वहां पर दौरा करें तो बताऊं कि पीने के पानी के कुँए वहां पर ४५,४५ हाथ गहरे हैं। जिनमें यह हालत है ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ६० हाथ तो हमारे यहां है।

श्री शिवचरणदास : (जारी) जिनमें से ८ बजे से पहले पहले किसी व्यक्ति ने पानी भर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर २४ घन्टों के बाद में पानी मिलता है। जिस एरिया की वह हालत है उसके लिये कोई सुझाव दिये जाते हैं तो उनको हंसी में टाला जाता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि माननीय मत्री महोदय मुझे इस बात का मौका दें और स्वयं दौरा करके इस पर पूरा ध्यान दें और इस अभाव की पूर्ति करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे आगे और निवेदन करूंगा कि हमारे डवेलपमेन्ट कमिश्नर साहब ने यह आश्वासन दिया था कि आपके यहां बड़ी योजना का तो भरोसा

(श्री शिवचरणदास)

नहीं दिला सकता हूं लेकिन बहुत जल्दी आपके यहां छोटी योजनाएं पारित कर रहे हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज एक साल होने आया है। कम से कम छोटी नदियों पर बान्ध बान्ध दिये जाते तो कम से कम कुंओं में पानी की जो गहराई है उसकी सतह ऊपर आती, उससे वे गरीब संतोष कर सकते थे, लेकिन होता है कि पार्टी पोलिटिक्स के द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया जाता है और 'दाजे पर नोन छिड़कने' के ढंग से गरीबों पर टोन्ट कसे जाते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बड़े जोरदार शब्दों में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस अभाव की पूर्ति करें। और, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं फिर माननीय मंत्रीजी से कह देना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सिंचाई विभाग भी माननीय गृह मंत्री जी पास है और पुलिस विभाग भी इनके हाथ में है। मेरा कटौती प्रस्ताव पुलिस पर भी आ रहा है उसकी बातें उस वक्त बताऊंगा, लेकिन कम से कम इस वक्त सिंचाई की योजना के ऊपर जो कुछ अपने क्षेत्र की कठिनाईयां मैंने इनके सामने रखी हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ के संबन्ध में मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके विषय में बोलते हुए में सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि राजधानी से २०० मील दूर कोटा की आड़ में राजस्थान के दक्षिण पूर्व में बसा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि झालावाड़ ज़िला अब तक इतना उपेक्षाकृत रहा है कि मुझे हर बार जिले के विषय में बोलने से पहले मंत्री महोदय को उसकी स्थिति और उसकी प्रकृतिक दशा की जानकारी करानी पड़ती है। आज इस विधान सभा को चालू हुए दूसरा वर्ष खत्म होकर तीसरा वर्ष लगने वाला है, लेकिन हमारे मंत्री महोदय झालावाड़ की तरफ गये तो अवश्य हैं। जब आप चम्बल का मुआयना करने के लिए पधारे और वहां के सरकिट हाउस में भी विराजे वह भी केवल १० मिनिट के लिए। लेकिन झालावाड़ ज़िले की हालत देखने का आपने अभी तक कष्ट नहीं किया। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप किसी न किसी तरह कुछ न कुछ समय अवश्य निकालें। चम्बल डेम निरीक्षण का जब कभी प्रोग्राम बने। कृपया उसी सिलसिले में झालावाड़ को भी रख लें....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो चेम्बर में भी कही जा सकती थी।

श्री रामचन्द्र : मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे जिले में जिस चीज़ की उपेक्षा रही है उसके लिए ही निवेदन करना है।

अब मैं अपने विषय पर बोलता हुआ यह निवेदन कर देना उचित समझता हूँ कि झालावाड़ ज़िला जिसके बाबत मंत्रीजी को अब तक ज्ञान नहीं है, किन्तु सिंचन के लिहाज़ से इसमें बड़ी प्रचुर मात्रा में साधन भंडार

(श्री रामचन्द्र)

हैं । वहां पर लघु सिंचाई योजना और माध्यम सिंचाई योजना का आयोजन करने के लिये बहुत कुछ साधन हैं । मैं सबसे पहले यह निवेदन करदूँ कि झालावाड़ ज़िले का एक भाग मालवा का भाग कहलाता है क्योंकि वह मालवा के पास है, वास्तव में मालवा का भाग तो नहीं है लेकिन मालवा के पास होने के कारण मालवा कहलाता है और उसका दूसरा भाग हाडोती कहलाता है । एक भाग जो मालवा के पास है वह कोटन क्षेत्र कहलाता है और वह एक ऐसा हिस्सा है जो राजस्थान के कोटन क्षेत्र का अंग कहलाया जा सकता है, जहां पर राजस्थान सरकार इस क्षेत्र की उन्नति करके कपास का उत्पादन अधिक से अधिक कर सकती है लेकिन इस ओर सरकार द्वारा अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है । कपास की उपज के लिये इस भाग की सिंचाई कराना नितान्त आवश्यक है । सिंचाई के साधनों का विकास करना इस क्षेत्र की एक मात्र आवश्यकता है । यदि यहां सिंचाई के साधनों का विकास किया जाय तो झालावाड़ ज़िला राजस्थान के अच्छे से अच्छे ज़िलों से पीछे नहीं रह सकता । उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कुंओं के द्वारा सिंचाई अधिक होती है लेकिन इसके लिये भी एक प्रश्न बड़ा महत्व पूर्ण है इस प्रश्न को हल करने के लिये इस बारे में स्थानीय इंजीनियर और कलेक्टर महोदय से भी बार बार कहा जाचुका है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता । झालावाड़ ज़िले के एक क्षेत्र में सैकड़ों कुंए इसलिये बेकार पड़े हैं कि वहां आठ दस हाथ खुद जाने के बाद उनमें पत्थर की चट्टानें आजाती है जो सिवाय कंप्रेशर पंप के नहीं तोड़ी जा सकतीं । लेकिन बार बार निवेदन करने पर भी इन कुंओं को गहरा कराने के लिये अब तक कंप्रेशन पंप नहीं भेजा गया । यद्यपि काश्तकार लोग खुदाई के चार्जेज एडवान्स में जमा कराने को तैयार हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि बार बार निवेदन करने पर भी कंप्रेशन पंप नहीं भेजा जाता है ।

सिंचाई का दूसरा साधन इस ज़िले में तालाबों का है । झालावाड़ में छोटे मोटे कई तालाब हैं लेकिन अच्छे तालाब जिनमें सिंचाई योजना सफल हो सकती है, और जिनसे सैकड़ों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है ऐसे ७०.८० तालाब हो है, लेकिन वे रियासतों के जमाने के बने हुए हैं और रियासत के अच्छे साधन नहीं होने के कारण उनका अभी तक विकास नहीं हो सका है । यदि उनका विकास करने के लिये उनमें जो कमी है उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाय तो तमाम तालाबों से भली प्रकार से अच्छी सिंचाई हो सकती है । मैं ने उन तमाम इंजीनियर्स से जो अब तक वहां पर गये हैं इनके विषय में निवेदन किया था तो उत्तर उनसे यही मिला कि हमारे पास स्टाफ की कमी है हमारे एक दो ओवरसियर कहां कहां काम करें यही जबाब देकर वे अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाते हैं और हमें भी खामोश होना पड़ता है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ के तालाबों का सर्वे करने के लिये विशेष रूप से एक ओवरसियर भेजें तो अच्छा होगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तालाब और कुओं के अलावा यहां पर नदी और नाले भी काफी मात्रा में हैं और इतने हैं कि इन पर ओडियों के जरिये से सिंचाई

Page No.60

(श्री रामचन्द्र)

अच्छी हो सकती है। शायद यह शब्द मंत्री जी को नया मालूम होगा क्योंकि ओडी शब्द इसी ज़िले का है। इसका मतलब लिफ्ट के द्वारा सिंचाई करने से है। जगह जगह जहां पर नदी नाले हैं वहां पर ओडियें बनाकर ज़मीनों की सिंचाई की जा सकती है। लेकिन अब तक इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह बताया जाता है कि सरकार के पास सर्वे करने का साधन नहीं है। जब इन बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया जाता है तो यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रुपया झालावाड़ में खर्च किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि झालावाड़ ज़िले के लिये ३८ लाख रुपयों से एक बांध बनाने की योजना आज से चार वर्ष पहले तैयार की गई थी, और इस रुपये से काली सिंध नदी पर एक बांध बनाया गया था जो पहले वर्ष ही टूट गया और उसको फिर बंधवाया गया। वहां पर नहरें भी खुदीं हुई पड़ी हैं। समझ में नहीं आता कि अब कौनसा काम बाकी रह गया है जिसके कारण जो पानी प्राप्त है उससे सिंचाई नहीं कराई जाती है। सरकार की यह नीति कि बांध बनवाने से पहले नहरें खुदवानी और भूमि की उपज भी बंद करा देना इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। पहले बंध बनाये जाने चाहिये और फिर नहरें खुदनी चाहिये और जैसे २ नहर तैयार होती जांय उससे सिंचाई शुरू कर देनी चाहिये। लेकिन आपकी नीति यह है कि नहरें पहले खुदें और बांध पीछे बंधे इससे नुक्सान होता है। इस नीति के आधार पर भीमसागर बांध के आसपास की भूमि पड़त रहने से अब तक जो नुक्सान हुआ है उससे किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। चार वर्ष पहले यह योजना शुरू हुई है लेकिन अब तक आधा बांध भी पूरा नहीं हुआ है। और शायद मंत्रीजी सुनकर ताज्जुब करेंगे कि इस साल तो विगत गई अप्रैल से अब तक इस बांध में एक भी पत्थर नहीं रखा गया है, अलबत्ता पिछले साल पानी के बहाव में बरसात के समय इस बांध के पत्थर तो अवश्य टूट कर बह गये हैं, लेकिन नया एक भी पत्थर नहीं रखा गया है। अभी तक बंध तो बना नहीं, लेकिन आसपास की भूमि और जिसकी सिंचाई होने की आवश्यकता समझी गई थी उसको नहर खोद कर बेकार अवश्य कर दिया गया है और यह जमीन जिस पर किसान खेती करके लाखों रुपयों की फसल तैयार कर सकते थे वह अवश्य बेकार हो गई है। इसलिये यदि वास्तव में आप झालावाड़ का हित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक धान वहां पर उपजे और किसानों को फायदा पहुँचे तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस बंध को पूरा कराने और नहर के पास की ज़मीन पर यथापूर्व खेती कराना है। सरकार की इस नीति से तो काश्तकारों को लाखों रुपयों का नुक्सान होगा। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों को अपनी ज़मीन से लाभ उठाने के बजाय नुकसान ही नहीं हुआ है कि उनको अभी तक इस ज़मीन का मुआवज़ा तक नहीं मिला है। किसान दोनों तरफ से मारे गये हैं। एक तरफ तो वे पैदावार नहीं कर सके और दूसरी तरफ उनको मुआवजा नहीं मिला, यह कहां का न्याय है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बहुत नम्र शब्दों के साथ मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप किसी भी तरह समय निकाल कर झालावाड़ का जरूर मुआयना करें और जो

(श्री रामचन्द्र)

बातें मैंने सुझाव के रूप में आपके सामने रखी हैं उन पर ध्यान दिया जाय ताकि झालावाड़ में सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति हो। खासकर काली सिंध और भीमसागर बांध जो चार वर्षों से बंद पड़े हैं, उनको पूरा कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव बांध जसवन्तसागर और बाणगंगा जो तहसील बिलाड़ा, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, में है उसमें पानी के बंटवारे के लिये है। बांध जसवन्तसागर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा बांध है और बांध जसवन्तसागर और बाणगंगा बिलाड़ा तहसील में स्थित है और जसवन्त सागर से भावी, पिचियाक, बाड़ी कलां, बाड़ी खुर्द, बीजासनी बालकोसणी आदि की सिंचाई होती है और बाणगंगा से पिचियाक, मालकोसणी, लम्बा और बाला, हरीयाड़ा, पड़ासला की सिंचाई होती है। जिस समय ये बांध बने थे उस समय इनमें पानी रोकने की जो क्षमता थी वह धीरे धीरे इनमें रेत आजाने से कम हो गई और बांध में पानी कम रहने लगा।

तो जो गांव इस बांध के नीचे गये, उन गांवों में आपस में पानी के बंटवारे के लिए टंटा शुरू हुआ। उस टंटे के लिए कई बार सरकार के सामने शिकायत पेश की गई कि किसी न किसी तरह से इस मसले को तय कर दिया जाय। एक बार जोधपुर के कलेक्टर को आॅरबीट्रेटर मुकर्रर किया, उन्होंने जांच करके रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक हाई पॉवर कमेटी बनाकर इस मसले को हल करे। मैं निवेदन करूं कि जसवन्त सागर बांध के पानी के बंटवारे में दो तीन बहुत अहम बातें हैं, जिनको सरकार को अपने ध्यान में रखना चाहिए, एक तो कुछ गांव बांध के पास हैं, वहां थोड़े पानी से ज्यादा सिंचाई हो सकती है। दूसरे छोटे छोटे गांव बांध से १०,१२ मील की दूरी पर हैं, वहां पर बांध के पानी से उतनी सिंचाई नहीं हो सकती जितनी की उन गांवों में हो सकती है जो बांध के पास हैं। इसके साथ ही बांध की परिस्थिति यह है कि पिछले १० सालों में एक बार मुश्किल से यह बांध भरा हो वरना सिंगल वाटरिंग पूरे इलाके में देने के लायक भी पानी नहीं होता है। ऐसी दशा में सरकार को अपनी स्पष्ट नीति काश्तकारों को बता देनी चाहिए कि हम इस अवस्था के आधार पर इन एरियाज़ को पानी दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस सिंचाई विभाग के जो नीचे के कर्मचारी हैं, वे अपने निजी स्वार्थ के लिए या और कारणों के लिए पानी के बंटवारे के प्रश्न को केवल इस जगह के लिए ही नहीं बल्कि सारी जगहों की ऐसी चीजें अपने हाथ में रखते हैं, जिससे कि काश्तकार आपस में लड़ते रहे और ये अपनी इच्छा के अनुसार पानी का बंटवारा करते रहें। भावी गांव बांध से दो मील की दूरी पर हैं, हरियाड़ा बांध से १२ मील की दूरी पर है, जिस पानी से भावी के अन्दर १२ एकड़ भूमि में आबपाशी हो रही थी, वहां हरियाड़ा में सिंचाई के लिए पानी भेजने के लिए २००० बीघा भूमि सिंचाई

(श्री तेजाराम गहलोत)

करने के लिये जितना पानी भेजते हैं, तब कहीं उस गांव में पहुंचता है और पानी दिया जाता है १०० बीघा या १५० बीघा का फिर भी सिंगल वाटरिंग के लिए पानी देते हैं। इससे सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है लेकिन उनकी इच्छा के माफिक पानी का बंटवारा होता है, वरना सरकार के इन्ट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए, किसी की मोनोपोली इस पानी पर न मानते हुए अपनी नीति को निर्धारित करके पानी का बंटवारा करना चाहिए। इसके साथ ही बाला, मालकोसनी, व लांबा, ये गांव रबी क्रोप में पानी को काम में लेते हैं और समर या रेनी सीज़न में उस पानी को काम में नहीं लेते हैं और बाण गंगा से Perinial Canal की तरह ज़मीन से पानी निकलता रहता है, उस पानी को काम में नहीं लेते हैं। अगर इस पानी का सरकार उपयोग करना चाहती है तो इस पानी से भाद्री के अन्दर नहरों की खुदाई करके पानी दे दिया जाय तो पानी का उपयोग हो सकता है। इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि जसवन्त सागर के पानी की मोनोपोली नहीं रखे व इस बाणगंगा के इस पानी की मोनोपोली न रख कर जहां इस पानी का ज्यादा उपयोग हो सकता हो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी नीति निर्धारित करके हमेशा के लिए इस चीज़ का निर्णय कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब सरकार ने देख लिया है कि पिछले १० वर्षों में इस बांध में इतना पानी नहीं आता है कि इस बांध के नीचे जो गांव हैं, उनको पानी दे सकें, ऐसी सूरत में सरकार को डिक्लेअर कर देना चाहिए कि जो पहले एरिया था, उसको करटेल करके इन गांवों तक बांध का एरिया सीमित रखेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जिन गांवों में पानी नहीं दिया जा सकता है, वहां के जो काश्तकार अपनी ज़मीन के अन्दर इस पानी की आशा के अन्दर फसल नहीं बोते हैं, इसका नतीजा यह होता है कि न वहां पानी पहुंचता है और न फसल होती है। इसके अलावा जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, वे इस बांध के पानी को रबी फसल के लिए देते हैं। अगर बरसात के समय में पानी लेना चाहे तो नहीं दिया जाता है जब कि इन दिनों बांध में पानी आ जाता है और चार महीने के पश्चात पानी काम में आता है। इसलिए जब कभी काश्तकार पानी मांगे तो पानी उसे मिल जाय तो इस पानी से ज्यादा आबपाशी होगी और देश का उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ ही जो बंधन और परम्परायें हैं, जो कि साइन्टिफिक बेसिस पर नहीं है। अगर माननीय मंत्री महोदय वाज़िब समझें कि जब इससे ज्यादा सिंचाई नहीं हो सकती है तो साइन्टिफिक बेसिस पर पानी डिस्ट्रिब्यूट किया जाय तो ज्यादा फसल होगी। मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कलेक्टर जोधपुर ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि हाई पॉवर कमेटी बैठा कर पानी का डिस्ट्रिब्यूशन कर दिया जाय। अगर यह किया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इसके अलावा मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है। "to discuss the failure of Government to undertake minor irrigation projects in Pali District."

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिविज़न का पाली डिस्ट्रिक्ट आज सबसे ज्यादा उपजाऊ और सरसब्ज ज़िला है। जोधपुर का सारा डिविज़न करीब रेगिस्तान सा है और पाली

(श्री तेजाराम)

ज़िला ऐसा है कि इर्रिगेशन के बहुत थोड़े बांध बने हुए हैं, लेकिन पैदावार अब भी ज्यादा है। हमारी सरकार ने राजस्थान की तस्वीर को बदलने का निश्चय कर लिया है और राजस्थान के अन्दर राजस्थान केनाल, चम्बल केनाल, और बड़ी बड़ी नहरें निकालने की योजनायें बना रखी हैं। मैं यह बाजिब समझूंगा कि पाली का ज़िला जोधपुर डिविज़न का जो सरसब्ज़ इलाका है, और ज़िलों के मुकाबले में, वह कायम रहे। दूसरे ज़िले पांच साल के अन्दर नहरों के आने के बाद सरसब्ज़ हो जायेंगे तो सरकार के लिए यह उचित होगा कि इस इलाके के लिए भी कुछ न कुछ ऐसे साधन जुटाये कि कि जिससे वहां के काश्तकार, उन ज़िलों के काश्तकारों के मुकाबले में जहां ज्यादा पैदावार होगी, आसनी से होगी और कम खर्च होगा, तो वे काश्तकार भी उनके कंम्पीटीशन में ठहर सकें। अगर सरकार ने समय रहते हुए इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो नतीजा यह होगा कि केनाल एरिया में पैदावार करने में खर्च कम होगा और इस इलाके के काश्तकार जो लिफ्ट इर्रिगेशन से पैदावार करेंगे, उनका पैदावार पर खर्च ज्यादा लगेगा और कुछ अर्से के बाद इन काश्तकारों की हालत यह हो जायगी कि उन काश्तकारों के मुकाबले में अपनी फसल से वाज़िब तरीके से, अपनी इकोनॉमिक कन्डीशन्स को ध्यान में रखते हुए फायदा नहीं ले सकेंगे। इसलिए इन काश्तकारों की कुछ अर्से के बाद ऐसी परिस्थिति हो जायगी कि या तो इनको कृषि का धन्धा छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरे धन्धे से अपनी जीविका जुटानी पड़ेगी। जिस तरीके से अपनी केन्द्रीय सरकार ने ग्रामोद्योग और खादी इन्डस्ट्री को मिल के मुकाबले में खड़ा करने के लिए इसे पनपाने के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान रखा है, उसी तरह, माननीय उपाध्यक्ष, आपके ज़रिये मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस इलाके की ऐसी परिस्थिति नहीं है, ऐसे कुदरती साधन नहीं है, जिनके आधार पर कुछ माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट वहां बन सकें, जिससे कि रिटर्न जितना होना चाहिए, उतना ले सकें, तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई हर्ज की बात नहीं है, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इर्रिगेशन प्रोजेक्ट विभाग इसके लिए कुछ करे, ताकि इन काश्तकारों का खेती का धन्धा कायम रहे। इसके अलावा इन काश्तकारों के सामने जो आने वाला सवाल है, इसके लिए सरकार इन सारी बातों को सामने रखते हुए इन इलाकों की experts के जरिये सर्वे कराके इन काश्तकारों के लिए सिंचाई के साधन जुटाने की कोशिश करेगी तो अच्छा रहेगा। आज तक सरकार की तरफ से, बहुत दुःख की बात है, इस ज़िले में कौनसी माइनर इर्रिगेशन की पोसिबिलिटीज़ है, इसकी सर्वे नहीं कराई गई। यह सरकार का फर्ज है कि किसी स्कीम को लेकर इस इलाके की सर्वे कराये। जो कुछ भी प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, हमारे द्वारा या पंचायत के द्वारा सरकार के पास आते हैं, केवल उन ही मसलों की सर्वे कराई जाती है। यह होता है कि ऐसी परिस्थितियां हों जिन पर हम जिस दृष्टिकोण से एक एक्सपर्ट राय देता है उस दृष्टिकोण से राय नहीं दे सकते। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके ज़रिये सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पाली ज़िले की जो आज इम्पोर्टेंस है, उसको बनाये

Page No.64

(श्री तेजाराम)

रखने के लिये, एक्सपर्ट ओवरसियर्स, इन्जीनियर्स इसके लिये भेजे जांय जो इस बात की जांच करें कि कौन से ऐसे साधन वहां हैं जिन पर गवर्नमेंट गौर करे तो वे सिंचाई के काम में आ सकते हैं।

२ म० प०

पाली ज़िले में कुओं का पानी और तालाबों का पानी जो एक मात्र वहां सिंचाई का साधन है, नदियों पर आधारित रहता है। लेकिन नदियों पर कोई रोक नहीं होने के कारण पानी बह कर निकल जाता है, इस कारण उस इलाके को इन नदियों का उतना लाभ नहीं पहुंचता जितना कि पहुँचना चाहिये। अगर नदियों में दो दो तीन तीन माइल के फासले पर दो दो तीन तीन फुट की दीवालें बना दी जाय तो उनका पानी रुक सकता है और इस तरह पानी रोकने से उस इलाके में लिफ्ट इर्रिगेशन में काफी राहत मिल सकती है।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके ज़रिये सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पाली ज़िला मैदान में आया हुआ है, वहां ऐसे साधन ढूंढ़ने के लिये कि किस तरह सिंचाई के साधन वहां बढ़ाये जा सकते हैं, सर्वे कराया जाय। इसके अलावा भी चार, पांच और पोसिबिलिटीज़ हैं, जिनका सर्वे नहीं हुआ है, अगर उनका सर्वे हो तो वहां सिंचाई के साधन जुटाये जा सकते हैं। कंटालिया, सारण, पोटलीया, रेनीया, बानीया-वास, कानावास के पास खोड़ीया, गजनई का बांध सिरीयारी और दूसरे कई बांध हैं जिनको सरकार हाथ में ले तो पाली ज़िले के सिंचाई के काफी साधन बढ़ सकते हैं।

जो जो बांध बताये गये हैं, उनका जल्दी से जल्दी सर्वे करने का और कार्य रूप ये परिणत करने का सिंचाई मन्त्री जी प्रयत्न करेंगे और जो दूसरे साधन सिंचाई के उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है, उनके सम्बन्ध में सर्वे करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(डा० बहादुर सिंह और श्रीमती सुमित्रा देवी दोनों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Shrimati Sumitra. I hope Dr. Bahadur Singh will give preference to her.

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के साथ ही मन्त्री महोदय का ध्यान उस अभागे ज़िले की ओर ले जाना चाहती हूँ कि जहां पर लघु सिंचाई योजना के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, करीब १२ महीने पहले, जब एक बार पहले भी इस तरह का मौका आया था तो हमारे ज़िले के माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान दिलाया था और एक कमेटी बनाई थी, सीकर और झुंझुनूं ज़िले के लिये। जिसके तीन सदस्य थे, एक वहां के कलेक्टर, दूसरे रावल मदनसिंह और एक आज जो हमारे प्रान्तपति हैं। पर शायद उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग अगर हुई भी होगी तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई और कहना चाहिये कि अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ है।

Page No.65

(श्रीमती सुमित्रादेवी)

मैं समझती हूँ प्रान्त में, प्रान्त और देश की प्रगति के लिये, देश को सुखी और समृद्ध बनाने के लिये कई योजनाएं बन रही हैं, इससे हमें बड़ी खुशी होती है, पर हमारे घर में, ज़िले में किसी प्रकार का काम नहीं होता है तो दिल बड़ा दुखी होता है और अफसोस होता है और इसी लिये हमें कहना पड़ता है। आज से २० साल पहले अंग्रेजी शासन के समय में काटली नदी पर बांध बनाने की योजना हुई थी पर वह योजना ही बन कर रह गई। पहले भी इस सदन में इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था तो मन्त्री महोदय ने कहा कि कुछ टैक्निकल डिफिकल्टीज़ आ गई। मेरी मान्यता है कि टैक्निकल डिफिकल्टीज़ के साथ साथ. वह योजना इतनी पुरानी हो गई है कि उसके कागज़ों को दीमकें चाट गई हैं और इसी लिये मन्त्री महोदय के पास इसका कोई उत्तर नहीं है इस लिये कह देते हैं कि टैक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं। अगर टैक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं तो कह देना चाहिये कि यह बांध नहीं बनेगा।

जहां तक लघु सिंचाई योजना का सम्बन्ध है वहां कोई नहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उस ज़िले का लेवल ऊंचा है। यदि लिफ्ट द्वारा पानी उठाया जाय तो नहर ला सकते हैं जिसमें बहुत अधिक खर्चा पड़ता है, इस तरह की असंभव मांग मैं करना भी नहीं चाहती।

यदि वहां बांध नहीं बंध सकता, कोई नहर नहीं लाई जा सकती तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित अवश्य करना चाहती हूँ कि वहां ट्यूब वैल्स तो हो सकते हैं। भारत सरकार ने वहां कुछ ही अर्से पहले दो तीन जगह ट्यूब वैल्स लगाये हैं, एक पिलानी में और दूसरा चिड़ावा स्टेशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के सर्वे डिपार्टमेंट ने राय दी है कि इस इलाके में ट्यूब वैल्स बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनका मानना था कि उस इलाके में ३०० फीट नीचे एक नदी है जिसमें अथाह पानी है। इस लिये, मैं मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहती हूँ, उनकी जानकारी में यह होगा, पर होता यह है कि जो लोग ज्यादा बोल लेते हैं, लड़ लेते हैं, उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं और जो लोग चुप रहते हैं, अपनी शिकायत पेश नहीं करते वहां अभाव की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहती है। इस लिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि यदि लघु सिंचाई के माध्यम से नहर और बांध जैसी योजना नहीं होती है तो वहां ट्यूब वैल्स तो हो सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि दो तीन मशीनें ट्यूब वैल्स के लिये वहां भेजीं थीं, जो तीन ट्यूब वैल्स खुदवाये गये हैं वे सफल हुए हैं और आगे भी सफल होने की उम्मीद है, तो मैं मानती हूँ कि इस ओर मन्त्री महोदय ज़रुर ध्यान देंगे।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूँ कि गंगानगर की जमीन पहले भी बहुत उपजाऊ थी पर वह पानी की कमी के कारण रेगिस्तान बनी हुई थी, वहां पानी आने से वह एक सरसब्ज़ और बड़ा उपजाऊ इलाका बन गया है, उसी तरह झूंझुनूं ज़िले की जमीनें भी बड़ी उपजाऊ हैं, गंगानगर की तरह यदि इन इलाकों में भी पानी आ जाय तो ये इलाके भी गंगानगर की

(श्रीमती सुमित्रादेवी)

तरह बहुत सरसब्ज़ और उपजाऊ हो सकते हैं और आज जो पूरे प्रान्त के सामने अन्न की समस्या और खाद्य संकट बना हुआ है वह दूर हो सकता है।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि रबी अभियान पिछले साल किया गया वह एक अच्छा कदम था, जब तकावी मिलने लगी तो लोगों ने दरख्वास्तें दीं पर तकावी उस समय मिली जब कि फसल बोने का समय निकल गया। यह तो उसी तरह की बात हुई कि जब मरीज़ मर जाय, तब उसके लिये दवा पहुँचे, उस दवा से क्या लाभ जब कि मरीज़ का प्राणांत हो चुका है।

तो मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जो तकावी का वितरण होता है, उसका सुगम और सीधा तरीका होना चाहिये कि जब किसान मांग करे तो उसकी ज़रुरत समय पर पूरी हो जाय। यदि उसकी जरूरत आवश्यक समय पर पूरी नहीं हो जाती है तो तकावी से उसे क्या फायदा? इस तरह की उदासीनता इस तरह के कामों में नहीं दिखानी चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात मन्त्री महोदय को और कहना चाहती हूं कि हमारे ज़िले में विगत तीन वर्षों में सिंचाई योजना के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है, इस बात पर उनको इतनी उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिये। हमने नहीं भी कहा है तो बिना कहे भी ध्यान देना चाहिये और हमारे ज़िले की लघु सिंचाई योजना के लिये ध्यान देना चाहिये और थोड़ा बहुत दिया जाना चाहिये। इतनी उपेक्षा नीति नहीं रखनी चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस मांग पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव है उर्मिला सागर से निकलने वाली नहरों में वृद्धि करने के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस ताल का भूतपूर्व राज्य के समय में निर्माण हुआ था और उस समय यह छोटे रूप में था और जैसे वर्षा का स्तर बढ़ता गया, धौलपुर की वर्षा का स्तर पहले २८ इंच था जब कि अब जाकर ६० इंच हो गया है ऐसी स्थिति में वर्षा का स्तर बढ़ा है, पिछले साल राज्य सरकार ने उसको चार फुट ऊंचा किया था जिससे सिंचाई हुई थी लेकिन इसका जो वेस्टवेयर है उससे काफी पानी निकलता है और उसके कारण वह काफी क्षेत्रों को खराब करता है। इसका कारण यह है कि जितना पानी इससे लिया जाता है वह उससे पूरा खाली नहीं हो पाता और उस वजह से पानी उसमें रह जाता है और जब दुबारा वर्षा आती है तो यह दुबारा जल्दी ही भर जाता है। यदि इसको सिंचाई के लिए पहले ही खाली कर लें तो वर्षा हो और यह जल्दी भर जाय जिससे जो बरबादी होती है-वह न हो क्योंकि इसके वेस्टवेयर साल में तीन चार बार फल्डेड हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको तीन चार सुझाव देना चाहता हूं। एक तो सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा दिया जाय, इससे सिंचाई के द्वारा लाभ होगा, दूसरा इसके पानी का भी उपयोग हो सकेगा और यह जो बाढ़ ले आता है उससे भी बचा जायगा। इन चार सुझावों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैकिनकल डिफिकल्टी थोड़ी बहुत हो सकती है, जैसे बांध वेस्ट वेयर की ओर बांध रहे हैं जिससे पानी नदी में चला

(डॉ० बहादुरसिंह)

जाय लेकिन यदि इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दें तो इससे काफी फायदा हो सकता है क्योंकि यह इतना उपयोगी बांध है कि जिस क्षेत्र को यह सिंचित करता है वह मैदानी इलाका है। वहां के लोग भी इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर इजाजत दें तो श्रमदान के द्वारा नहरें खोद सकते हैं। जब लोग श्रमदान करने के लिए तैयार हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे।

दूसरा "पार्वती बांध समय पर पूरा न होने के कारण उस पर वाद विवद करने हेतु" पार्वती बांध, जिसका सरकार काफी प्रचार करती है, के लिए है हमारी समझ में नहीं आता है कि सरकार क्यों विलम्ब करती है। पहले बताया गया कि एक ठेकेदार को ठेका दिया, वह नहीं रहा, दूसरे को दिया। मैं आपको बताऊं कि यह बहुत ही उपयोगी बांध है और इसमें पैसा भी कम लगेगा और ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई करेगा। यदि किसी योजना का सबसे ज़्यादा रिटर्न आने वाला है तो यह पार्वती बांध योजना ही है लेकिन यह आज तक उपेक्षित है। निर्माण करने का जो टार्गेट था उससे आगे निकल आये हैं और इसको फिर भी पूरा नहीं कर पाये हैं। मुझे इस सम्बन्ध में इन्जीनियर्स से बात करने का मौका मिला और जानकारी करने से मालूम हुआ कि वहां पर मशीनरी की कमी है। ६०–७० फुट ऊंचा जाने के लिए, जुड़ाई वगैरा के लिए, निर्माण करने के लिए, जो साधन चाहियें वह वहां पूरे उपलब्ध नहीं हैं, यों ही कहना चाहिये कि मशीनरी वहां है ही नहीं इनके लिए। इसलिए ऐसी स्थिति में आप इसको पूरा करवायेंगे। बजट में जो योजनायें रखते हैं वे पूरी नहीं हो पातीं और पूरा न होने के कारण जो उत्पादन होना चाहिये था वह नहीं हो पाता और उससे जो आमदनी होनी चाहिये थी उनमें भी रोड़ा अटकता है। अगर एक व्यापार किया जाय और उसमें नुकसान न भी हो और आमदनी न हो तो ब्याज का तो नुकसान ही माना जायगा। तो ये जो योजनायें हैं उनको किसी प्रकार से पूरा करना है इसके लिए भी तो आपके दिमाग में कोई योजना होनी चाहिये। यदि योजनाओं में रोड़े अटकते रहें, बाधायें उपस्थित होती हों तो उनके परिमार्जन के लिए व्यवस्था करनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्वती बांध एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है और इसके लिए शीघ्रता नहीं की गई तो नुकसान ही हो सकता है। एक चीज़ की ओर आपका ध्यान दिलाऊं कि इस वर्ष तीन चार फीट पानी देने की व्यवस्था की थी लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, पहले भी इस सम्बन्ध में शिकायतें की थीं कि वहां पर मेटिरियल अच्छा नहीं लगा रहे हैं, पुलिया वगैरह टूट गई, क्यों टूटी, इतना पानी तो नहीं दिया, पूरा दिया जाता तो क्या हालत होती ? इन सब बातों के लिए आपको मालूम करना चाहिये था कि तीन चार फीट पानी देने से यह स्थिति बनी और शुरुआत में ही पानी दिया गया, इन सब की जांच करेंगे।

तीसरा डांगों के सम्बन्ध में विचार करने के लिए रखा गया है। इस सम्बन्धी योजना पर आप विचार करें। मैं इसको ज्यादा महत्व इस लिए देता हूं कि धौलपुर तीन हिस्सों में बंटा हुआ है, एक डांग, दूसरा मैदानी और तीसरा पहाड़ी। डांग क्षेत्र जो है वह राजस्थान के लिए सिरदर्द है। इसमें

(डॉ० बहादुरसिंह)

ज्यादातर लोग क्रिमिनल माइन्डेड हैं। उनकी जीविकोपार्जन का साधन है, वह पशुपालन है। वहां भूमि की कमी है। वहां लोगों के दिमाग में यही आता है कि डकैती डालें, वहां पर शिक्षा कम है और वे पशुओं का व्यापार करते हैं। वहां इस प्रकार हो जाता है कि दूसरे इलाके से पशु लाकर दूसरे इलाके में भेज देते हैं, वहां पर इस तरह की मनोवृत्ति लोगों में पैदा हो गई है। उसका कारण ही यही है कि वहां लोगों के जीविकोपार्जन के साधन नहीं हैं। मैं उनसे मिला और उनसे मैंने बातें भी की। यदि वहां पर सिंचाई के साधन बना दें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वहां के लोग धन्धे में लग सकते हैं। पिछले दिनों वहां बांध बनाया तो वहां पर काफी लोगों को फायदा हुआ। उनके नियन्त्रण के लिए बजाय आर, ए. सी और पुलिस फोर्स पर खर्चा करने के उसी खर्चे को आप उस एरिया के सिंचाई साधनों में लगा दें तो उन लोगों की निश्चित उन्नति होगी और वे लोग डकैती भी नहीं करेंगे। उनकी इस मनोवृत्ति को बदलने के लिए सामाजिक कार्य कराये जांय, शिक्षा आदि का प्रचार कराया जाय। इसके साथ ही साथ पहाड़ों से जो पानी आकर जगह जगह टांके के रूप में इकट्ठा हो जाता है यदि वहां पर छोटे २ सिंचाई के साधन उपलब्ध कर दिये जांय तो निश्चित रूप से वहां सिंचाई भी हो सकती है और उनकी उन्नति होने के साथ साथ उनकी मनोवृत्ति भी बदल जायगी रिटर्न आपको न मिले, यह हो सकता है। लेकिन मेरी सूचना है कि १.१।। पर्सेन्ट तो है ही। जहां जिस क्षेत्र में रिड्युस किया है रिटर्न तो वहां भी रिड्युस कर दीजिये, वह भी उसी क्षेत्र की तरह आ जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर अवश्य गौर करें। आप सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग दोनों के मंत्री हैं। आपको लॉ एन्ड आॅर्डर के लिए खर्च करना पड़ता है, आपको लॉ एन्ड आॅर्डर के लिए बदनामी भी उठानी पड़ती है, यदि वहां आप सिंचाई के साधन उपलब्ध कर देते हैं तो बदनामी की जगह गुण गान वे करेंगे। खास तौर पर डांग का पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां बांध बांधेंगे तो लोगों के खाने को होगा तो वे शान्तिपूर्वक जिन्दगी व्यतीत करेंगे बजाय डकैती पूर्ण जीवन व्यतीत करने के। इसलिये तीन चार बातों के लिए लिस्ट दी है और मैं विशेष तौर पर जोर देता हूं कि इस एरिया में सिंचाई के साधन बढ़ाये जांय। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही काम प्रारम्भ करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है:—

"मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन तट बंधन तथा जल निकास निर्माण में १०० रुपये की कटौती की जावे (कोटा ज़िला तहसील किशनगंज में गढ़ा में स्थित उम्मेदसागर तालाब की दीवार व नहर बनाने पर विचार करने के लिये।)"

माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रस्ताव के द्वारा मैं माननीय मन्त्री महोदय को सिंचाई योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वित होने में जो सरकार की ओर से ढिलाई बरती जाती है और उनमें जो भ्रष्टाचार होता है और जो असावधानी बरती जाती है उस ओर

(श्री रामेश्वरदयाल)

सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रस्ताव में जो उम्मेद सागर तालाब का ज़िक्र किया है वह उन सब बातों का जो मैंने अभी निवेदन की है एक जीता जागता नमूना है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो, सरकार जनता पर अतिरिक्त कर लगा करके रुपया वसूल करती है टैक्स के रूप में और दूसरी ओर किस प्रकार से उस धन का दुरूपयोग किया जाता है इसका नमूना है एक छोटा सा यह उम्मेद सागर तालाब। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है कि हमारी सिंचाई योजनायें कृषि उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पार्ट अदा करने जा रही हैं और विशेषतया जब कि हमारे देश के सामने खाद्य संकट है जो एक प्रकार से राष्ट्रीय संकट है जिसके समाधान की अत्यन्त आवश्यकता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रश्न है अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिये इन योजनाओं को तरक्की देना अत्यन्त आवश्यक है लेकिन केवल योजनाओं के बनाने से ही काम नहीं चलता योजनाओं को ठीक प्रकार से.......

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : बोलें तो बोल सकते हैं किन्तु धीरे धीरे बोलें तो ज़्यादा अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावनाओं को समझ लिया है।

श्री रामेश्वरदयाल : (जारी) कार्यान्वित होने पर निर्भर करता है हमारी राज्य सरकार की सफलता और हमारे प्रान्त की प्रगति इनके ऊपर निर्भर है।

२.२३ म० प०

(श्री मनोहर कोठारी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की बातें कोटा डिविज़न में बहुत जगह पायी जाती हैं।

बून्दी ज़िले के अन्दर गूढ़े का एक बांध बनाया गया है लेकिन यह बान्ध तीन बार टूटा और सरकार को पांच सात लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार की बात तो जाने दीजियेगा इसका आम जनता पर और उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा और कितना लगान मारा गया। यदि ठीक प्रकार से बांध पूरा हो जाता और नहीं टूटता तो कितना लैंड रेवेन्यू सरकार के पास आता, सिंचाई से कितना लाभ होता ये सब बातें विचारणीय हैं, माननीय मन्त्री महोदय के लिये। इस प्रकार बून्दी ज़िले के अन्दर भीमलता सागर बान्ध टूटा उससे भी करीब दो लाख रुपये का नुकसान सरकार को हुआ। इसी प्रकार बारां के अन्दर भी कई तालाब टूटे इनसे भी लाखों रुपयों का नुकसान हुआ, और इस कारण सरकार को भी पुनर्वास के लिये लाखों रुपयों का व्यय करना पड़ा। इसी प्रकार से इस विभाग की असावधानी और लापरवाही के कारण समय पर काम न करने की वज़ह से और भ्रष्टाचार की वज़ह से किस प्रकार से बड़े बड़े काम जिनसे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सकता है और सरकार की ज्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सकती है उनकी क्या दशा होती है और क्या दशा होगी सभापति महोदय, इन मिसालों से स्पष्ट होता है।

इसी प्रकार की स्थिति है आज उस

(श्री रामेश्वरदयाल)

उम्मेद सागर तालाब की । मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर समय से पहले इस ओर ध्यान नहीं दिया और आने वाली बारिश में ज़्यादा पानी बरसा तो फिर उस तालाब का वही हाल होने वाला है जो गूढा के बान्ध का हुआ, जो मलता के बान्ध का हुआ, और बारां के तालाबों का हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे वहां जाकर इस तालाब को देखें। एक बहुत सुन्दर तालाब है देखने लायक जगह है अगर वे वहां जायेंगे तो एक जगह ऐसी है जहां से उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और साथ ही साथ उनको यह भी पता चल जायगा कि उनका विभाग किस नेकनीयती के साथ और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, और उससे जनता की कितनी सेवा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, इस तालाब के अन्दर सन् १९५४ में तीन फुट ऊंचे दीवार बनाने का सवाल था लेकिन माननीय मंत्री महोदय जाकर देखें कि वहां तीन फुट दीवार नहीं बल्कि दो फुट ही दीवार हैं, और वह है मिट्टी की दीवार। मिट्टी की दीवार के पीछे एक पत्थर की दीवार और बनानी थी। वह काम खत्म होगया उनके बिलों का भुगतान भी कर दिया गया लेकिन वह पत्थर की दीवार पानी पीचिंग का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। यही कारण है कि पिछले दो साल से हर बरसात के अन्दर बारबार वहां के लोगों के लिये और वहां के मवेशियों के लिये खतरा रहता है कि कहीं यह तालाब न टूट जाय। और वहां के जो २१ गांव के लोग हैं और उनके जो मवेशी हैं उनकी जान उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा कहीं खतरे में न पड़ जाय।

इसी प्रकार से उम्मीदसागर का जो वेस्ट-वीअर है वह भी तीन बार टूट चुका है। सन् ५४ में यह बना था तीन बार टूट चुका है। यह है विचारणीय विषय माननीय मन्त्री महोदय के लिये। उनका विभाग किस प्रकार से इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, सावधानी नहीं बरती गई और भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो स्थिति खराब होगी ही इन कामों के अन्दर मेटीरियल भी खराब इस्तेमाल किया जायगा, और पूरा काम नहीं किया जायगा इसका परिणाम स्पष्ट है। वह काम बिगड़ेगा और बिगड़ कर सरकार को नुकसान पहुँचायेगा और साथ में जनता को राहत मिलने के बजाय मुसीबत और पैदा करेगा। इस प्रकार की ये बातें हैं जो यथार्थ बातें हैं इस तालाब के बारे में। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि वे स्वयं जाकर सारी स्थिति का अध्ययन करें और उसके बाद जो भी कमियां रह गई हैं निर्माण के अन्दर उन कमियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय और जिन लोगों की उसके लिये ज़िम्मेदारी है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

इसके साथ साथ एक बात और है, और वह यह है कि नहरों के निर्माण का सवाल। यह ठीक है कि इस तालाब से कुछ नहरें बनी हुई हैं लेकिन आज जिस स्थिति में वे हैं उससे वहां के लोगों को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। आज वे नहरें बिगड़ी हुई हैं। उससे किसान ठीक तरह से पानी नहीं ले सकता। इन में मोखे भी नहीं हैं। तो

(श्री रामेश्वरदयाल)

अगर ये मोखे बना कर और नहरों को ठीक करके पानी का वितरण भी ठीक तरह से किया जावे तो इससे राजस्थान सरकार को भी फायदा होगा। इससे १८ हज़ार एकड़ की सिंचाई हो सकती है, करीब २२, २३ गांवों के अन्दर और एक लाख से ऊपर रुपया इससे सरकार को वसूल होगा। इतना महत्वपूर्ण काम, फायदा देने वाला, जनता का काम और इसकी इतनी दुर्दशा ? और इसका यह दुर्भाग्य ? माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में इतनी असावधानी और लापरवाही, सरकारी विभाग की ओर से बरती जावे और हमारे माननीय मन्त्री महोदय इस पर ध्यान नहीं दें तो ये बड़े बड़े रकमों के प्रावधान और हमारे खाद्यान्न प्राप्ति के लक्ष्य अधूरे ही रह जावेंगे या कागज़ों तक ही सीमित रह जावेंगे। इसलिये मैं एक बार फिर माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे इस विभाग में इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से सुस्ती और लापरवाही से काम हो रहा है, जिस प्रकार जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई का इस प्रकार से निर्दयता के साथ दुरूपयोग होता है इन तमाम बातों को रोकने के लिये प्रभावशील कदम उठावें और साथ ही इस तालाब में जिसमें कुछ काम रह गया है पूरा करवाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन में रखता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई

श्री मोगजी भाई : सभापति महोदय....

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द जैन।

श्री मुरलीधर व्यास : क्रम कुछ बदल गया है क्या ?

श्री सभापति : नहीं, क्रम से ही है।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन (सांचोर) : सभापति महोदय, इस मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो सांचोर तहसील के अन्दर जाब के पास जो बांध लगा कर पानी देने की स्कीम चल रही है उसके मुतल्लिक और दूसरी सांचोर तहसील में नहरी एरिया है उसके मुतल्लिक छोटे छोटे बान्ध लगाने की बाबत।

सांचोर तहसील में मारवाड़ की करीब सभी रुण, सूकड़ी और जवाई नदियां होकर जाती हैं और रन ऑफ कच्छ में गिरती हैं आज जवाई बान्ध बन जाने से सांचोर तहसील को पानी कम हो गया है और नाले में होता हुआ बह जाता है। इससे वहां की काफी उपजाऊ ज़मीन बेकार हो गई है। वह ज़मीन ऐसी उपजाऊ है कि फैंकने से गेहूं हो जाता है। इसको देखते हुए सरकार ने जाब के पास बान्ध बांधने का तय किया और उसका सर्वे भी कराया। इस बारे में इस असेम्बली में प्रश्न भी किया गया था। आज भी सिर्फ सर्वे ही कर रहे हैं। सरकार इसमें ढीलापन बरत रही है। उसको कुछ तेजी के साथ काम शुरू करना चाहिये ताकि जो इलाका गेहूं पैदा करने में काफी आगे गिना जाता था और जिसने सन् ४७ में सबसे बड़ा फिगर लेवी में दिया था फिर अपनी पुरानी हालत

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

में आ जाय । आज यहां पानी कम हो जाने के कारण काफी एरिया बेकार हो रहा है । जहां एक समय गेहूं फैंकने से पैदा होता था, मेहनत किसान को नहीं करनी पड़ती थी, ज़मीन स्वयं इतनी उपजाऊ थी और जिसके बारे में कई अफसर हरएक डिपार्टमेंट के दौरे में उधर आये थे उन्होंने भी देखकर कहा कि यह ज़मीन बहुत अच्छी है । तो इतनी उपजाऊ ज़मीन में फसल नहीं होने का कारण क्या ? वैसे तो कारण जवाई बांध बन्ध जाने से पानी की कमी हो जाना है पर उसका एल्टरनेट यह था कि जावं के पास अगर एक और बांध बना दिया जावे तो भी जो आज पानी नाले में से होकर चला जाता है वह काम में आ सकता है और वह ज़मीन फिर उपजाऊ हो सकती है । नहीं तो वहां के किसान बेकार हो जावेंगे । बेकारी बढ़ जावेगी और अन्न नहीं मिलेगा । तो इसलिये इस जाब के पास बांध बनाने की स्कीम को जल्दी कार्य रूप में लानी चाहिये ।

इसके बाद सभापति महोदय नहर एरिया में भवातड़ा कसर, बनाव में सर्वे करना था । तख्तगढ़ से इन्जीनियर आये थे । उनकी राय थी कि जगह जगह बान्ध लगाये जावें । इससे सैंकड़ों बीघा ज़मीन जो पड़त पड़ी है वह फसल के काबिल हो सकती है । भूमिहीनों की समस्या इससे हल हो सकती है । वह ज़मीन अच्छी है कि वहां फर्टीलाइज़र की जरूरत नहीं, सिर्फ माइनर इर्रिगेशन के रूप में बांध की जरूरत है । आज वह ज़मीन बेकार हालत में लोगों के पास पड़ी है । उसका सर्वे हुआ, डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ने अपनी पक्ष में राय भेजी है, कलेक्टर ने भी राय दी है । अब सरकार के सामने मामला है । आज जब भूमिहीन किसानों की समस्या काफी सीमा तक इससे हल हो सकती है और खाद्यान्न की भी समस्या सुलझ सकती है तो ऐसे मामले में सरकार की देरी का कारण हमारी समझ में नहीं आता ।

अब रहा सवाल वहां कैसा बांध बनाया जावे । कच्चा बांध एक साल बान्धते हैं और दूसरे साल टूट जाता है और इस तरह सारा पैसा और परिश्रम व्यर्थ जाता है । तो सरकार को पैसा पक्के बांध में खर्च करना चाहिये । थोड़ा अधिक खर्चा अवश्य होता है, पर आगे जाकर सस्ता ही पड़ता है, काश्तकारों को फायदा पहुंचता है, पानी बराबर मिलता रहता है, टूटने का डर नहीं रहता और ज़मीन भी उपजाऊ होती है, पानी भी अधिक ठहर सकता है । आप और बीसों कामों में पैसा खर्च करते हैं पर सबसे पहला धन्धा काश्तकारों का है, देश की उन्नति कृषि पर निर्भर है, और आज जो करोड़ों रुपया विदेशों से अनाज खरीदने में खर्च करते हैं वह भी बचता है । देश का किसान सुखी नहीं होगा तो कोई सुखी नहीं बन पावेगा । अनाज नहीं पैदा करेगा किसान तो हम खावेंगे किसको ? आज आप नौकरियों की बात करते हैं । वह सब किसानों के पीछे है । जब तक उसकी समस्या हल नहीं होती और उसको उपजाऊ ज़मीन नहीं मिलती है, तब तक अन्न की समस्या हल नहीं होती । तो उपजाऊ उसी हालत में हो सकती है जब कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा बांध बंधवाये जायें । यह न हो कि वहां पर कच्चे बांधों द्वारा पैसे को बरबाद किया जाये । इससे तो सरकार को भी नुक्सान होगा और जनता को भी नुक्सान होगा । ऐसा नहीं होना चाहिए । और पक्के बांध केवल

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

सरकार ही लगा सकती है न कि गरीब जनता। वहां जनता बहुत गरीब है और वह ऐसे काम नहीं कर सकती। ऐसी हालत में अगर सरकार पक्के बांध बनवाये तो वहां के सैकड़ों किसानों की समस्या हल हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां सांचोर जिले में कम से कम ३० हजार एकड़ ज़मीन पड़त की पड़ी हुई है जिस पर किसी भी आदमी का कब्जा नहीं है सिर्फ सरकार की ही संरक्षता में वह ज़मीन पड़ी है। पहले तो वहां नदी आती थी और बाम्बे प्रोविन्स के लोग आते थे और वहां पर काश्त करते थे लेकिन जगह जगह बांध बनने के कारण नदी के अन्दर इतना पानी नहीं आता है कि जिससे काम चल जाये और आसपास की ज़मीन में भी पानी अच्छी तरह नहीं पहुँचता है। तो सांचोर में जो यह ज़मीन पड़ी हुई है उसको उपजाऊ बनाना चाहिए। जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो जोधपुर में मैंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था और सुझाव भी दिया था कि सरकार को कम से कम किसानों की हालत सुधारने के लिए सांचोर में बांध बनवाकर किसानों को वहां पर भूमि दी जाये तो बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे किसानों का भी हित होगा और इससे अधिक अनाज पैदा होगा और जो आज देश के सामने अन्न की समस्या है वह भी हल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिचाई मंत्री महोदय से कहता हूं कि सांचोर के पास जो जावी नदी की योजना हो रही है उसको जल्दी ही कराया जाये और यह माइनर इर्रिगेशन भाकुरा, जानवी, खेथूरी यह ऐसे बांध हैं जिनका जल्दी से सर्वे कराया जाये और इसके लिए जल्दी ही टैक्निकल एडवाइज़ ली जाये और इन कार्यों को जल्दी करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति (श्री मनोहर कोठारी): श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह

श्री श्रीभानसिंह : कौन सा कटमोशन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ६५

श्री श्रीभानसिंह : I move, "that demand No. XXXII, Major Head 68- Constsuction of Irrigation, Navigation be reduced by Rs.1/-(to discuss the measures for preventing the floods in Bharatpur District.)"

चेयरमैन महोदय, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो फ्लड की समस्या है और जिस तरह से गवर्नमेन्ट ने उसको पिछले साल कन्ट्रोल करने की कोशिश की उस पर मैं कुछ सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। माननीय चेयरमैन महोदय, शायद सन् ५६ या ५७ में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लड आया था और उस समय पर यह कहा जाय कि गवर्नमेन्ट ने जो वहां की जनता को राहत पहुंचानी चाहिए थी, वह नहीं पहुँचाई और सबसे ज्यादा तो अफसोस इस बात का रहता है कि माननीय मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में तो यह कहा कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लिए एक फ्लड कमीशन बैठाया है और सबसिक्वेन्टली जब दुबारा प्रश्न पूछा गया तो मंत्री महोदय ने कहा कि हमने कोई

(श्री श्रीमानसिंह)

फ्लड कमीशन नहीं बैठाया। तो इस तरह से भरतपुर की दस लाख जनता के साथ, मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, कि जहां तक मंत्री महोदय हैं और जहां तक यह इर्रिगेशन विभाग है, उनके जीवन और ज़िन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि दो दफा भरतपुर में फ्लड आया और माननीय इर्रिगेशन मिनिस्टर ने वहां जाकर तक नहीं देखा। इसके लिए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दूँगा कि वह जब भी फ्लड आया दोनों साल में वह वहां गये। लेकिन हमारे इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब कभी नहीं गए। इस विभाग के जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि भरतपुर में जो यह हमेशा फ्लड आते हैं उसका क्या कारण है? होता क्या है कि जब मानसून सीज़न आता है तब भरतपुर के इर्रिगेशन इन्जीनियर का ट्रान्सफर किया जाता है और मैं यह बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं कि यह डेलिबरेटली किया जाता है जिससे भरतपुर के लोगों को तकलीफ हो। आज फिर सन् ५८ में फ्लड आया और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के उन आदमियों की यह हालत हुई जो कि जानवरों की भी नहीं हो सकती है। चारों तरफ से गांव पानी ही पानी से घिर गए। They had to answer nature's call like animals. खाने के लिए गवर्नमेन्ट उनको दाना नहीं दे सकी। पानी निकालने का कोई प्रबंध नहीं, जहां पानी भर गया तो भर जाने दो, गांव गिरते हैं तो गिर जाने दो। फिर राजस्थान सरकार की क्या जिम्मेदारी है। आप पंचवर्षीय योजना किसलिए बनाते हैं। क्या पंचवर्षीय योजना का मकसद यह नहीं है कि जो नेचुरल किलेमिटी हों उससे राहत पहुंचाई जावे। वहां पर लगातार फ्लड आते हैं और जनता परेशान होती है। आप वैसे लाखों रुपयों की योजना बनाते हैं जो कि बाद में भी बन सकती हैं लेकिन इमीजियेट नीड को आप नहीं देखते हैं। आप लाखों रुपये यों ही बिगाड़ सकते हैं लेकिन लाखों रुपयों को फ्लड में नहीं लगा सकते। मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि गवर्नर के एड्रेस में बड़ी बड़ी योजनाओं का ज़िक्र किया गया है और बड़े बड़े भाषण दिये गये हैं, उसमें बड़ी बड़ी योजनायें बताई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि भरतपुर को इस समय इन्डस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। भरतपुर की जनता तो यह सिक्योरिटी चाहती है कि पिछले साल से जो उनकी हालत होती आई है उसको आप प्रिवेन्ट करें। कहा जाता है कि स्कीम्स बनाई गई है उनमें बहुत रुपया लगेगा। यह जिम्मेदारी भरतपुर की जनता पर नहीं है। इमीजियेट नीड है। मानसून सीज़न अभी दो तीन महीने बाद शुरु होगा, उस समय क्या करेंगे? क्या उनको आप लम्बे चौड़े भाषण देंगे या क्या किया जायेगा। आखिर जब भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की दस लाख जनता फ्लड में आती है और जमीन खराब होती है उसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है तो फिर जनता क्या करेगी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जैसा कि माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वह रिवोल्ट करेंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि योजना बनायेंगे और दूसरी तरफ भरतपुर सेकिण्ड वैलेरी ऑफ राजस्थान है। आप कामा चले जाइये, पहाड़ी चले जाइये वहां पर जमीन सबमर्ज है वहां पर अभी तक लोग नावों में बैठकर आते हैं। रुपबास में चले जाइये, कुम्हेर तहसील में चले जाइये,

(श्री श्रीभानसिंह)

जिस तहसील को कहते हैं कि यह तहसील फ्लड से खाली हैं और उनके लिए आपने कहा कि हमने रिलीफ दी है। आप कहते हैं कि हमने रिलीफ वर्क्स स्टार्ट किये। मगर, मैं आपको बताऊं कि वहां पर कोई रिलीफ वर्क्स स्टार्ट नहीं हुए। सब इर्रिगेशन बंध टूट जाते हैं। फ्लड का क्या कारण है? फ्लड का कारण है इन्एफिशियेन्सी ऑफ गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स। कहा जाता है कि भरतपुर में अधिक रेन हो जाती हैं इसलिए फ्लड आता है, मगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा कभी नहीं होता कि वहां पर रेन इतनी ज्यादा होती हो कि फ्लड आ जाये। मैं कहता हूं कि चाहे वहां पर ६० इंच भी बारिश हो जाये तो भी फ्लड नहीं आयेगा। दूसरा फ्लड का कारण यह है कि रिवर ने अपना कोर्स चेन्ज कर दिया। आपने नये नये बांध तो बनवा लिए लेकिन उनमें पूरे ऑउटलैट नहीं हैं और इसके कारण गांव के गांव बह जाते हैं। फिर आप राजस्थान में लांग टर्म प्लानिंग चला रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी योजनायें बनाई, मगर इमीजियेट प्लानिंग भी तो कोई होना चाहिए। आखिर आप किस तरह से इस फ्लड को चैक करेंगे, किस तरह से उनको बाहर निकाला जायेगा। रुपवास का एक हिस्सा है चैकारा, सक्कारा वगैरह हैं, यहां तीन साल पूरे हो जाते हैं कि रेग्युलर लैंड पानी में हैं, सबमर्ज रहती हैं। इसकी तरफ जब गवर्नमेन्ट का ध्यान दिलाया गया तो गवर्नमेन्ट कहती है कि हम स्टैप्स ले रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि कोई कदम नहीं उठाये गये। मैं इस बात पर ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहता हूं मगर मैं कम से कम इस ओपीनियन का हूं कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेन्ट करता हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि या तो आपको इस साल फ्लड को कन्ट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं कम से कम यह समझता हूं कि अगर कोई बात सोची नहीं गई तो मुझे उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेन्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यह सोचना पड़ेगा कि जो भरतपुर के लोगों की मांग है, इमीजियेट नीड है, और इमीजियेट नैसेसिटी है, अगर उनको गवर्नमेन्ट के ज़रिये से पूरा नहीं करा सकता तो मुझे यह सोचना पड़ेगा, कि मुझे सदन से इस्तीफा देना होगा। मैं कहूंगा कि यदि इस साल अगर गवर्नमेन्ट सतर्क नहीं रही तो मेरे अलावा भरतपुर ज़िले के जितने भी दूसरे एम० एल० एज़० हैं उनको भी परसुएड करना पड़ेगा कि वह भी इस्तीफा दे दें। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा ताकि गवर्नमेन्ट आगे सावधान रहे। तो मैं फिर निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि यह सोचने की बात है कि १० लाख जनता को आप कब तक इगनोर करते रहेंगे। आप जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बातों में वह भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को देते रहिये लेकिन फ्लड के लिए आपको चाहिये कि फ्लड को कन्ट्रोल करें। वह रेग्युलर मेस होता जा रहा है, जिसमें खुद आपका खर्चा होता है। आप लाखों रुपये खर्च करते हैं लेकिन एग्रीकल्चर की पोटेन्शियेलिटी है वह पूरी नहीं होती है। आप राहत नहीं दे सकते है। खाने को डिस्ट्रिब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए शार्ट टर्म प्लान बनाकर फलड को कन्ट्रोल में लायेंगे तो मैं समझ लूंगा कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट वालों की तरफ ध्यान दिया गया है, और वे यह फील करेंगे कि उनके रिप्रेजेन्टेटिव जो यहां रहते रहे हैं वे उनकी मांग को

(श्रीश्रीभान सिंह)

आपके सामने रखते रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा और उम्मीद करूंगा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से जो अन्य माननीय सदस्य आये हैं वे मेरी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि फ्लड के लिए जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को मेज़र लेना चाहिए और यह स्कीम हाउस के सामने बतानी चाहिए कि यह स्कीम हम इम्प्लीमेंट करके फ्लड को कन्ट्रोल कर लेगें।

श्री सभापति : श्री भीमसेन

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री धन्नालाल हरित।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु.) : सभापति महोदय, मांग संख्या ३२ पर जो मेरा, प्रथम कटौती का प्रस्ताव है उस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा मैंने माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जो चम्बल की नहरें इस समय बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खोदी जा रही हैं, वह काम बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा न कराया जाकर गरीब मज़दूरों से कराया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, यह सत्य है कि आज का युग मशीनों का युग है, लेकिन मशीनें उस जगह उपयोग में आती है जहां कि काम ज्यादा हो और काम के करने वाले कम हों। उस जगह मशीन का उपयोग अधिक हो सकता है, लेकिन हमारे इस इलाके में जहां कि पहले ही बेरोज़गारी बहुत तादाद में है, उस जगह, इन मशीनों के द्वारा इन नहरों का खुदाया जाना एक अच्छी बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं कि ठेकेदार या दूसरे आदमी को जो काम दिया जाता है उसमें २३) रु० प्रति हज़ार मिट्टी की खुदाई का रेट दिया गया है और उसमें से २०) रु० प्रति हजार तो खुदाई का है और ३) रु०प्रति हजार ड्रेसिंग का कायम है। इस प्रकार से २३) रु० प्रति हज़ार पर मिट्टी की खुदाई और ड्रेसिंग का काम है जब मशीनों के द्वारा मशीनों के चलाने पर, ओइलिंग और मशीन के पड़े रहने आदि पर कुल मिलाकर ५०, ६० प्रति हज़ार बैठता है। अगर २३) रु० प्रति हज़ार के बजाय उन मज़दूरों को ड्योढ़ा पैसा भी दिया तो वह इस मशीन के काम से सस्ता पड़ता है, और जो मज़दूर खुदाई के काम में पैसा कम मिलता है इस वजह से आकर्षित नहीं हो रहे हैं वे मज़दूर अधिक आकर्षित हों, इससे उन गरीब आदमियों के, जो कि बेरोज़गारी में फिर रहे हैं अच्छा काम मिलेगा और इस भीषण मंहगाई में उनकी उदरपूर्ति पूरी तरह से हो पायेगी।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव यह है :

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, तट बन्धन में वह कोटा ज़िले में छोटे पैमाने की सिंचाई के निर्माण कार्यों पर की जाने वाली ढ़िलाई पर बहस करने के लिए। यानी चम्बल योजना के अलावा जो छोटी सिंचाई की योजनाएं कोटा ज़िले में चल रही है सरकार का उनकी ओर कतई ध्यान नहीं है। अटरू तहसील में बुद्ध सागर तालाब बनाया गया है। उससे नहरें निकालने के लिए जगह जगह २ गढ्ढे करके डाल दिये हैं। आज चार साल हो गये हैं नहरें बिल्कुल ही नहीं चल पाई है। उससे आसपास के गांवां

(श्री धन्नालाल हरित)

के लोग परेशान अलग हो गये है। क्योंकि उनके मवेशी जाते हैं और खड्डों में गिर जाते हैं।

दूसरा एक तालाब मोटपुर गांव के पास बनाया गया है। उस तालाब को तीन चार साल हो गये हैं, अधूरा छोड़ दिया गया है, वह काम पूरा नहीं हो पाया है। सभापति महोदय, अटरू की तहसील हमारे हाड़ोती के इलाके में एक अच्छी उपजाऊ तहसील है और वहां पर अगर इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाय तो वहां की उपज और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अटरू तहसील में अन्डेरी से एक नहर बहुत पुरानी निकाली हुई है वह नहर पटपड़ों में बहने के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है। जब उसकी मरम्मत का सवाल पैदा होता है तो विभाग की ओर से कह दिया जाता है कि उससे आमदनी कम हो रही है अगर मरम्मत करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, इसलिए उसकी मरम्मत की तरफ बिल्कुल लापरवाही बरती जाती है। मेरे से पूर्व वक्ता, कोटा निर्वाचन क्षेत्रसे आये हुए माननीय सदस्य ने जिस उम्मेद सागर तालाब के लिए कहा था, माननीय सभापति महोदय, वह उम्मेद सागर मेरी कन्स्टिट्युएन्सी की किशनगढ़ तहसील में है, वह उम्मेदसागर तालाब किसी समय बड़ी आशा से बनाया गया था, और अब भी उससे आशा जनक सिंचाई कार्य हो रहा है, लेकिन उन आशाओं में एक निराशा बहुत बड़ी छिपी हुई है। वह तालाब अब बहुत पुराने होने के कारण उसकी मरम्मत की अत्यावश्यकता है और जिस दीवार का माननीय सदस्य ने जिक्र किया था वह दीवार बनाना अत्यन्तावश्यक है। अगर वह दीवार उस जगह नहीं बनाई गई तो भविष्य में यह संभव है कि उस तालाब से इफेक्टेड २२,२३ गांव किसी भी दिन पानी की डूब में आ सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का आपके द्वारा, सभापति महोदय, ध्यान आकर्षित करता हूँ कि उस तालाब की ओर वह विशेष रूप से ध्यान दें।

और भी कई छोटी छोटी योजनाएं कोटा ज़िले में चल रही है, लेकिन उनकी भी ओर कतई सरकार का ध्यान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस सिलसिले में अगर यह कहूं, तो विषयान्तर नहीं होगा कि जब बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने की तरफ सरकार का ध्यान इतना जाता है तो सरकार क्यों नहीं छोटी सिंचाई की योजनाओं पर भी अपना ध्यान आकर्षित करती ? छोटी सिंचाई योजनाओं में नलकूप भी आ सकते है। माननीय सभापति महोदय, इन नहरों के बनाने के साथ साथ अगर नलकूपों के बनाने की ओर भी सरकार का ध्यान जाय तो माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा में माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि यह नल-कूप इन नहरों से ज्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। कोटा डिविज़न में बड़ी बड़ी नहरों में से नलकूपों के निर्माण से कोटा डिविज़न का भविष्य अधिक आशापूर्ण हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जिन काश्तकारों की ज़मीनें इन नहरों में चली गई है उन काश्तकारों के लिए कोटा ज़िले का भविष्य कितना आशामय हो सकता है, यह सोचने की बात है। बड़ी नहरों के साथ साथ छोटे नलकूप भी बनाये जायं तो जो

(श्री पन्नालाल हरित)

उपजाऊ ज़मीन नहरों में बेकार जाती है वह बच जाय और जो नहरों का पानी लेते वक्त में बड़े बड़े झगड़े होते रहते हैं वह झगड़े आयन्दा के लिए खत्म हो जायं और नहरों की आशाओं के साथ में जो काश्तकारों की भूमि नहरों के अन्दर जाने की, निराशा काश्तकारों में भरी हुई है वह भी दूर हो जाय और जो भविष्य सरकार द्वारा इस समय उज्ज्वल बनाया जा रहा है उसमें एक और अच्छी कड़ी जुड़ जाय।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कट मोशन है मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, तट बंधन में १०० रु० की कटौती की जाय (बांसवाड़ा ज़िले में पहाड़ी भूमि पर किसानों को लघु सिंचाई सम्बन्धी सुविधा देने पर विचार करने हेतु है।)

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का और माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊं कि राजस्थान में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। राजस्थान केनाल, चंबल बांध, नहरों और सिंचाई के लिये बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिनसे काफी फायदा होगा लेकिन ये जो नहरें और बड़े बड़े बांध हैं वे हमारे जैसे पहाड़ी इलाके को किसी भी प्रकार से फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि वहां पर नहरें नहीं बन सकतीं। तो मैं बांसवाड़ा ज़िले की ओर माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा ज़िले में ऐसी पहाड़ी भूमि है जो ऊंची नीची और उबड़ खाबड़ है। पहाड़ी भूमि होने से ऐसा कोई बंध अब तक वहां पर नहीं बन पाया है और न कोई बन सकता है। ऐसा देखने में आया कि वहां पर एक बांध सरकार ने ५३-५४ के वर्ष में बनाया था, लेकिन वह बांध टूट गया। एक सुवाणा नदी के नाम से बांध बनाया था करीब ५ लाख रुपये लगाकर बांध बनाया और पहला पानी आते ही वह टूट गया। इस प्रकार की जो सरकार की बांध बनाने की नीति है उस पर टैक्निकल इन्जीनियरों का कोई विशेष ध्यान नहीं है कि इस प्रकार का बांध बनावें जिससे जनता उसके पानी का उपयोग कर सके और ज्यादा अन्न पैदा हो सके। तो वह जो बांध टूट गया सरकार ने अब तक उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है और वह वैसा का वैसा टूटा हुआ पड़ा है और यह मान लें कि ५ लाख रुपये नदी के पानी में बह गये। तो बांसवाड़ा ज़िले में इस प्रकार बांध बनाने की स्थिति है। सरकार बड़े बड़े बांध बनाने और नहरें बनाने की नीति बनाती रहेगी लेकिन सरकार पहाड़ी इलाके की ओर ध्यान दे और यह विचार करे कि छोटी सिंचाई से किस प्रकार वहां पर तत्काल फायदा हो सकता है और लोगों को सुविधा मिल सकती है तो ज्यादा अच्छा हो।

बांसवाड़ा ज़िले में करीब ३ लाख १६ हज़ार किसान सिर्फ खेती पर ही निर्भर हैं और वहां ऐसी भूमि है जिसमें वर्षा के समय जो फसल बोई जाती है, समय पर वर्षा होती है तब तो एक फसल पक सकती है वरना वहा फसल नहीं पक सकती। कभी वर्षा नहीं हुई तो वैसे ही सूखा पड़ जाता है और अकाल पड़ जाता है, लोग मारे मारे फिरने लगते हैं और भूखों मरते है। दूसरा उनके पास कोई साधन नहीं है जो छोटी सिंचाई या कुंओं से खेती करके अनाज पैदा कर सकें। इस प्रकार का कोई साधन नहीं है जो अपने तालाबों से

(श्री मोगजी भाई)

या किसी प्रकार के नदी नालों से पानी लाकर सिंचाई करके खेती की पैदावार कर सकें। इसलिये वहां की हालत हमेशा ऐसी बनी हुई है कि हमेशा लोग बेकार रहते हैं, भूखों मरते हैं और हर दूसरे तीसरे साल कुदरत से अकाल भी वहां पड़ता रहता है, तो सरकार उस पर ध्यान दे जो कि ऐसे नदी नाले हैं जिनमें कम से कम १०० एकड़ या २०० एकड़ या ५०० एकड़ तक जिसकी पीयत हो सके। ऐसी पीयत के छोटे बांध बनाकर पीयत का साधन बना सकते हैं और वहां के लोगों को इस बांध से तत्काल फायदा मिल सकता है। ऐसे बांध बनावें तब तो उन लोगों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है और पैदावार बढ़ सकती है। क्योंकि ऐसे बड़े बांध बनाने जैसी भूमि वहां पर नहीं है जो कि हजारों एकड़ भूमि की एक साथ सिंचाई कर सके क्योंकि ऊंची नीची पहाड़ी भूमि पर बांध बनाने और नहरें निकालने की गुंजायश नहीं है, इसलिये इस इलाके में या तो सरकार विशेष करके छोटे बांध बनाने की ओर ध्यान दे नहीं तो उन किसानों को जो कम से कम अपना कुंआ खोदकर अपनी खेती की पीयत कर सकें उसके लिये कम से कम २००० रु० तक की तकावी, कुंओं के लिये दे। सिंचाई विभाग की ओर से या कृषि विभाग की ओर से जिससे ये लोग अपने कुंओं के द्वारा खेती की सिंचाई कर सकें तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। सरकार ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जो कि इस इलाके में खेती का एक ही साधन है और एक ही फसल की ज़मीन है और एक ही फसल वहां पर होती है इसके अलावा ६ महीनों तक किसान बेकार बैठा रहता है और उसके पास में दूसरा कोई धंधा नहीं होता। बांसवाड़ा ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों के बीच में है। वहां पर सारे ज़िले में कोई कारखाना नहीं है और कोई दूसरा धंधा नहीं है। लोग बेकार रहते हैं और वहां पर जमीन भी बहुत कम है। वैसी सूरत में उन लोगों के लिये सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि छोटी सिंचाई की सुविधा जितनी ज्यादा मिल सके उतनी ज्यादा दी जाय और उनको ज्यादा से ज्यादा कुओं के लिये ऋण दिया जाय। दूसरी वहां पर ऐसी भूमि है जहां छोटे बांध बनाकर उन किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा सके, उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

सरकार की ओर से, हमारे बांसवाड़ा ज़िले में जो माही नदी है उसका सर्वे दो तीन साल से चल रहा है लेकिन अब तक मालूम नहीं हो सका कि सरकार उस पर दूसरी पंच वर्षीय योजना में बांध बनायेगी, या तीसरी पंच वर्षीय योजना में बनायेगी, कब तक हम लोग आशा लगाये बैठे रहें। सरकार की ओर से आश्वासन देने के बाद भी इस ज़िले की उपेक्षा करके टाला जा रहा है। तो मैं यह कहूँगा कि हमें अभी फिलहाल जितना फायदा मिल सके उतना देना चाहिये, हम सिंचाई कर सकें और अंत में जाकर लोग अपना पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें इस तरफ सरकार ध्यान न देकर एक लंबी योजना बनाकर आगे के लिये सोच रही है यह हमारे साथ में एक तरह का धोखा है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि वहां पर अभी ५६,५७ में एक मीटिंग हुई थी कलेक्टर कार्यालय में ज़िला विकास समिति की ओर से डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी की। उसमें कलेक्टर और इंजीनियर सब आये थे उस मीटिंग में चर्चा

(श्री मोगजी भाई)

हुई थी और मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि सरकार जो रुपया सिंचाई के नाम से वितरण करती है और तालाब बनाने का विचार रखती है उससे या तो उन किसानों को ज्यादा से ज्यादा तकावी देकर प्रोत्साहन दिया जाय या ऐसे बांध बनाये जाय जिससे उनको लाभ मिल सके, तो वे लोग हंसने लगे और मुझको सिंचाई इंजीनियर ने और भारत सेवक समाज के एक कांग्रेसी बहुत बड़े नेता हैं उन्होंने कहा कि सरकार अभी जितने रुपये देती है उनको कम से कम थोड़ा थोड़ा खर्च करके लोगों को खाना चाहिये। एक दम पेट भरने का कौन सा रास्ता है। ज़िले के लोगों के नाम पर किसानों के नाम पर पैसा खाना कहां तक उचित है? उस समय मैंने कहा था कि १९५३-५४, १९५४-५५ में करीब ५० हज़ार रुपया तकावी के नाम पर खर्च किया गया, लेकिन उसका हिसाब नहीं रखा कि किस तालाब पर मिट्टी डलवाई, कहां क्या किया। जो पैसा खर्च किया, उसको खा गये। ५० हज़ार रुपया उस ज़िले में जाता है सिंचाई के नाम पर, उसमें से ५, ५ हज़ार रुपये वितरित करते हैं किसी तालाब के नाम पर, उस तालाब पर कुछ मिट्टी डलवाई और पैसे को हज़म कर गये। हमारे सिंचाई ऑफिसर जाते हैं, वे उसका निरीक्षण करते हैं। उसके बाद बर्षा हो गई, और जो मिट्टी डाली थी, वह बह गई। अब आयन्दा इस साल और मिट्टी डाली जायगी ऐसी नीति है, कि तालाब के नाम पर लोगों को कहते हैं कि श्रमदान करो तो कुछ पैसा सरकार लगायेगी। इस प्रकार झूठे आंकड़े तैयार करके पैसा खाने का रवैया रहा है, और लाखों रुपया बरबाद हो रहा है। काश्तकारों को फायदा मिले और तालाब बने, उससे लोग भूमि को पीवल करें, सिंचाई करें, इस दृष्टि से बांसवाड़ा ज़िले की ओर सरकार ध्यान दे। जो लोग स्वयं खेती करते हैं, उनको पानी के साधन के लिए पैसे की मदद करें और उन लोगों को सुविधा दें ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को फायदा मिल सके। हर साल २५ हज़ार ५० हज़ार सिंचाई के नाम पर सरकार देती है, उसमें से कुछ पैसा तालाब के नाम पर देते हैं, जो तालाब बनते हैं, उनमें कुछ श्रमदान वहां के लोग करते हैं और कुछ सरकार पैसा देती है। यह तरीका है जिससे कुछ लोग बीच में रखे जाते हैं, जो तालाब में कुछ मिट्टी डाल कर बाकी का पैसा खा जाते हैं, और न कोई तालाब बनता है, न नहर निकलती हैं और न बांध बनता है। यह सरकार की नीति उपेक्षा की नीति है, जिसमें कि लोगों की उपेक्षा करके पैसा खाने के लिये आप कहते हैं। वे लोग भी कहते हैं कि सरकार जब पैसा देती है, जब सरकार की यह नीति है तो लोगों को पैसा खाना चाहिए। लोगों को फायदा देने के लिए बड़ी बड़ी योजनायें बनाते हैं, भाषण करते हैं, सरकार यह योजना बनाती है कि यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। लेकिन सुरटिया जैसा बांध बना, जिसमें करीब पांच लाख रुपये लगे। लेकिन माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने उसका न उद्घाटन किया है और न भाषण दिया है। अगर उसका उद्घाटन हो जाता तो तालाब शुरू हो सकता था और उससे सिंचाई होने लगती। लेकिन अब तक उद्घाटन नहीं हुआ। तालाब बन गया, बिल पेश करके पैसा ले लिया ठेकेदार ने। सरकार का ध्यान है कि इस तालाब पर कितना पैसा खर्च हुआ, क्यों हुआ। कैसे हुआ उसके सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच नहीं की। अगर जांच होती है तो फर्जी जांच

(श्री मोगजी भाई)

करके मामले को टाल दिया जाता है । आज भी सुरठिया बांध वैसा का वैसा पड़ा है और लाखों रुपया पानी में बह गया है । तो मंत्री महोदय विशेष तौर पर मेरी बात पर ध्यान देंगे कि छोटी सिंचाई योजना पर, ऐसे ज़िलों के अन्दर, जहाँ कोई और साधन नहीं है, बाँध नहीं, वहाँ के लोगों के लिए ज्यादा रकम देने की कृपा करें । हमने सरकार का ध्यान हमेशा दिलाया है कि वहां के लोगों के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है । इससे खेती करने वाले लोग हमेशा बेकार रहते हैं, और जो एक फसली ज़मीन है, उसके लिए सिंचाई का कोई दूसरा साधन नहीं है तो इस ओर ध्यान दिया जाय ।

श्री सभापति : श्री भंवर लाल शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हिंडोली) : सभापति महोदय, मेरे कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या ३२ पर है । मैं कुछ अर्ज करूंगा बूंदी ज़िले की सिंचाई विभाग की समस्या के बारे में । इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा ज़िला वास्तव में थोड़ा हमेशा से सौभाग्यशाली रहा है, जहाँ कि सिंचाई के साधन बन रहे हैं, चम्बल का बांध बन रहा है किन्तु बांध और नहरें बनने के बाद जो जो दूसरी कठिनाईयां आई हैं, उनके बारे में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । खास तौर पर मैं पहले चम्बल नहर को लूंगा । चम्बल से जितनी नहरें बूंदी ज़िले में, केशोराय पाटन, तालेड़ा में आई हैं, उन जगहों पर नहरें निकल चुकी हैं, अधिकांश जगह खुदाई हो गई है परन्तु जिनकी ज़मीनें उस नहर में आई हैं, उनमें से अधिकांश को अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला है । उनको बिना नोटिस दिये उनकी ज़मीन पर नहर खुदवा दी जाती है । खैर, जल्दी नहर खुदनी चाहिए, इसलिए ऐसा हो सकता है । लेकिन इसके साथ ही नाप भी पूरी नहीं की जाती है । जहां नहरें खुदवाई, उस ज़मीन का नाप कर लिया, लेकिन खेत में जो गड्डे लगाये गये, वह ज़मीन नाप में नहीं आई । बीच बीच की नाप करके हिसाब कर लिया जाता है । यह बड़ी मुश्किल लोगों के सामने है, चाहिए तो यह था कि नहर के लिए जो ज़मीन ली गई है, उसका रुपया दिया जाता है, लेकिन सम्बन्धित ऑफ़िसर पंचायत के मुकाम पर, तहसील के मुकाम पर जाकर स्वयं बातचीत करके उनकी कठिनाइयों को दूर करते । इस काम के लिए दफ्तर कोटा में रखा गया है, और वहां काश्तकारों को बुलवाया जाता है । मैं अर्ज करूंगा कि जो लैंड रिक्वीजिशन ऑफ़िसर हैं, मि० बैनर्जी, उनका व्यवहार किसानों साथ बुरा है, किसानों को वे दुतकारते हैं, उनको फटकारते हैं और कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं । किसान जाते हैं तो उनकी बार बार तारीख बदलते हैं । मैं अर्ज करूंगा, सभापति महोदय, कि यह कैसा व्यवहार किया जाता है । इस तरह से जनता के राज्य में आज जब उनके साथ सुन्दर व्यवहार करना चाहिए, प्रेम के साथ, सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ इस तरह दुत्कार कर, फटकार कर बात करते हैं । लोग कहते हैं, साहब, इस तरह से हमें दुत्कार दिया, तो हमें विशेष दुःख होता है । मेरे पास ५०, ६० किसान आये, उन्होंने कहा कि पटवारी ने जो खाते की नकल दी, उसको ऑफिसर नहीं मानते हैं । वे कहते हैं कि तहसीलदार के दस्तखत कराके लाओ । वे लोग तहसीलदार के पास गये, वह कहता

(श्री भोगजी भाई)

है कि हम कभी दस्तखत नहीं करते, जाओ तुम उनके पास वापिस जाओ। वे वापिस जाते हैं तो कलेक्टर कहता है कि मैं तहसीलदार को लिख देता हूं। इस प्रकार वे कलेक्टर तहसीलदार को लिखते हैं, कलेक्टर के लिखने के बाद तहसीलदार पटवारी को लिखता है और पटवारी कानूनगो को लिख देता है। कानूनगो कहता है कि मैं वहां २० दिन के बाद जाऊंगा तब कागज़ ले जाऊंगा। जिसकी ज़मीन चली गई, वह कोटा जायगा, पाटन जायगा, बूंदी जायगा, आने जाने पर खर्च करेगा और इसके साथ अपना टाइम खर्च करेगा। यह मुसीबत है। कई दफा मैं मिला, किसानों की बात को लेकर गया, लेकिन उनके ऊपर असर नहीं होता है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि इसप्रकार जो मुआवज़ा देने का तरीका है, इसके बजाय तहसील मुकाम पर, पटवारी मुकाम पर ऑफिसर जायं, वहां पटवारी को और तहसीलदार को उपस्थित रहना चाहिए, उनके साथ शांति के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि गांव के लोग पढ़े नहीं होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती हैं, पटवारी उनको नकल देते हैं तो वे चार चार रुपये ले लेते हैं। वे क्या करें, उनको रुपये देने पड़ते हैं। जो सही बात है, वह मुझे अर्ज करनी पड़ती है। सभापति महोदय, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मैं अर्ज करूंगा कि मुआवज़ा जल्दी मिल जाना चाहिए। इसके साथ ही जिस ज़मीन का नाप नहीं हुआ है, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को अपने विभाग के द्वारा, जिन जिन आदमियों की ज़मीन आई हैं, ऐसे आदमियों के मामलों को निबटाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं भी समय देने को तैयार हूं। एक एक किसान के हित को देखा जाय। लोगों की ज़मीन लेते हैं, उनको डेढ़ साल बाद ज़मीन देते हैं। ऐसे मामलों को जल्दी ही तहसीलदार और खुद सरकार को निबटाना चाहिए और जितनी कम ज़मीन नापी गई है, उसका भी मुआवज़ा देना चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कि कितनी ही ज़मीन में बोई हुई फ़सल भी खोद दी गई। उनको नोटिस नहीं दिया, उनको पता नहीं था कि उनकी ज़मीन ली गई हैं और जब उन्होंने फसल बो दी तो उस फसल को खोद दिया गया। खैर ठीक है कि जहां नहर आती थी, वहां फसल खोदी गई। जब नहर खुद रही थी, तब मज़दूरों ने कहा कि फसल आती है, उन्होंने कहा कि फसल खोद दो, मुआवज़ा दे देंगे। जब तहसीलदार के पास वे किसान जाते हैं तो वह कहता है कि हमारा काम नहीं है। जब सिंचाई विभाग के पास जाते हैं तो वे भी परवाह नहीं करते, । आडीला, घाटा का बराना, अरनेठा, कापरेन जालीजी का बराना, हीगोड्या दईखेड़ा में इस प्रकार जो काश्तकारों की फसल खोदी गई, उनके दाम नहीं दिये गये। मैं अर्ज करूंगा कि सरकार अपने विभाग के द्वारा जांच करवाये कि कौन कौनसे काश्तकारों की कौनसी फसल, कितने रुपये की खराब हो गई है और उसके बाद उनको दाम दिलवाने चाहिए। यह न्याय की बात है। इसके अलावा एक और समस्या यह है कि नहरें निकलने पर मुख्य मुख्य कस्बों के रास्ते बन्द हो गये हैं। खैर, गवर्नमेंट विभाग की मर्जी हुई, वहां रास्ते बना दिये। जहां रास्ते बने, वहां किसान का खेत इधर है, और गाँव उसका उधर रह गया है, दो तीन मील चल कर वह जायगा। इसी प्रकार किसी का गांव इधर है और खेत उधर है। जो मुख्य मुख्य रास्ते आते हैं, उन्हीं

(श्री मोगजी भाई)

बनवाना चाहिए । अडीला, घाटा का बराना, अरनेटा कापरेन आलीजी का बराना आदि गांवों के बारे में मैं अर्ज करूंगा ये जो बड़े बड़े कस्बे हैं पाटण के, उनके सामने रास्ता नहीं रखा गया है, अगल बगल में रास्ता रोक कर किया गया है। तो रास्तों की जो जो कठिनाइयां हैं वे दूर होनी चाहिये। हमारे बटड़, बूंदी ज़िले में छोटे छोटे बांध हैं, दो साल पहले टूट गये, टूट जाते हैं पर सभापति महोदय, उनको दुबारा बनवाने की ज़िम्मेदारी किसकी है ? उनकी वापिस शीघ्र से शीघ्र मरम्मत होनी चाहिये, नहीं तो काश्तकारों को बड़ा आर्थिक नुक्सान होता है अन्न की भी कमी होती है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इनका निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिये, इनकी मरम्मत जल्दी से जल्दी की जानी चाहिये। गुढ़ा बांध पर इस साल नहर चालू की गई है, जो जड़कात गांव के पास में आती है, इस गांव को इसके पानी से बड़ा नुक्सान हुआ है। पानी के रिसाने से गांव को बड़ा नुक्सान हुआ है, इसके लिये सरकारी अधिकारियों के पास रिपोर्ट की गई, कई बार कहा सुना गया पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसको देख कर किसानों को बर्बादी से बचावें।

इस कटौती प्रस्ताव के ज़रिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि नाप पूरा कराया जाय। और जिन किसानों की ज़मीनें सिंचाई की नहरों के लिये ली गई हैं, उनका उनको मुआवज़ा दिया जाय। जिसको जितना नुक्सान हुआ है उसकी पूर्ति की जाय। इसका मुआवजा उनको तहसीलों के मुकामों पर जाकर उनकी कमी पूर्ति कराई जाय और किसानों को इस प्रकार भटकाते भटकाते न फिराया जाय।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): सभापति महोदय, मैंने मांग संख्या ३२ में जो सिंचाई योजना है उसमें गुढ़ा बांध की अव्यवस्था और उसके निर्माण में जो उपेक्षित नीति रही है। उसके विरोध में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव किया है।

यों तो राजस्थान में सिंचाई योजना को बहुत महत्व दिया गया और हमारी योजनाओं की बहुत सी धन राशि भी इसमें खर्च की जा रही है। मैं महसूस करता हूं कि जितनी बांध बनने की योजनाएं, नहरों की योजनाएं बनाई गईं तो इनके खर्चे की तुलना में जिस प्रकार की योजना निश्चित की गई थी कि इस योजना में इतनी धन–राशि खर्च होगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा इतनी भूमि सिंचित होगी और खर्चा इतना होगा। तो राजस्थान में जितनी छोटी बड़ी योजनाएं हैं उनको तैयार करते समय यह निश्चित किया गया था कि इतनी धन–राशि इन पर खर्च होगी, इतनी भूमि इनसे सिंचित की जायगी और इतना लाभ होगा। अब इस चीज़ की तुलना करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान के कई इलाकों में जो ये योजनायें क्रियान्वित की गई तो उनमें रुपया तो इतना खर्च हुआ, इसके साथ ही साथ उस बंध के बंध जाने से इतनी भूमि सिंचित होगी, यह निश्चित रूप से योजना में रखा गया था और लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था कि अमुक साल में इतनी और अमुक साल में इतनी कामयाबी हासिल करेंगे। कई योजनाओं के अन्दर जो बांध बनाने थे उनमें जो धन निश्चित

(श्री मुरलीधर व्यास)

किया गया था, उस धन राशि से धन तो अधिक खर्च हुआ पर यह जो निश्चित किया गया था कि इतनी भूमि की सिंचाई होगी और इतने किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा, उससे बहुत कम भूमि की सिंचाई और बहुत कम लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। ये दोनों बातें बहुत महत्व की हैं। यदि किसी योजना में धन को खर्च करते हैं और एक निश्चित धन राशि उसके लिये रखते हैं, उस धन राशि से ज्यादा धन राशि खर्च कर देते हैं पर उससे जो लाभ निश्चित किया गया था उस लाभ से बहुत कम लाभ पहुंचता है, तो गहराई के साथ इन बातों का निरीक्षण करना चाहिये।

खास तौर से गुढ़ा बांध को ही लेता हूँ और बताना चाहता हूं कि इसमें कितना खर्चा निश्चित किया गया था और कितनी ज़मीन सिंचित हुई है कितना वादा किया गया था कि इतनी भूमि इससे सिंचित हो सकेगी।

जहां तक गुढ़ा बांध योजना का सवाल है, ठीक है, सरकार अपने दृष्टिकोण से बनाती है। पहले भी इसके लिये योजना बनी थी और इसके लिये ८ लाख की धन राशि रखी गई थी। पर जब इस बांध की योजना सरकार ने बनाई तो ४० लाख की योजना बनी और निश्चित किया गया कि ४० लाख इस बांध की बंधाने में लगेंगे और ३७ हज़ार एकड़ भूमि इस बांध से सिंचित हो सकेगी।

अब यह देखना है कि इस योजना में जो ४० लाख रुपया लगाना था, जो पहले सोचा था ८ लाख का था अब कीमतें बढ़ी हुई हैं उस हिसाब से ४० लाख हमने सोच लिया, पर अब वहां पर ७० लाख रुपया खर्च हो गया और उसमें जो हमने सोचा था कि इतनी २ भूमि सिंचित होगी, ३७ हज़ार एकड़ भूमि सिंचित होगी वहां केवल ढाई—तीन हज़ार एकड़ भूमि सिंचित होती है।

तो जिस समय धन राशि के खर्च का सवाल आया तो कहा कि इतनी भूमि का सिंचन होगा और इतने किसानों को इतना इतना लाभ पहुँचेगा, जो धन राशि निश्चित की थी उससे तो कहीं अधिक धन राशि खर्च हो जाती है और जितना लाभ होने का निश्चित किया गया था उससे बहुत कम लाभ होता है, जितनी भूमि के सिंचन का एस्टीमेट लगाया था उससे कहीं कम भूमि का सिंचन होता है। तो जो धन राशि निश्चित की गई थी, उससे दुगुनी खर्च कर दी जाती है खर्च में लापरवाही की जाती है। जब इस विभाग के इन्जीनियर्स को ज्यादा तनख्वाह देने का सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है कि योग्य आदमी मिलते नहीं हैं इसलिये इन्जीनियर्स को ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है, इस बात को कह कर तीन तीन, चार चार हज़ार रुपया महावार का वेतन देकर योग्य आदमी रखे जाते हैं और उन योग्य आदमियों को रखने के बाद में जो योजना बनती है, वह योजना कामयाब नहीं होती, बांध टूट जाय फिर उन पर रुपया लगाना पड़े और जो यह निश्चित करते हैं कि इतने एकड़ भूमि इससे सिंचित होगी, इतने किसानों को इससे इतना इतना लाभ होगा, वह नहीं होता है तो इसके लिये कौन ज़िम्मेदार हैं ?

गुढ़ा बांध का प्रश्न पहले भी सदन में

(श्री मुरलीधर व्यास)

आया और पब्लिक अकॉउन्टस कमेटी में भी यह प्रश्न आया और पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी में यह पूछा गया कि कौनसे अधिकारी की ज़िम्मेदारी थी कि यह बांध ठीक से बने और किसानों को नुक्सान नहीं हो ? मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब ऐसे बांध बनते हैं, किसानों से कहते हैं कि आस पास की जगह से हट जाओ, यहां बांध बनेगा। वहां किसानों ने कहा, जब उनसे कहा गया कि बांध तो क्या बनेगा यह तो कल ही टूट जावेगा, इसकी हालत ठीक नहीं है, वे लोग वहां पर ही जमे रहे। एक मामूली किसान कहता है कि यह बांध तो कल टूट जावेगा और एक्चुअली जब ऐसा हो जाता है तो दूसरी तरफ जिन अधिकारियों को हज़ारों रुपया देते हैं तनख्वाह के, वे अधिकारी समझ नहीं पाये और बांध टूट गया, वे अधिकारी अधिक से अधिक वेतन ही इसी बात का पाते हैं कि ऐसे कामों के लिए योग्य होने चाहिये और योग्यता के लिए तो तनख्वाह देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद यह बात होती है तो सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि उसकी गहराई से जांच करे। इस सम्बन्ध में अकॉउन्ट्स कमेटी ने जांच की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वे कहते हैं कि, चीफ़ इन्जीनियर यह कहते हैं कि मैंने मौके पर जाकर उसको देखा था और कहा था, कि इस बांध को अभी नहीं किया जाय, लेकिन एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर ने हमारा कहना माना नहीं और इसी कारण से यह नुक्सान हुआ और दूसरी तरफ एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर कहता है कि हमें किसी प्रकार का हुक्म नहीं दिया गया कि इसको नहीं किया जाय और जैसी योजना थी उसके अनुसार हमने काम किया। इस सारी स्थिति को देखने के बाद जो नुक्सान हुआ है उसका कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं यही कहा जाता है कि जो योजना निश्चित की थी उसके अनुसार काम न होकर कार्य में परिवर्तन कर दिया गया और इससे इतना नुकसान हुआ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां जनता के धन को इस प्रकार खर्च किया जा रहा है और खर्च करने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी तो हैं, लेकिन वे परवाह नहीं करते, बांध चाहे टूट जाय उनको देखना चाहिये था समय पर देखा नहीं, उस सम्बन्ध में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये था, लेकिन जहां सरकार को इस प्रकार की गैर ज़िम्मेदारी पूर्ण कामों के लिए सख्त कदम उठाना चाहिये था, अब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। यदि कोई इस प्रकार की स्थिति होने पर भी सरकार सख्त कदम न उठाये तो दूसरी योजनाओं को ही ले लीजिये, इस प्रकार की स्थिति और भी जबर पैदा हो सकती है। इस गुड़ा बांध में ही कई गलतियां हो रही हैं और लोग कहते हैं कि जो तरीका निश्चित किया गया था कि किस प्रकार बांध बनवाना है, किस प्रकार उस पर रोलिंग करवाना है, जो जो बातें तय की गई थीं उनके अनुसार आज भी काम नहीं हुआ है। ये जो कमियां रह गई हैं और नुकसान हो रहा है तो जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर इतना रुपया खर्च करने के बाद भी, ज्यादा रुपया तो खर्च कर दिया और जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि इतना रुपया खर्च करने के बाद इतनी जमीन सिंचित होगी तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

उतनी जमीन क्यों नहीं सिंचित हुई ? क्या कमियां इसमें रह गईं और क्यों वे रहीं उन सब को गहराई से देखना चाहिये। इन चीजों का सर्वे नहीं हुआ कि सीमा से अधिक खर्चा होने के बावजूद भी जो सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था फिर भी उतनी सिंचाई नहीं हुई इसका कारण क्या है और इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि केवल गुढ़ा बांध का ही सम्बन्ध नहीं है, जितनी भी योजनायें है और उनमें जितनी भी धन राशि खर्च की गई है, चाहे बड़ी योजनायें, भाखरा आदि हों और चाहे छोटी सिंचाई योजना हो, जितनी योजनाओं में जितनी जितनी धन राशि खर्च की गई हैं, जितना लक्ष्य धन राशि खर्च करने का निश्चित किया गया था और जितनी जितनी भूमि जितने जितने समय के बीच सिंचित करने का लक्ष्य किया गया था, उनका, सब का सर्वे किया जाय और इस की जांच की जाय और जांच करने के बाद ऐसे कदम उठाये जाय कि जितनी धन राशि खर्च करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था उससे अधिक धन राशि क्यों खर्च की, जो योजना लक्ष्य के अनुसार पूरी होनी चाहिये थी वह क्यों नहीं हुई, और इसके लिए कौन कौन अधिकारी ज़िम्मेदार हैं, इसलिए सरकार तत्काल कदम उठाये। ३७ हजार एकड़ भूमि इस गुढ़ा बांध से सिंचित होनी चाहिये थी वहां यदि ढाई हजार एकड़ भूमि ही सिंचित होती है और धन राशि जो निश्चित करते हैं उससे दुगुनी और ड्योढ़ी खर्च हो जाती है तो मैं समझता हूं कि योजना में कोई कमी है और उसको पूरा करना चाहिये। इसके सम्बन्ध में भी यह पता लगाया जाय कि इस प्रकार से काम पूरा क्यों नहीं होता। सरकार ने नहरें बना दी, उसके बाद डिस्ट्रिब्युटरी नहरें होनी चाहिये, उसकी व्यवस्था नहीं, पानी के वितरण की व्यवस्था होनी चाहिये थी, वह भी नहीं की। जमीन यों ही पड़ी हुई है, नहरें निकली हुई हैं लेकिन जमीन अलॉट नहीं की गई है। सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि पानी तो पहुँच जाय और जमीन पड़ी न रहे। लेकिन जब जमीन खाली पड़ी रहती है तो मैं समझता हूं कि यह काम की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जहां खाद्य के उत्पादन में इतना सतर्क रहना चाहिये था कि एक एक इंच भूमि को भी खाली न रहने दिया जाता खास तौर पर इन बांधों के नीचे जो जमीनें हैं, वहां हम देखते हैं ये जमीनें यों ही खाली पड़ी हैं, और सतर्कता बरती नहीं जाती। एक तरफ तो यह हाल है और दूसरी तरफ यह स्थिति बना दी है कि नहरें बनानी हैं तो किसानों के खेत कुएं खोद डाले गये हैं क्योंकि ठेकेदार तो ठेका लेता है और उसका काम होता है नहरें खोदना। वह रास्ते के अनुसार खोदता हुआ चलता है, यदि उसमें खेत आजाय, कुआं आजाय, मैंने तो यहां तक सुना है कि बड़ी बड़ी बावड़ियां तक आईं जिन पर हज़ारों रुपया किसानों का खर्च हुआ था और खर्च करके उनको बनाया गया था, उनको तक खोद डाला है चूंकि नहर इसी रास्ते से जावेगी और उस ओर विचार तक नहीं किया गया। ठेकेदार तो इतना ही दृष्टिकोण रखता है कि मुझे अपना काम करना है, परन्तु पानी दिया नहीं जाता वहां पर। यदि पानी के आजाने के बाद भी उसके उपयोग का सवाल है, उसनें तत्परता से काम न करें तो उससे क्या लाभ हुआ ? इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार से कहीं भी बांध, नहरें बनाने में सरकारी अधिकारियों ने

(श्री मुरलीधर व्यास)

निश्चित लक्ष्य से अधिक खर्च किया है, सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा से अधिक धन राशि खर्च हुई तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार हों उनके विरूद्ध सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे। कारण बता दिये उनकी भी जांच होनी चाहिये। कारण यह भी बताया गया कि वर्षा ज्यादा होने से बांध टूट गये, लेकिन हर साल वर्षा होती है, यह तो इन्जीनियर की ज़िम्मेदारी होती है, कि वर्षा के औसत की जांच करे और उसका ख्याल रखकर ही बांध बांधे, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार के छोटे छोटे कारणों का ख्याल न करके सरकार का यह फर्ज है कि जितनी योजनायें हैं, जितने बांध हैं, नहरें बनी हैं, उन के बनाने में लक्ष्य से अधिक खर्चा हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, टूट फूट हुई है तो वह किन कारणों से हुई है ? जो लोग इन सब के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करे और जो योजना का लक्ष्य रखा गया था कि उस बांध से जितनी भूमि सिंचित होनी चाहिये थी उतनी क्यों नहीं हुई खाली क्यों पड़ी है लैंड अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ, कौन कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसकी, सरकार को चाहिये कि पूरी जांच करे और इसका सर्वे हो, ताकि ठीक तरीके से काम हो सके।

श्री सभापति : श्री सम्पतराज जैन।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा मांग संख्या ३२ में प्रथम कटौती प्रस्ताव झालावाड़ ज़िले की माध्यमिक सिंचाई योजना पर विचार करने के लिए है।

आदरणीय सभापति महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई थी, उस समय झालावाड़ ज़िले में चार बांध माध्यमिक सिंचाई योजना के अन्तर्गत बनाने के लिए रखे थे। पहला तो पीचर बांध, दूसरा भीमसागर बांध, तीसरा मनोहरथाना परियोजना और चौथा भवानीसागर बांध हैं। इन चारों में से प्रथम पीचर बांध और दूसरा भीमसागर बांध इसको हाथ में लिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के पांच वर्ष सम्पूर्ण हो गये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तीसरा साल समाप्त हो गया और चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं लेकिन दोनों की माध्यमिक सिंचाई योजना पूरी नहीं हो पायी हैं। यह जरूर है कि इन पर काम हुआ है, प्रगति भी हुई, लेकिन प्रगति इतनी धीमी है कि जो कार्य पांच साल में होना चाहिये था वह आठ साल में भी पूरा नहीं हो पाया है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि सन् ६० में यह कार्य समाप्त हो जायगा इसकी आप रफ्तार को जब देखते हैं तो, मैं तो कहूंगा कि ६० के बजाय ६२ तक भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये जहां तक इन दोनों बांधों का सवाल है चेयरमैन महोदय, मैं आपके ज़रिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस धीमी प्रगति की तेज़ रफ्तार करने का कष्ट करें ताकि आपके द्वारा विधान सभा में दिये गये इस उत्तर का, यह बांध १९६० तक पूरे हो जायेंगे, काम १९६० तक पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, पूरा हो जावे।

दूसरी बात आपसे मैं निवेदन करूंगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्लान बनाया उसमें झालावाड़ के इलाके में चार बांध रखे थे लेकिन केवल दो पर काम शुरू हुआ है।

(श्री सम्पतराज जैन)

बाकी दो का सर्वे कराया गया। लेकिन उसके बाद मैं नहीं समझता कि उनकी सर्वे की क्या रिपोर्ट आयी ? अगर ये दोनों बांध भी बनवा दिये जाते तो हज़ारों बीघा की सिंचाई हो सकती थी। ये दोनों मध्यम सिंचाई योजना के बांध थे, इसमें मनोहर थाना के बांध पर ९५ हज़ार रुपया और भवानी सागर पर ७० लाख का अन्दाज़ था। मैं इसके लिये निवेदन करूं कि गये साल इसके लिये बजट में रकम रखी गई और मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत इसको रखा गया था, पहले झालावाड़ ज़िले के लिये चार योजनायें रखी गई थी उसमें से दो का काट दिया जाना न्याय संगत नहीं है। झालावाड़ ज़िले में ९ नदियां हैं उनमें काफी पानी है उसका उपयोग किया जाय। इस ज़िले के तीन चौथाई भाग की सिंचाई हो सकती है इस पानी का उपयोग न करना यह उचित नहीं है। जिस इलाके में पानी नहीं वहां भी नहरें निकाली जानी चाहिये झालावाड़ और कोटा डिविज़न में जो नदियां है, वह पानी से भरी हुई हैं उस पानी का उपयोग न करना झालावाड़ और कोटा के किसानों के साथ न्याय नहीं है।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि झालावाड़ ज़िले के लिये जहां पहले चार योजनायें स्वीकृत हो गई थीं, उसमें से केवल दो को ही लिया गया और दो को छोड़ दिया गया। इन दोनों योजनाओं से खानपुर तहसील और मनोहर थाना तहसील की सिंचाई हो सकती थी। मैं यह समझता था कि झालावाड़ ज़िले की इन चारों योजनाओं को ले लिया जाता झालावाड़ ज़िले की जमीन सिंचाई हो सकती थी और वहां के किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकता था। उन दो योजनाओं को काट दिया गया जिसका बजट में नामों निशान तक नहीं रखा गया। तो मैं सभापति महोदय, आपके ज़रिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ ज़िले की जो मध्यम सिंचाई योजना है उसके अन्तर्गत दस बीस लाख रुपया खर्च किया जाय तो नौ नदियों के पानी का उपयोग हो सकता है और उससे छोटे बड़े बांध बना कर ज़मीन की सिंचाई हो सकती है।

इसके अलावा सभापति महोदय, ये छोटी छोटी योजनायें ऐसे ही, जिन पर थोड़ा सा खर्च करके तुरन्त लाभ मिल सकता है, इससे पैदावार और बेकारी भी दूर हो सकती है। छोटी सिंचाई योजना में कुंए, तालाब और छोटी छोटी नदियों पर बान्ध बनाये जाकर ये योजनायें पूरी की जा सकती हैं। ऐसे कई स्थान हैं कोटा डिविज़न में और झालावाड़ ज़िले में जहां थोड़ा रुपया लगा कर छोटे छोटे बान्ध निर्माण किये जा सकते हैं और साल डेढ़ साल में उनसे सिंचाई भी हो सकती है मगर इन पर काम शुरू किया जाय तब न।

मैं सभापति महोदय, निवेदन करूं कि इन चार वर्षों में एक लाख रुपया माइनर इर्रिगेशन के लिये रखा गया है, लेकिन उस पर भी एक दस हज़ार की योजना को स्वीकार किया गया है, और वह भी काम पूरा नहीं हो सका। जब कि एक लाख रुपया दिया गया था, उसमें से केवल दस हज़ार रुपये की योजना को चालू करना और वह भी पूरा न करना, यह बताता है कि यह विभाग किस रफ्तार से बढ़ रहा है। यदि यही प्रगति इसकी रही तो झालावाड़ ज़िले का किस

(श्री सम्पतराज जैन)

प्रकार से उद्धार हो सकेगा, यह आप ही जाने। मेरा तो यह मानना है कि जब तक राजस्थान में छोटी सिंचाई योजना को चालू नहीं किया जायगा, तो राजस्थान में किसानों को किसी प्रकार से भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि आपने जो सब चीज़ों का केन्द्रीकरण कर रखा है एक लाख की भी मन्जूरी हो तो आपके यहां से हो, सारी सिंचाई योजनायें जयपुर से ही मन्जूर होकर आयें, यह नहीं होना चाहिये....

श्री रामकिशोर व्यास : On a point of explanation, Sir, It is the Collector who is authorised to do it.

श्री सम्पतराज (जारी) : कलेक्टर साहब की मन्जूरी होने के बाद भी आपके यहां से मन्जूरी लेनी पड़ती है। वहां से इन्जीनियर साहब के पास भेजी जाती है लेकिन इन्जीनियर साहब आज तक वहां पर जांच के लिये नहीं आये। सिर्फ एक तालाब की जांच पड़ताल इन्जीनियर साहब द्वारा, वह भी उस हालत में जब कि मैं खुद उनको साथ ले गया था। वहां की हालत यह है कि नये नये तालाबों का निर्माण करना और मौजूदा जो ८०, ६० तालाब हैं, जो तालाब स्टेट के समय के बने हुए हैं जिनमें थोड़ी सी मरम्मत की आवश्यकता है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एक तरफ तो नये तालाब और नये बान्ध बनवाये जा रहे हैं और पुराने तालाब जो हैं वे बिना मरम्मत के ही पड़े हुए हैं अगर हम उनकी मरम्मत नहीं करवाते हैं तो उनसे जो सिंचाई पहले होती थी वह भी नहीं हो पायेगी, वैसी हालत में लम्बी चौड़ी योजनाओं से क्या फायदा हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके जिन तालाबों से स्टेट के समय में सिंचाई होती थी, उन तालाबों की आप मरम्मत करवा दीजिये। वे सारे तालाब सिर्फ दो तीन लाख रुपये में ठीक किये जा सकते हैं इससे किसानों को लाभ मिल सकता है और उससे स्टेट की आमदनी में इज़ाफा हो सकता है। इसके अलावा मेरा यह निवेदन भी है कि जो रुपया आप जिस ज़िले के लिये खर्च करना चाहे, उसका पूरा अधिकार आप कलेक्टर को दे दें और डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी योजना मन्जूर करके सारे निर्माण कार्य कराये, तो मैं समझता हूँ जो आज इस प्रकार के कार्य में देरी होती है वह न होने पायेगी। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं का आप एक मास्टर प्लान बनाइये। उसमें आप यह भी रखिये कि किन किन तालाबों को बनवाना है, कौन कौन से छोटे छोटे बान्ध बनवाने हैं, इस प्रकार आप डिस्ट्रिक्ट वाइज़ छोटी योजनाओं का मास्टर प्लान बना कर रखिये और फिर जिस योजना को आप प्राथमिकता देना चाहें उनको दीजिये। इसके अलावा जो भी रुपया जिस जिस ज़िले के लिये मन्जूर हो जाता है, वह बज़ट के मन्जूर होने के तुरन्त बाद उनके पास पहुंच जाना चाहिये, ताकि प्रत्येक ज़िले के मास्टर प्लान के अनुसार वह कार्य शुरू कर सके। मास्टर प्लान के बिना इन कामों में गड़बड़ हो सकती है।

अब मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से तालाब हैं जिन

(श्री सम्पतराज जैन)

पर काम किया जा सकता है, जैसे मनोहर थाना तहसील के ये तालाब हैं जिन पर मामूली खर्च से काफी सिंचाई हो सकती है मनोहर थाना तहसील में अर्जुनपुरा का तालाब है इस पर दस हज़ार रुपये खर्च करने की जरूरत है, बन्धा का तालाब, पिपलोदी का तालाब, आंवलहेड़ा का तालाब, मनपसर का तालाब, रामपुरिया तालाब, ये पुराने तालाब हैं जिन पर थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। इनकी मरम्मत होने पर काफी सिंचाई हो सकती । इसके अलावा अकलेरा तहसील के ये गांव जिनमें आवन्द का तालाब है, इससे सिंचाई हो सकती, इससे तुरकाड़िया, कूकलवाड़ा, मैठून बोरदा, बन्दायका, बैठून, उचावदा का तालाब देहलनपुर तालाब इनसे करीब करीब पांच हज़ार बीघा की सिंचाई हो सकती है, इन पर केवल ६ हज़ार रुपया खर्च करने की जरूरत है। इसके अलावा बकानी तहसील के कुशलपुरा का तालाब, हींजोन का तालाब, मोजक्या का तालाब, रुज्जाई का तालाब। ये तालाब ऐसे हैं जिनसे हज़ारों बीघा ज़मीन की सिंचाई हो सकती है इन तालाबों की मरम्मत न होने से इन पर काम होना बन्द हो गया है। इसी प्रकार असनावर तहसील में कदेला का तालाब। खानपुर तहसील का जोजपा का तालाब इस पर केवल पांच हज़ार की मरम्मत की आवश्यकता है। इसी प्रकार असनावर के जो तालाब हैं उनके लिये जो दो सौ वर्ष पुराना तालाब है इस पर भी दो चार हज़ार रुपये की मरम्मत की आवश्यकता है। इस तरह से ये तालाब ऐसे हैं जिन पर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट किसी प्रकार भी ध्यान नहीं दे रहा है इससे झालावाड़ ज़िले को काफी हानि हो रही है और यही हालत रही तो मैं समझता हूं द्वितीय योजना के समाप्ति पर भी भीलवाड़ा ज़िले की सिंचाई के क्षेत्र में कोई खास फायदा होने वाला नहीं है और इससे झालावाड़ ज़िले का उज्जवल भविष्य होने वाला नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जहां तक छोटी सिंचाई योजनाओं का ताल्लुक है इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये इसके अलावा झालावाड़ ज़िले के लिये केवल १२ लाख की तकावी की मांग पेन्डिंग है उस पर सिर्फ पचास हज़ार रुपया ही दिया गया और वह भी असमय में।

जून जुलाई में तालाब खोदने को, कुंए खोदने को पैसा मिलना चाहिये....

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : सभापति महोदय कोरम नहीं है।

३.५० म० प०

(गण-पूरक घण्टी के पश्चात्)

श्री सम्पतराज जैन : (जारी) तो सभापति महोदय, किसान केवल चार महीने फारिंग रहता है। अगर उनको उन दिनों में तकावी दी जावे तो उस समय काम पूरा कर सकता है, कुंए बना सकता है, तालाब का काम कर सकता है, बाद में देने से होता क्या है कि वह रुपया उसमें तो लगा नहीं पाता और अपनी दूसरी जरूरतों में खर्च कर देता है और इस तरह से तीन-चार वर्ष तक उन कामों को नहीं कर सकता।

तो इस तरह से समय पर तकावी दी जावे और झालावाड़ जिले के लिये कम से

(श्री सम्पतराज जैन)

कम दस लाख रुपया तकावी का दिया जावे तो काफी उन्नति वहां हो सकती है। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मंत्री): सभापति महोदय....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर स): माननीय सभापति महोदय, मैं इस लघु सिंचाई योजना के सम्बन्ध में थोड़ा....

श्री सभापति: आपने क्या कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ?

श्री हरिप्रसाद यादव: इसके माने ये थोड़े ही हैं कि मैं बोल ही नहीं सकता।

श्री सभापति: आप किसके समर्थन में या विरोध में बोलना चाहते है ?

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): बोलने दीजिये साहब, साढ़े चार तक का टाइम है।

श्री रामकिशोर व्यास: मैं कहां रोक रहा हूं। लास्ट कट मोशन सम्पतराजजी का है। उस पर उनको बोलना है, बोल लीजिये।

श्री हरिप्रसाद यादव: हां, सभापति महोदय, मैं, यह कट मोशन चल रहा है, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। लघु सिंचाई योजना का विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। अभी माननीय मन्त्री महोदय कह रहे थे कौन से प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर ज़िले के अन्तर्गत वल्लभनगर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत भोपालसागर तहसील के विषय में मैं कुछ कहूंगा। वह यह है कि हमारे भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बनी, उसके अन्तर्गत हमारी भी पहली योजना बनी। उसका बजट भी हमारे सामने आया और....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया यह बताएं वे कौनसे कट मोशन पर बोल रहे हैं भोपालसागर का कोई कट मोशन नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव: उदयपुर ज़िले के मेरे साथी ने रखा है।

श्री सभापति: यदि आप आखिरी कट मोशन जो श्री सम्पतराजजी ने रखा है उसके पक्ष या विपक्ष में बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अलाऊ कर दूंगा।

श्री हरिप्रसाद यादव: जिस क्षेत्र से चुन कर मैं आया हूं, माननीय सभापति महोदय, उसमें, भोपालसागर में दूसरी योजना में सिंचाई के कार्य के लिये २० लाख रुपये का प्रावधान बजट में था और वह हमको गत वर्ष मिला था। तो मैं सभापति महोदय आपके ज़रिये मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा....

श्री सभापति: ऐसा कट मोशन नहीं है। भोपालसागर तहसील में कार्य शुरू किया गया, इस सम्बन्ध में कोई कट मोशन नहीं है, इसलिये आप इस सम्बन्ध में नहीं बोल सकते।

श्री हरिप्रसाद यादव: माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति: ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!!

श्री हरिप्रसाद यादव : आप किसी माननीय सदस्य के भावों को सुनना नहीं चाहते हैं क्या, समझ में नहीं आता है ?

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री हजारीलाल बाकोलिया (केकड़ी-सु.): माननीय सभापति महोदय, मैं लघु सिंचाई योजना के लिये आपके द्वारा...

श्री सभापति : आप कौनसे कट मोशन पर बोलना चाहते हैं ?

श्री हजारीलाल बाकोलिया : मैं जनरल बोलना चाहता हूँ।

श्री सभापति : जनरल डिबेट का समय नहीं है, वह जा चुका। अगर आप आखिरी कट मोशन के पक्ष या विपक्ष में बोलना चाहते हों तो मैं समय दे सकूंगा।

श्री हजारीलाल बाकोलिया : कट मोशन पर तो नहीं बोलना चाहता।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मन्त्री) : माननीय चेयर मैन महोदय, आज सिंचाई विभाग की मांग पर जो कट मोशन आये हैं और उन पर जो विचार माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं उनको अगर अनेलेसिस किया जाय तो यही मालूम होगा कि अधिकतर सदस्य लघु सिंचाई योजनाओं का विस्तार चाहते हैं और इस तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। उन्होंने अधिकतर ज़िलों में इस बारे में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ इस बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। इस बारे में दो राय नहीं हैं। हम भी मानते हैं। मैं इस बारे में, माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूँ कि माइनर इर्रिगेशन के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। अगर माइनर इर्रिगेशन का काम जल्दी खत्म होता है तो इसका नतीजा जल्दी मिलता है और जहां बड़ी योजनाएं नहीं पहुंच सकतीं, वहां इससे लोगों को सन्तोष हो सकता है। पहली योजना में इस पर १०६ लाख और दूसरी में अब तक तीन वर्षों में ८८।६० लाख के करीब खर्च हुआ है।

सरकार इसमें और तेजी लाना चाहती है। पर थोड़ी दिक्कतें हैं जिनको हल करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इर्रिगेशन के और पी. डब्ल्यु. डी. के और काम इतने चल रहे हैं कि जिसकी वजह से कुछ लेबर नहीं मिल रही है, कन्ट्राक्टर की डिफिकल्टी है और सबसे बढ़कर टैक्निकल पर्सनल्स की कमी है। जितने अच्छे पर्सनल्स हमारे पास हैं वे जगह जगह बड़ी या छोटी जो योजनाएं आज चल रही हैं उनमें लगे हुए हैं, उनको वहां से हटाकर इधर लगाते हैं तो उधर नुकसान होता है, उनको भी करना जरूरी है और बिल्कुल यंगस्टर को इधर लगाते हैं तो भी दिक्कत है, तो यह मामला है। सरकार इस ओर पूरी जागरूक है और जैसे जैसे ये कठिनाइयां कम होती जावेंगी वैसे वैसे तेजी लाते जावेंगे।

दूसरी बात यह कही गई कि सर्वे कई जगह का किया गया पर उन पर सरकार आगे ध्यान नहीं दे रही है। आज हम सबों के दिमाग में एक तेजी है, जल्दी है यह मैं मानता हूं। हम भी चाहते हैं कि काम जल्दी

(श्री रामकिशोर व्यास)

शुरू हो और जल्दी खत्म हो। आप को जल्दी वाजिब भी है। पर इर्रिगेशन का वर्क बाई नेचर ऐसा है कि इसके सर्वे में काफी समय लगता है और वह समय लगाना जरूरी है। इनिशियल स्टेज में काफी टाइम लगता है और इसमें तसल्ली से काम लेना पड़ता है। सर्वे के वक्त सारी बातें सोचनी पड़ती हैं कि किसमें रिटर्न कितना मिल सकता है, स्क्रूटिनी करनी पड़ती है, स्पोट की सर्वे करनी पड़ती है कि किस जगह काम किया जाय, खर्चे का एस्टीमेट लगाना पड़ता है, प्लानिंग कमीशन की एप्रूवल लेनी पड़ती है, हमें उस पर विचार करना पड़ता है, गवर्नमेन्ट की एप्रूवल लेनी पड़ती है, फाइनेन्सियल आस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, टैक्निकल राय लेनी पड़ती है। तो इन सब कामों में वक्त ज़्यादा लगता है। इस इर्रिगेशन की सर्वे के पोइन्ट से हमने और रूपया रक्खा है, ताकि ज़्यादा एरिया में सर्वे हो सकें। यह कहा गया कि इर्रिगेशन के पोइन्ट से सारे राजस्थान का सर्वे करा लिया जाय। पर यह अब तक इसलिये नहीं हो सका कि टैक्निकल पर्सनल्स की कमी थी। अगर चलते कामों से डाइवर्ट करके उनको इधर लगाते हैं तो हाथ में लिये हुए कामों में रूकावट आती है। इस साल हमने प्रोविज़न रक्खा है। अधिक से अधिक पर्सनल्स को उपलब्ध करके सर्वे कराने का सरकार का इरादा है। मास्टर प्लान सारे राजस्थान का बनाने में भी इन कारणों से दिक्कत आ रही है।

४ म० प०

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माइनर इर्रिगेशन में जैसा पहले भी निवेदन किया था कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में २३६ माइनर इर्रिगेशन वर्क्स लिये थे इनमें से १९० वर्क्स तो कम्पलीट कर पाये थे और ४६ वर्क्स ऐसे हैं कि जो प्रोग्रेस में है। तो इस तरह से माइनर इर्रिगेशन के बारे में जो माननीय सदस्यों ने भाव बताये हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए पूरी कोशिश की जायेगी और इसमें सिद्धांत से दो राय किसी की नहीं हो सकती है। मैं खुद भी आपकी बातों से सहमत हूं कि माइनर इर्रिगेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वह हम देंगे। फिर भी जो दिक्कतें और मुश्किलें हमारे सामने है वह भी मैंने आपके सामने रखी हैं। अलग अलग कटमोशन्स के बारे में जब जब ज़िलेवार आयेंगे तो मैं आपसे निवेदन करता जाऊंगा।

सिवाना ब्लॉक के बारे में कहा गया कि वहां पर कोई बांध वगैरह नहीं बनाये गये। मैं आपसे अर्ज करूं कि सिवाना बाड़मेर में है और यहां पर पानी की वैसे ही बहुत कमी है। मैं आपको बताऊं कि मैं भी चाहता हूं कि वहां पर कोई न कोई सिंचाई योजना होनी चाहिए,पर वह बिल्कुल ही रेतीला इलाका है। वैसे ब्लॉक्स के अन्दर अलग अलग फण्ड्स होते हैं तो जहां पोसीबिलिटी हो, वहां बनायें। ब्लॉक वाले बनवा सकते हैं साइट ऐसी हो कि जहां यह बनाये जा सकते हैं तो बनाये जायें। मैं समझता हूं कि इसके लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए और यह काम ब्लॉक से कराये जायें।

चांदन के बारे कहा गया कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वैल्स बनाये जाने चाहिए माइनर इर्रिगेशन पर्पेजेज़ के लिए

Page No.94

(श्री रामकिशोर व्यास)

और इस ओर जल्दी काम कराया जाना चाहिए। तकावी ठीक समय पर देनी चाहिए। ठीक है इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। मैं आपको बताऊं कि ट्यूब वैल्स के लिए कुछ एक्सपेरीमेन्ट किये गये हैं और कुछ में तो सक्सेसफुल हुए हैं और कुछ में अनसक्सेसफुल हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसके अन्दर इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट ज्यादा मदद नहीं कर सकता और इन ट्यूब वैल्स के लिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को मूव करना चाहिए।

तहसील बागीडोरा और गढ़ी के बारे में कहा गया कि यहां इर्रिगेशन का कोई काम नहीं हुआ है तो मैं आपकी सेवा के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में १. ५ लाख का काम वहां माइनर इर्रिगेशन में हुआ और ३६ हज़ार का वर्किंग प्राग्रेस में है। इस तरह से करीब १॥ लाख रुपये का काम वहां पर चल रहा है। उसके अलावा गुढ़ा तहसील में भी ८६ हज़ार का काम चल रहा है माइनर इर्रिगेशन के सिलसिले में....

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, वहां पर कोई काम शुरु नहीं हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : कहां पर ?

श्री नाथूराम : गुढ़ा तहसील में।

श्री रामकिशोर व्यास : वहां पर ८६ हज़ार का काम शुरु हो गया है। बांसवाड़ा ज़िले का प्रश्न आया कि सुराना बांध टूट गया तो बांसवाड़ा के बारे में तो अलग से बताऊंगा कि बांसवाड़ा में कितना काम हुआ है।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान बरिया वाला नाला और गुढ़ा तहसील में अढ़ाई तालाब के बारे में दिलाऊंगा। इनके बारे में तो दो साल से निवेदन कर रहे हैं और वहां आज तक सर्वे नहीं हुआ है। वहां पर हजारों रुपयों की तकावी देनी पड़ती है। मेरा यह निवेदन है कि बागीडोरा तहसील में कोई योजना नहीं है इसलिए उस नाले को और अढ़ाई तालाब के बारे में माननीय मंत्री महोदय शीघ्र ही ध्यान दें।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे चुकें उसके बाद में ही आप कहें जो कुछ कहना है।

श्री रामकिशोर व्यास : गुढ़ा तहसील के लिए मैंने आपको बताया कि ८६ हज़ार के काम की सेक्शन हुई है। अब आपने जो बांध बताये हैं कि इनकी मरम्मत होनी चाहिए तो वह आपके कटमोशन का पार्ट नहीं था मैं जानकारी करके बता दूँगा कि उनका सर्वे हो गया है या नहीं, क्या प्राग्रेस है और क्या प्राग्रेस नहीं है। आप स्वयं इसके बारे में दरयाफ्त कर लें मैं आपको बता दूँगा।

उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में खैरवाड़ा, सराड़ा और फलासिया तहसील के बारे में कुछ कहा गया है कि यहां पर माइनर इर्रिगेशन वर्क्स नहीं हुए हैं। तो मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि खैरवाड़ा तहसील में करीब ३ लाख रुपये का काम पूरा हो चुका है, सराड़ा में ७ लाख का काम और फलासिया में एक काम ४४ लाख का है।

भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा गया

(श्री रामकिशोर व्यास)

था कि वहां पर इर्रिगेशन वर्क्स नहीं हुए हैं और अगर कुछ हुए हैं तो कांग्रेस वालों के कहने से हो गए हैं। भीलवाड़ा ज़िले के लिए शिकायत है कि इर्रिगेशन वर्क्स नहीं हुए हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहां पर ३४ वर्क्स हैं उनकी रिपेयर ३ लाख रुपये की है। करीब १।। लाख रुपये का वर्क भी प्रोग्रेस पर है। अब यह कहा जाता है कि पर्टिक्युलर तहसील में वर्क नहीं हुआ। मांडल और रायपुर के लिए कहा गया तो मैं आपको बताऊं कि मेजा बांध तो मांडल में ही है। अब जो माननीय सदस्य साइट चाहते थे वह नहीं हुई तो इसके लिए तो मैं आपको बताऊं कि टैक्निकल राय जिस जगह के लिए आती हैं वहां ही यह बांध वगैरह बनाये जाते हैं। अब उसमें यह कन्सीडरेशन तो रहता नहीं है कि फलां की कॉन्स्टिट्युएन्सी है और फलां की नहीं है। यह तो टैक्निकल साइट पर ही बनाये जाते हैं। भीलवाड़ा तहसील में तो काफी काम हुए है और माइनर इर्रिगेशन में भी काफी काम हुए हैं। मालपुर और पोलिया का काम प्रोग्रेस में है।

झुंझुनू के बारे में कहा गया कि उसको बहुत उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और वहां कोई कामकाज नहीं कराये गये और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। वह जरूर ऐसा है कि वहां बारिश बहुत कम होती है, पानी वहां नहीं है और वहां पर रेतीली ज़मीन है उसमें बांध वगैरह बनायें तो कैसे बनायें....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वहां की भूमि तो फर्टाइल है, इसलिए वहां ट्यूब वैल्स की जरूरत है।

श्री रामकिशोर व्यास (जारी): जैसी परिस्थिति इस एरिया की है सो तो है ही उसके लिए तो क्या किया जा सकता है। वहां पर पंजाब से भी पानी लाने में हमें सफलता नहीं मिली, और यू० पी० से भी पानी लाने में बहुत ही अनइकोनॉमिक होता है, इसलिए वहां पर इर्रिगेशन वर्क्स नहीं हो सके। ट्यूब वैल्स वगैरह का काम तो अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के पास है। वैसे झुंझुनू में ट्यूब वैल्स के काम को देखा जा रहा है। एक बात मैं आपको कहूंगा कि काटली नदी का बांध है वह बहुत दिनों से चलता आ रहा है। उसके लिए कहा गया कि उसको नहीं बनाया जा रहा है। पहले उसका सर्वे कराया था लेकिन राजस्थान के बनने के बाद में जब इसको एग्ज़ामिन कराया तो वह टैक्निकली साउन्ड नहीं मालूम दिया और उसको सी० पी० डब्ल्यु० डी० ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि यह तहसील ऐसी है कि जहां पोसीबिलेटी नहीं है। अगर अब भी कहीं सम्भव हो तो आप बतायें फिर देख लेंगे। एट प्रेजेन्ट आपने कहा कि इन्कार क्यों नहीं कर देते तो मैं आपको बताऊं कि वह जो पहले वाली स्कीम थी, वह रिजेक्ट हो गई और अब फरदर कहां पोसिबिलिटी है इसको आप बता दें उनकी रिपोर्ट आई और कहीं टैक्निकली पोसीबल हुआ तो जरूर करेंगे, अगर नहीं तो फिर मजबूर हैं।

मैं सूचना के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनू में ही अभी री-सेन्टली उदयपुर वाटी में पोंक का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। हालांकि उससे इतना रिटर्न नहीं होगा। फिर रिटर्न नहीं होते हुए भी उसको मंजूर किया है और इसकी मंजूरी आये दस बीस दिन ही हुए हैं। इससे ज्यादा तो

(श्री रामकिशोर व्यास)

झुंझुनू के लिए और कुछ था नहीं। झालावाड़ जिले की बात है। झालावाड़ जिले में दो ही पोइन्ट हैं, एक माइनर इर्रिगेशन का और दूसरा मीडियम इर्रिगेशन का। वहां दो वर्क्स चल रहे हैं, एक कालीसिन्ध का और दूसरा भीमसागर का। यह फरमाना ठीक है आपका कि भीम सागर की प्रोग्रेस स्लो है। वह जितना तेज़ होना चाहिए था नहीं हो पाया है। काली सिन्ध का काम चल रहा है वह आपको मालूम ही है। भीमसागर में डिले हुई है, वह इस वजह से हुई है कि जिस कॉन्ट्रेक्टर को काम दिया था वह कर नहीं पाया है और उसने गड़बड़ की है। उसके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही करने की होती है वह कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। अब दूसरे कॉन्ट्रेक्टर को काम दिया है। इस प्रोसीज़र में टाइम लगता है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कुछ मज़बूरियां ऐसी हो जाती हैं कि डिले हो ही जाती है। अब दुबारा टेन्डर्स इन्वाइट किये गये हैं। टेन्डर्स आ भी गये हैं। उसके बाद देगें। हम खुद ही जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस है कि भीम सागर के मामले में देर हो रही है। उसमें स्लोनेस भी चल रही है। लेकिन मज़बूरियां इस प्रकार की आई हैं।

माइनर इर्रिगेशन के बारे में आपने कहा। मैंने भी आपसे कई मर्तबा कहा है कि सर्वे कराऊंगा कि झालावाड़ ज़िले में कहां कहां ऐसे माइनर इर्रिगेशन के वर्क्स चालू कर सकते हैं। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि सर्वे करवाकर जहां पोसीबिलिटी होगी वहां पर काम लेंगे। इत्तफाक की बात है कि एक लाख रुपया झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। माइनर इर्रिगेशन के काम के लिए अब ऐसा किया गया है इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर ज़िले के कलेक्टर के पास में उनके डिस्पोज़ल पर फन्ड रखा है, जिसको जितनी ज़रुरत है उसके मुताबिक रुपया रखा है ताकि जो छोटे मोटे माइनर वर्क्स हैं, रिपेअर्स के वर्क्स हैं, कहीं १० हज़ार का काम है, कहीं २ हज़ार का काम है, कहीं ५ हज़ार का काम है, तो इन छोटे कामों के लिए जिनकी वजह से वर्क सफर करता हो, इस तरह के कामों के लिए उनको ऑथोराइज्ड किया गया है।

डॉ० बहादुरसिंह : आधा रुपया देना पड़ता है पब्लिक को ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं। वह भारत सेवक समाज का है जिसमें २५ पर्सेन्ट कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इस तरह से ३,४ स्कीमें हैं माइनर इर्रिगेशन के लिए। ब्लाक एरिया में ब्लॉक के फन्ड्स हैं उसके अन्दर से माइनर इर्रिगेशन का काम करते हैं और करा सकते हैं। दूसरा इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पास है और तीसरा इर्रिगेशन डिपार्टमेंट फन्डस कलेक्टर्स के डिसपोज़ल पर रखा है ताकि डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे छोटे काम हों, मामूली मरम्मत के काम हों तो वे करा सकते हैं। आपने बताया कि जयपुर तक आते हैं तो उनके आने की ज़रूरत नहीं है। किसी टैक्निकल एप्रूवल के लिए चीफ इन्जीनियर के पास भेजे हों तो मुझे मालूम नहीं है। गवर्नमेंट की सेन्क्शन की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर के पास रुपया रखा है। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से भेजे हों तो मेरे पास नहीं आये हैं। कोटा ज़िले में लाखों रुपयों का काम हो गया है लेकिन मेरे पास नहीं

(श्री रामकिशोर व्यास)

आये हैं। चीफ इन्जीनियर इर्रिगेशन से कोई टैक्निकल राय मांगी हो तो दूसरी बात है। कलेक्टर को पूरा अधिकार है...

एक माननीय सदस्य : कलेक्टर साहब को दिलचस्पी लेने को कहा था।

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर साहब दिलचस्पी लें। आप दिलचस्पी लें।

श्री रामचन्द्र (डग): सुस्ती कर रहे हैं, आप जाकर देखें तो सही।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं जब गया था तो उस वक्त मुझे अफसोस है कि आप मेम्बर नहीं थे।

श्री रामचन्द्र : आपके चीफ इन्जीनियर तो जाकर देखें।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे जाने से कोई फायदा नहीं था। योजना तो मैं बना नहीं सकता हूं कि माइनर इर्रिगेशन में कौन सा तालाब ठीक रहेगा। वह किनटैकली साउन्ड रहेगा या नहीं। वह फाइनेन्शियल रिटर्न्स दे सकते हैं या नहीं। जब तक सर्वे कम्प्लीट होकर नहीं आ जाय तब तक सर्वे नहीं करा सकता हूं। जुबानी बातचीत तो रोज़ करते रहते हैं। जुबानी जमा खर्च रोज़ चलता है। जब तक यह नहीं आ जाय कि वहां १० स्कीमें हैं, १० योजनाएं ऐसी हैं जिनको ले सकते हैं, उनका फाइनेन्शियल रिटर्न ठीक है, तब तो बात ठीक रहती है....

श्री रामचन्द्र : आपके उधर आने से किसानों को तसल्ली हो सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तैयार हूं जाने के लिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपके साथ माननीय सदस्य जायेंगे तो किसानों को बहुत ही तसल्ली हो जायगी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं हाज़िर हो जाऊंगा।

आपने यह कहा कि कई जगह बन्ध से पहले ही नहरें बना दी हैं। तो यह सही हो सकता है। जहां जैसी परिस्थिति होगी वहां वैसा ही करना पड़ता है। कार्य को शुरु करना है और जल्दी ही फिनिश करना है, यह भी आपका तकाज़ा रहता है। तो पहले नहरें बनाना जहां कन्वीनियन्ट रहता है वहां पहले बना देते हैं। पहले बान्ध बनाना कन्वीनियन्ट रहता है वहां वह पहले काम चालू करते हैं, क्योंकि काम खत्म करने का बड़ा तकाज़ा है। कहीं बान्ध के विषय में कुछ तय होना बाकी रह जाता है तो कमीशन कहता है कि नहरों का काम शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्रीड सोल्यूशन है। यह परिस्थिति पर डिपेन्ड करता है। कहीं पर साथ साथ करना पड़ता है। कम से कम वक्त में वह काम पूरा हो इस दृष्टि से वह रखा जाता है।

उदयपुर में छोटे तालाबों के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। खैरवाड़ा, सलूम्बर और भी सुझाव देना चाहें दे सकते हैं।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : कोटड़ा गोगुन्दा का नहीं बताया है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपसे कह चुका हूं, उसमें होगा नहीं।

(श्री रामकिशोर व्यास)

—

जसवन्त सागर और बाण गंगा का सुझाव दिया है। उसकी जांच करवाऊंगा और प्रेक्टिकल होगा तो अमल में लाने की कोशिश करेंगे।

उर्मिला सागर से नहर निकालने की बात कही है। मैंने कई मर्तबा निवेदन किया है कि पहले बारिश की औसत काफी नहीं थी। अब दो, तीन साल से पानी ज़्यादा बढ़ा है। उसमें ज़्यादा पानी आने लगा है। अगर यह पानी रहता है तो उसके यूज़ की ज़रूरत ज़रूर रहती है। उसकी नहरें बढ़ा सकते हैं। पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको एग्ज़ामिन करेंगें और नहरें एक्स्टेन्ड करने की ज़रूरत हुई तो अवश्य करेंगें। तीन साल पहले का जो रिकॉर्डस है वह इस तरह का है कि वह मौजूदा केनाल्स के लिए काफी है। इन तीन सालों में जो पानी आया है वह अलबत्ता ज़्यादा है और एक्सटेन्ड करने की ज़रूरत हुई तो अवश्य करेंगें...

डॉ० बहादुरसिंह : पानी का स्तर ज़्यादा रहेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर पानी उसमें रहता है तो उसके यूज़ करने की बात आती है।

पर्वती वाली बात कही है। वह आपका कहना सही है। उसमें देर हुई है। वह इससे पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। आपका देर का फर्माना सही है। उसके लिए अर्ज करूंगा कि जिस कॉन्ट्रेक्टर को यह काम दिया था वह मर गया और मर जाने के बाद उसका वारिस कोई नहीं था। उसके कोई लड़का नहीं था। उसका झगड़ा चला। अब काम दूसरे कॉन्ट्रेक्टर को दे दिया है और काम शुरू हो गया है। इस साल हम उससे थोड़ी बहुत इरिगेशन कर पायेगें, ऐसी आशा है।

डॉ० बहादुरसिंह : आप कोई टार्गेट फिक्स, कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि फिक्स्ड कर दिया गया है।

जो आपने पानी वाली बात बताई थी उसको एग्ज़ामिन करेगें। कम पानी के साथ में देरी की बात आपने बताई थी। उसके लिए मैंने कहा है।

एक उम्मेदसागर कोटा की किशनगंज तहसील के बारे में काफी सिज़दा किया गया है। उसमें कहा गया है कि काफी भ्रष्टाचार भी है और ठीक तरह से नहीं किया गया है। दर असल में बात यह है कि उम्मेद सागर पुराना टेन्क है। उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी तो इम्प्रूवमेंट की सेन्क्शन की है। इम्प्रूवमेंट का कुछ वर्क हो गया है और कुछ होना बाकी है। किशनगंज में लेबर की काफी कमी रहती है इस वजह से पूरा काम नहीं हो पाया है। जैसा कि आपने कहा है कि पेचिंग का काम बाकी है। वह काम कम्लीट नहीं हो पाया है। उसमें जो पेचिंग चाहिए था वह नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि यह बात सही हो कि काम बाकी हो और काम पूरा नहीं हुआ हो। We will look into it. काम जितना एस्टीमेट के मुताबिक है वह सब काम पूरा हो।

(श्री रामकिशोर व्यास)

राजाखेड़ा में दांता के खाल के बारे में....

डॉ० बहादुरसिंह : वह धौलपुर तहसील में है।

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी योजना के लिए आपने कहा है। करीब २ वह डेढ़ लाख की योजना है। जरूरी तरीके से तो उसकी सर्वे करा रहे हैं। अगर वह टैक्निकल मोर सूटेबल हुई तो ली जा सकती है।

डॉ० बहादुरसिंह : बहुत सूटेबल है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता हूं। लॉ एण्ड ऑर्डर की बात दूसरी है। उसमें फील कर सकते हैं। लिमिटेशन्स अलग अलग हैं कि इतना लगा हुआ है। अगर यह मानलें कि लॉ एण्ड ऑर्डर के प्वॉइन्ट ऑफ व्यू से इर्रिगेशन वर्क्स खोलें तो वह सफल नहीं होते हैं, लेकिन इर्रिगेशन के प्वॉइन्ट ऑफ़ व्यू से जहां बान्ध बनाने की आवश्यकता है, तो टैक्निकली सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके ही तय करते हैं कि उस एरिया में वह हो सकता है वर्ना चाहते हुए भी वह नहीं हो सकता है। पाली डिस्ट्रिक्ट में मैं स्वयं चाहता था लेकिन उस एरिया में वह नहीं बैठ सकता था तो नहीं बैठ सका, क्या करें? अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बान्ध बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। पानी का एन्केचमेन्ट एरिया कम रहता है तो बात खत्म है। क्या कर सकते हैं?

लक्ष्मीचन्द जी ने कुछ कहा था सांचोर तहसील में लूनी के पानी के प्रयोग के बारे में बात है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाय। दो एक मुकाम्मात पर बान्ध बनाने के लिए सर्वे करवा रहे हैं। अब तो हमने जोधपुर डिविज़न में एक सर्वे डिविज़न खोल दिया है गये साल से। उस सर्वे डिविज़न में एक एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर है और तीन असिस्टेन्ट इन्जीनियर हैं। वह सर्वे का वर्क कर रहे हैं। They have storted servey work. जय समन्द टेंक के बारे में था, उसकी रेट्स का जहां तक ताल्लुक था तय हो गया, सीपेज के बारे में बात थी वह ठीक है, जयसमन्द बांध बना है उसमें से पानी लीक होता है। पुरानी नहर है सीपेज होता है, उसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं, उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कितनी कोस्ट पड़ेगी आदि बातों की जांच कर रहे हैं। वेस्ट वीयर के बारे में कहा था पानी बहता रहता है।

पाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में आजकल काफी ज़ोर रहता है और यह कहा जाता है कि वहां पर इर्रिगेशन वर्क्स नहीं होते, माइनर इर्रिगेशन वर्क नहीं होता। पहले जितनी मंजूरी थी उसमें काफी कमी आ रही है, लेकिन वहां पर जो कुछ होता है उसका जिक्र नहीं होता है, इसलिये दिक्कत होती है। पाली डिस्ट्रिक्ट में माइनर इर्रिगेशन वर्क नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जवाई बांध भी पाली जिले में ही है। १५ लाख रुपयों के माइनर वर्क्स वहां पर हो चुके हैं मैं उनके नाम बता सकता हूं। १५ लाख के अलावा २० लाख का काम और सेंक्शन किया है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : पाली के सदस्य आज आये नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं आये हैं तो भी कोई बात नहीं। वहां पर १५ लाख

(श्री रामकिशोर व्यास)

रुपयों का कार्य कम्पलीट कर चुके हैं और २० लाख का हाथ में ले रहे हैं। मैं अभी पाली गया था तब मैंने वहां पर कहा था कि सारे रुपये यूज़ कर लेने चाहिये, लैप्स न हों जावें। करीब करीब सभी एम० एल० एज़० वहां पर मौजूद थे जिनके सामने डिस्कशन हुआ था। सर्वे डिविज़न वहां पर खोल दिया गया है।

भरतपुर के फ्लड्स के बारे में काफी शिकायत है और उनको इस बारे में दर्द भी है और वह वाजिब भी है। वहां पर काफी फ्लड्स आते हैं और उसका माकूल इलाज नहीं है उनकी शिकायत ठीक है और उचित बात है। लेकिन अफसोस यह है कि हम जितना स्टेप ले सकते हैं वह लेते हैं। जैसे कि आपसे निवेदन किया था कि जो काम इस नेचर के हैं जिसको आज तुरन्त कर सकते हैं उनको तुरन्त करते हैं लेकिन बाकी जो लोंग टर्म के काम है उनमें देरी लगती है। आपको दर्द है हमें भी दर्द कम नहीं है। यह आपने फरमाया कि मैं भरतपुर नहीं गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है मैं आर. एम. से पहले वहां गया था और उनको बताया था कि फलां फलां जगह नुकसान हुआ है। वैसे फ्लड रिलीफ मेरा सब्जेक्ट नहीं है इट इज नोट माई सब्जेक्ट। इर्रिगेशन का पार्ट अलग है और फ्लड का अलग है लेकिन इससे कुछ नहीं होता। एक ही बात है। मैं वहां पर गया था और पहले गया था मैंने मिलिट्री ट्रक में बैठ कर फ्लड को क्रोस किया था। वहां पर काफी डिफिकल्टीज़ हैं, मुसीबतें हैं जिनको हल करने की बात है। वहां पर ४ लाख रुपये शोर्ट टर्म काम के लिये सेंक्शन किये हैं। उसमें से ४०,५० हज़ार रुपयों का काम हो चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस है, बाकी चल रहा है जो नेक्स्ट ईयर हो जायगा। बाकी और जो स्कीमें हैं उनके बारे में फेक्ट्स और फिगर्स इकट्ठे करके ही काम शुरू कर सकते हैं। हमारी मुसीबत यह है कि मार्केटिंग कोमोडिटी तो है नहीं। सारी चीजों को एग्ज़ामिन करके करना पड़ता है, टैक्निकली एग्ज़ामिन कराना पड़ता है, एप्रूवल लेनी पड़ती है। क्या क्या काम होते हैं यह मैंने पहले भी बताया था और भी निवेदन करूंगा। डेमेजेज़ हुई हैं उन सब को रिपेअर कराने की बात है और मार्जिनल बांध बनाने की बात है। कई मुकामों पर पानी बहता है उनके दोनों साइड्स में मार्जिनल बांध बनादें ताकि पानी इधर उधर नहीं फैल सके और सीधा ही पास हो जावे। कई मुकामों पर एम्बेकमेंट बनाने की बात है ताकि पानी रूक जावे और कुछ एस्केप कैपेसिटी बढ़ाने की बात है। कुछ ड्रेन्स भी बनाने की बात है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें टाइम लगेगा। कुछ काम हमारी अक्ल से करते हैं कुछ आपकी अक्ल का भी फायदा उठाना चाहते हैं। कौन चाहता है कि भरतपुर में फ्लड्स आवें

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ): स्पेशल मुकर्रर करके कर सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : चार लाख की शोर्ट टर्म स्कीम्स हैं। कांमा में पानी की बात कही गई। कांमा में पानी भरा है यह सही है लेकिन इसका इलाज क्या है? जिधर से पानी निकल कर जाता है वह ऊंचा एरिया है। जब तक नहर आगे नहीं खुदे पानी निकले कैसे, जहां से पानी जाता है वहां का एरिया ऊंचा है इसलिये निकल नहीं सकता। यूनियन के लोग भी आये

(श्री रामकिशोर व्यास)

दूसरे लोग भी आये, सारा का सारा देखा गया। यू० पी० में एक नहर बन रही है उसके साथ में इसको मिलादें, यह सोचा जा रहा है। लेकिन इसको इमीजियेटली नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत पानी हो तो घड़ा मटकी से भी निकाल दें लेकिन इसमें काफी सबमर्ज्ड है। बहुत लोग परेशान हैं लेकिन मजबूरी यह है कि हल क्या करें। ओनली सोल्यूशन जो है वह यह है, कि नहर बनाकर उसके जरिये पानी निकाला जाय, और यू० पी० वाले नहर लावें क्योंकि उनके एरिया में जाता है उसमें पानी डालदें यही एक तरकीब है। ये डिफिकल्टीज़ हमारे सामने हैं वरना यह सवाल नहीं हैं कि भरतपुर में फ्लड्स आवें और हम देखते रहें। इससे तकलीफ हम लोगों को भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि दर्द नहीं होता।

एक बात यह भी आई कि चम्बल में मशीनों से मिट्टी खुदवाने का काम किया जा रहा है और मजदूरों से काम नहीं लिया जाता है। वहां पर लेबर की बहुत कमी है। जितने आते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं क्यों कि बहुत से एग्रीकल्चरल लेबरर हैं जो एग्रीकल्चर के समय वहां से चले जाते हैं इसलिये मशीनों से काम करना पड़ता है। सीज़नल लेबर आती है जो फसल के समय छोड़कर चली जाती है। अब भी वहां पर लेबर का काम बहुत है लेकिन वहां पर लेबर अवेलेबल नहीं है...

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : वहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पर्सेन्टेज आॅफ एजूकेशन अच्छा है।

माइनर वर्कस इन कोटा डिविज़न की बात आई। पहले तो वहां पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। कोटा डिस्ट्रिक्ट में खास तौर से ज्यादा ध्यान दिया गया है। दो साल में ६,७ लाख रूपये कोटा कलेक्टर ने खर्च किये हैं शायद २०० से ऊपर काम किये होंगे...

श्री दिलीपसिंह (बारां) : कोई काम बिगड़ा नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : कोटा में माइनर इर्रिगेशन वर्क्स बहुत अच्छे हुए; वैसे किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुए हैं लेकिन कोटा डिस्ट्रिक्ट में बहुत थोड़े समय में काम हुए और भी रूपये मिल सकते हैं, इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा कि वहां माइनर इर्रिगेशन का बहुत कम काम हुआ है। मैं निवेदन करूं कि १० माइनर इर्रिगेशन के काम हुए हैं और बड़ा प्रोजेक्ट माही का है, उसका काम शुरू होने वाला है। उसकी प्लानिंग कमीशन से सैंक्शन आ गई है और उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला हैं ...

श्री भोगजी भाई : माही की योजना कब पूरी हो जायगी।

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी मंजूरी दे दी है। उसको क्रियान्वित करने में देर लगे, यह हो सकता है क्योंकि एक्चुअल वर्किंग में टाइम लगता ही है। क्योंकि टेन्डर इन्वाइट करेंगे और दूसरे काम करेंगे....

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या उस बांध से बिजली पैदा होगी।

श्री रामकिशोर व्यास : वह फाइनल नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से बात कर रहे हैं।

श्री भोगजी भाई : सुरटिया बांध टूट गया था, उसकी मरम्मत हो गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी मरम्मत हो गई है।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो जमीन ली गई है, उनका मुआवज़ा अदा नहीं किया गया और ऑफिसर का बर्ताव अच्छा नहीं है। ये दो शिकायतें हैं, तीसरी शिकायत यह है कि मेजरमेंट ठीक नहीं है। मैं अर्ज करूं कि लैंड रिक्वीजीशन ऑफिसर एक सेपरेट जुडिशियल नेचर का ऑफिसर है। अगर मेजरमेंट कम हुआ है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। मान लीजिये कि १० बिस्वा का खेत है, अगर १० बिस्वा न लिख कर ६ बिस्वा लिख दिया है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए। काश्तकार से शिकायत करानी चाहिए कि जमीन ज्यादा नहर में आई है और कम नापी गई है। यह कराना पड़ेगा, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट तो अपने तरीके से नहीं कर पायेगा। उसकी शिकायत फलां आदमी से करानी पड़ेगी कि इतनी जमीन थी, इतनी एक्वायर हुई है, उसका असल नाप इतना है और इतनी कम नापी है। मौके पर जाकर उसका चैकिंग हो जायगा। लेकिन उस आदमी को दरख्वास्त देनी पड़ेगी....

श्री भंवरलाल शर्मा (हिंडोली) : शिकायत किसके पास देनी पड़ेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : लैंड रिक्वीज़ीशन ऑफिसर को देनी पड़ेगी, वे तय करते हैं कि कितनी जमीन ली है। इर्रिगेशन वाले जो काम करते हैं, वह कर सकते हैं। इन ऑफिसर को लॉ के अन्दर पॉवर दे रखी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नाप के बारे में काश्तकारों को बार बार जाने में तकलीफ़ होती है।

श्री रामकिशोर व्यास : तकलीफ तो है, वे कहां कहां जांय। यह हो सकता है कि सब काश्तकार न जाकर वकील के थ्रू शिकायत कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्राम पंचायत कर दे।

श्री रामकिशोर व्यास : वह कानूनी तौर पर चलेगा या नहीं, यह नहीं कह सकता। यह हो सकता है कि २५ काश्तकार ऑनरेरी वकील के पास जाकर दरख्वास्त दे दें। और वह उनकी शिकायत कर दे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ऑनरेरी।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : यह हो सकता है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उसकी ज़मीन एक्वायर की जाती है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बताऊं कि नोटिस निकाला जाता है। यह हो सकता है कि उनकी जानकारी में नहीं होता हो..

श्री मुरलीधर व्यास : नोटिस कैसे निकाला जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास : गजट में नोटिफाई होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : किसानों के पास भेजा जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नोटिस निकाला जाता है, यह हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं होती हो।

श्री मुरलीधर व्यास : लिखित नहीं दिया जाता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह इन्डिवीजुअल केसेज़ की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : बोये हुए खेत का मुआवजा देना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर नोटिफिकेशन नहीं किया है, बगैर नोटिफाई किये जमीन ले ली है तो यह काश्तकार के हक की बात है। अगर नोटिफाई कर दिया है कि फलां फलां जगह की जमीन ली जायगी, तो ठीक बात है।

बराखेड़ा के बारे में सिंचाई योजना की बात है, वहां काम किया है। बूंदी में काम किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फसल के बारे में क्या किया।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि नोटिफाई कर दिया है तो उसके बाद जमीन बोई है तो अपना केस वीक पड़ता है। अगर नोटिफाई किये बगैर कर दिया है तो ठीक है मुआवजा मिलना चाहिए।

गुड़ागांव के सिलसिले में बात आई। कुछ रेफरेन्स और आये। लेकिन ऑन दी होल राजस्थान की पिक्चर देखें। मैं निवेदन करूंगा कि गये आठ साल में कितने बांधों का निर्माण हुआ है, उनमें से कितने पर्सेन्ट बांध टूटे, कितना डेमेज हुआ है। जो टूटे हैं उनकी सिफारिश की बात नहीं है, लेकिन ऑन दी होल कहता हूं कि पूरे प्लान का पर्सेन्टेज निकाल लिया जाय तो पांच सात बांध टूटे हैं, और जो डेमेज हुआ है वह १० लाख से ज्यादा का नहीं हुआ है। इतने बड़े प्लान में १०,१२ लाख का डेमेज ज्यादा नहीं है। गुड़ा के बारे में एक कमेटी अपॉइन्ट की। जिस एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की गलती पाई गई, उसके खिलाफ एक्शन लिया है। उसके लिए ऑर्डर्स निकाल दिये गये हैं...

श्री मुरलीधर व्यास : क्या एक्शन लिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके डिसमिसल के ऑर्डर्स जारी कर दिये हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन लेने की बात न हो। एक्शन लेना गवर्नमेंट के इन्ट्रेस्ट की बात है....

एक माननीय सदस्य : जो रुपये का नुकसान हुआ, उसका क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह रियलाइज नहीं कर सकते।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह नहीं बताया कि इर्रिगेशन कम क्यों हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें मुगालता यह है कि जो इर्रिगेशन के फिगर्स ले रहे हैं, उससे कम पहली साल इर्रिगेट होता है। इस साल बांध कम्पलीट हुआ है, पानी

(श्री रामकिशोर व्यास)

रिलीज़ किया है, इसमें पांच सात साल लगते हैं, वर्ष दो वर्ष तक लोगों को जानकारी नहीं होती है, नहर के पानी को इस्तेमाल करने की। जो गांव नहर एरिया में होते हैं, उनको जानकारी होती है, तो वे तुरन्त इस्तेमाल करते हैं, । कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पहले नहरें नहीं थी। अब नहरें बनी हैं, तो वहां के काश्तकार कुछ आॅर्थोडोक्स हैं । जब वे दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि इसने पानी का इस्तेमाल किया है, तो वे पानी का इस्तेमाल करते हैं। यह ठीक है कि अलॉटमेंट नहीं हुआ है ऑन दी होल देखें तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट इअर में इतना नहीं हो सकता है, पांच सात साल का टार्गेट रखा है, इसमें फुल कम्प्लीशन कर पायेंगे । इस साल पानी रिलीज़ किया है, तो नेचुरली कम होगा।

तो जो मुख्य मुख्य बातें थी, वे यह थी, इनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया, इससे माननीय सदस्यों को संतोष हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन पेश किये हैं, वे उनको विथड्रॉ करने की कृपा करेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैंने २२४ बांधों का ज़िक्र किया, उनमें से कितने टूटे हैं, कितने नहीं टूटे हैं। जो नहरें स्लिटेड हो गई, उनके लिए मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि इर्रिगेशन से कितनी सड़कें टूट गई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितनी सड़कें टूट गई हैं, उनके लिए कहने की पोज़ीशन में मैं नहीं था। मैं जांच करके बता दूंगा ।

श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा (किशनगढ़): आयन्दा के लिए ख्याल रखें भरतपुर का ?

श्री राम किशोर व्यास : भरतपुर में भरतपुर फीडर है, पार्वती है।

श्री सभापति : जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहें, वे प्रस्ताव वापिस लेने की इज़ाजत के लिए एक एक करके प्रस्ताव रखें।

श्री भंवर लाल शर्मा (हिंडोली): मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

डॉ बहादुर सिंह (धौलपुर): मुझे कटौती प्रस्ताव वापिस लेने को आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): मुझे कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): सभापति महोदय, मुझे कौटीती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री रामचन्द्र (डग) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : मुझे कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सम्पत राज : मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया था, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया था उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री विद्यासागर (कलासिया) : मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया था, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु.) : मुझे कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने का आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री नाथूराम (बगीडोर): मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया था, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाही है उन्हें अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ बहादुर सिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सम्पत राज : मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रामेश्वर दयाल : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री नाथू राम : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री धन्नालाल हरित : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री विद्यासागर : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं और जो वापिस नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर, डॉ० चन्द्रकला श्री अनोपसिंह, श्री शिवचरणदास, श्री तेजा राम, श्री लक्ष्मीचन्द, श्रीमती-सुमीत्रा देवी, श्री मोग जी भाई एवं श्री मुरलीधर व्यास के कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है, कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन, तथा जल निकास निर्माण आदि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १९,६६,५५,००० रुपये

(श्री सभापति)

तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म. प. ४.४१ बजे दिनांक ११ मार्च, १९५९ बुधवार के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, १० मार्च, ५६)

स्कम्भ

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ३०६५

गृह अथवा लघु उद्योग

महिला सदन जयपुर के व्यवस्थापक की योग्यता तथा अनुभव।

गोगामेडी मन्दिर की सेवा पूजा।

गवर्नमेंट होस्टल के कर्मचारी।

सन् १६५८-५६ में समाज कल्याण कार्यों पर खर्च।

बीकानेर इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के कार्यालय में अनुशासनहीनता एवं पक्षपात के दृश्य।

भाखरा ज़ोन में खिदमतगारों का खातेदारी हक़।

ब्यावर कॉलेज के समाज शास्त्र के प्राध्यापक मि० तोमर की शिकायत।

डिग्गी के श्री कल्याण जी के मन्दिर की चांदी की चोरी।

छोटे जागीरदारों को मुआवजा।

लालसोट व चाकसू तहसीलों में ब्लॉक्स की स्थापना।

शरणार्थियों को पुर्न विस्थापित हेतु दी गई रकम का हिसाब।

जागीरदारों के मुआवजे में लागों का सम्मिलित किया जाना।

जिला जालोर के हैड मास्टरों को अलाउन्स का भुगतान।

विस्थापितों के हेतु उद्योग धन्धे।

कस्बा करकेडी के मिडिल स्कूल की इमारत व फर्नीचर।

बालोतरा के स्कूल के लिये बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था।

चित्तौड़ में गाडोलिया लुहारों को बसाने की व्यवस्था।

जिला जालोर के पटवारियों का टी. ए.।

हिन्दी स्टेनोग्राफरों की ट्रेनिंग।

सिरोही और जालोर जिलों में सेल्स टैक्स से आमदनी।

बीकानेर रेवेन्यू विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों का अभाव।

कोटा नगर के मिडिल स्कूलों में सिलाई की शिक्षा।

बूसी व खोड़ पंचायत क्षेत्र को तहसील देसूरी से हटाकर पाली में मिलाना।

स्कम्भ

ग्राम गिरधरपुरा के खातेदारों क भूमि ।

तहसील बाड़मेर में विकास खण्ड ।

जिला चूरू के भू-स्वामियों के दावे ।

महाराजा कालेज के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास ।

अमरनिवास, कोटा में पटवार ट्रेनिंग स्कूल ।

बीकानेर डिविजन में टीन का वितरण ।

कोटा नगर का औद्योगिक विकास ।

सराडा व सलूम्बर तहसीलों में स्थित भाट फार्म ।

कोटा जिले में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स की रकम की वसूली ।

सन् १९५७-५८ में मंत्रियों द्वारा प्राप्त भत्ता ।

पाली तहसील के हंजावा ग्राम में काश्त ।

स्थगित प्रश्नोत्तर ३१२६

जसवन्तपुरा तहसील के काश्तकारों की रबी प्रोक्योरमेन्ट १९४७ की बकाया रकम । ३१२६

विशेषाधिकार का प्रश्न

अर्थ एवं सांख्यकीय विभाग की "बजट स्टडी १९५९-६०" नामक पुस्तिका के प्रकाशन से सम्बन्धित श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

स्कम्भ

आय व्ययक, १९५९-६० अनुदानों, की द्वितीय अवस्था अनुदानों मांगों पर मतदान ३१२६

"मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण आदि ।

उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर व्यास, सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई । इस मांग पर ३० कटौती प्रस्ताव । निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये:—

१. श्री जगदीश प्रसाद माथुर ।
२. ,, सोहनलाल भटनागर ।
३. डॉ० चन्द्रकला ।
४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।
५. ,, अनोपसिंह ।
६. ,, नाथूराम (बागीडोरा) ।
७. ,, लक्ष्मण हीरात ।
८. ,, विद्या सागर ।
९. ,, शिवचरणदास ।
१०. ,, रामचन्द्र ।
११. ,, तेजाराम गहलोत ।

स्कम्भ

१२. श्रीमती सुमित्रा देवी।

१३. डॉ० बहादुरसिंह।

१४. श्री रामेश्वरदयाल।

१५. ,, लक्ष्मीचन्द।

१६. ,, श्रीभानसिंह।

१७. ,, धन्नालाल हरीत।

१८. ,, मोगजी भाई।

१६. ,, भंवरलाल शर्मा

२०. ,, मुरलीधर व्यास।

२१. ,, सम्पतराज।

स्कम्भ

सिंचाई मंत्री के उत्तर के पश्चात् १६ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत् पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

बुधवार, दिनांक ११ मार्च, ५६ की कार्य-सूची :

आय-व्ययक १६५६-६० (द्वितीय अवस्था) अनुदानों की मांगों पर मतदान।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ का उत्तर देखिए)

श्री मंगरी के पहिले महिला सदन जयपुर में नियुक्त व्यवस्थापक के कार्यकाल और योग्यता की सूची।

क्रम संख्या	नाम	योग्यता	पद का कार्यकाल
१.	कुमारी तारा सांखला	एम० ए०	२३–२–५७ से १–७–५७
२.	श्रीमती सुमन त्रिपाठी	एम० ए० तथा डिप्लोमा	२–७–५७ से २६–६–५८
३.	कुमारी राजेश्वरी वैश्य	बी० ए०	२५–४–५८ से ५–१२–५८

नोट

उक्त व्यवस्थापकों के अतिरिक्त श्रीमती सुशीला अग्रवाल, महिला कल्याण कार्यकर्त्री ने १०–६–५७ से २२–१०–५७ एवं सुश्री सरोजनी सक्सेना, सहायक महिला कल्याण अधिकारी ने ४–३–५८ से २७–४–५८ तक व्यवस्थापकों के अवकाश काल में सदन में व्यवस्थापक का कार्य किया।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ का उत्तर देखिये)

क्र०सं०	कर्मचारियों का नाम	पद	नियुक्ति दिनांक	गवर्नमेन्ट होस्टल में सेवा का काल
१	श्री मोहनलाल शर्मा	सुपरवाइजर	१-४-४०	१२-२-५२
२	श्री कामेश्वर शरण	क. लेखक	१-३-५४	१-३-५४
३	श्री लक्ष्मीनारायण	,,	,,	,,
४	श्री रामबक्स	चपरासी	,,	,,
५	श्री सोहनलाल	,,	,,	,,
६	श्री वलीमोहम्मद	फर्रास	,,	,,
७	श्री कन्हैयालाल	,,	७-५-४६	१६-६-५४
८	श्री कादरखां	,,	१-७-४२	,,
९	श्री पीरबक्स	,,	२३-४-३४	१-३-५४
१०	श्री गोपाल	,,	२०-४-३४	३-७-५४
११	श्री पीर मुस्ताकअली	,,	१-७-४२	,,
१२	श्री जियाउद्दीन	चौकीदार	१-३-५४	१-३-५४
१३	श्री सीताराम	,,	३-१-३४	१-३-५४
१४	श्री नाथू	मेहतर	१-३-५४	१-३-५४

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३८ का उत्तर देखिये)

सिरोही व जालौर ज़िले से सेल्स टैक्स की आय की सूची

क्र० सं०	सन्	सिरोही	जालोर
१	१९५५–५६	४००३९९–१०–९	६४६६०–६–०
२	१९५६–५७	५४०९३१–९–०	१२३०३६–२–०
३	१९५७–५८	८३२२४३–७८ नये पैसे	१२८६२८–१ नया पैसा
४	१९५८–५९	५३९९४३–२८ ,,	८०९४४–८० नये पैसे'

(यह जनवरी सन् ५९ तक)

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ का उत्तर देखिये)

चित्तौड़ ज़िले में बसाये गये गाडिया लुहार परिवारों को विभिन्न वर्षों में मकान निर्माण के लिये गाडिया लुहार पुनर्वास योजना के अन्तर्गत अनुदान का विवरण।

क. सं०	नाम गाडिया लुहार	पिता का नाम	रकम की दर प्रति परिवार	विशेष विवरण
		१९५६–५७		
१.	श्री सम्भाजी	श्री शिवराम	३५० रु०	
२.	श्री नाथू	श्री कुन्डिराम	३५० रु०	
३.	श्री अर्जुन	श्री अमृता	३५० रु०	
४.	श्री पारूती	श्री बलीराम	३५० रु०	
५.	श्री गोविन्दा	श्री कुन्डिवा	३५० रु०	
६.	श्री रघुनाथ	श्री बलीराम	३५० रु०	
७.	श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी	श्री गोविन्दराम	३५० रु०	
८.	श्री नाथू	श्री अर्जुन	३५० रु०	
९.	श्री बिठोवा	श्री अमृता	३५० रु०	
१०.	श्री त्रिम्बक	श्री पंडिराम	३५० रु०	
११.	श्री गुलाबराव	श्री शंकरराव	३५० रु०	
१२.	श्री शंकर	श्री अमृता	३५० रु०	
१३.	श्री पांडूराम	श्री तुकाराम	३५० रु०	
१४.	श्री रामचन्द्र	श्री विठोवा	३५० रु०	
१५.	श्री लक्ष्मण	श्री बलिराम	३५० रु०	
१६.	श्री राजाराम	श्री शिवराम	३५० रु०	

१	२	३	४	५
१७.	श्रीमती शान्ता बाई	पति श्रीनानदेव	३५० रु०	
१८.	श्री शंकरराव	श्री नागोजी	३५० रु०	
१९.	श्री सदाशिव	श्री सम्भाजी	३५० रु०	
२०.	श्री कुन्डिवा	श्री सुलाराम	३५० रु०	
२१.	श्री बलवन	श्री शंकरराव	३५० रु०	
२२.	श्री शंकरराव	श्री कानूजी	३५० रु०	
२३.	श्री अम्बजी	श्री राजाराम	३५० रु०	
२४.	श्री विशराम	श्री रामभाउ	३५० रु०	
२५.	श्री पान्डूराम	श्री गोविन्दाराम	३५० रु०	
२६.	श्री नारायणराव	श्री अम्बूजी	३५० रु०	
२७.	श्री विश्राम	श्री गोविन्दराम	३५० रु०	
२८.	श्री जयाराम	श्री रूपा	३५० रु०	
२९.	श्री नाथू	श्री माना देवी	३५० रु०	
३०.	श्री पृथ्वीराज	श्री दल्ला	३५० रु०	
३१.	श्री सदाशिवराम	श्री नामदेवराम	३५० रु०	
		योग	१०८५० रु०	

१९५७—५८

१.	श्रीमती सीता बाई	श्री कानुजी	३५० रु०	
२.	श्री विश्राम	श्री शंकर	३५० रु०	
३.	श्री साहीबराम	श्री अर्जुनराव	३५० रु०	
		योग	१०५०	

१	२	३

गाडिया लोहार कॉलोनी चित्तौड़गढ़ में निम्न कार्य ५७–५८ में स्वीकृत किये गये :—

१. पंचायत घर के निर्माण हेतु (१)	५,००० रु०
२. पानी पीने के कुंए निर्माण हेतु (१)	२,००० रु०
३. सड़क व बाल उद्यान हेतु (१)	५,००० रु०
योग	१२,००० रु०
महा योग	२३,६०० रु०

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, मंगलवार दिनांक १० मार्च, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३०८४	२४	शरणार्थियों को पुर्नविस्थापित	शरणार्थियों के पुनर्स्थापन
३१०१	५	स्वर्ण को	सवर्ण को
३१०२	७	को कोशिश	की कोशिश
३११३	१३	आवश्कता	आवश्यकता
३११४	१६	दिवा गया	दिया गया
३११५-१६	शीर्ष	१० माच, ५६	१० मार्च, ५६
३११५	२०	यूटीलाइज़शेन एक्ट	यूटीलाइज़ेशन एक्ट
३१२६	शीर्ष	तारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगित प्रश्न
३१२६	शीर्ष	अनुदानों की	विशेषाधिकार
३१५६	शीर्ष	अनुदादों की	अनुदानों की
३१७८	अन्तिम से ३	हुमारे	हमारे
३१८५	१	(श्री रामचम्द्र)	(श्री रामचन्द्र)
३२१४	१८	इस ओर दिलाऊंगा	इस ओर दिलाऊंगा
३२२०	१२	उसकी और ध्यान	उसकी ओर ध्यान
३२२७ व ३२२६	१	(श्री मोगजी भाई)	(श्री भंवरलाल शर्मा)
३२२८	अन्तिम पंक्ति	उन्हों	उन्हें
३२४३	१२	हो सकती।	हो सकती है।
३२५७	१६	क्निटैकली साउन्ड	टैक्निकली साउन्ड
३२५६	अन्तिम से ६	पर्वती वाली	पार्वती वाली
३२६८	११-१२	शिका-कर दें।	शिकायत कर दें।
३२७७	अन्तिम से ३	ध्लॉक्स की स्थापना	ब्लॉक्स की स्थापना
३२८५	३	जालैर ज़िले	जालोर ज़िला